मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2014-15

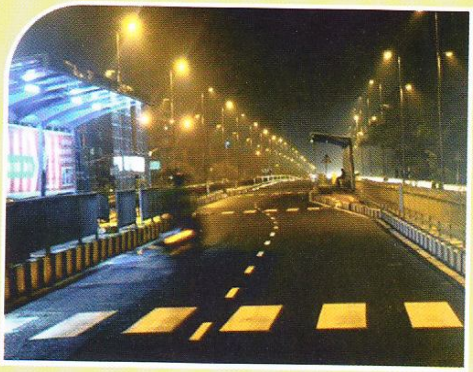
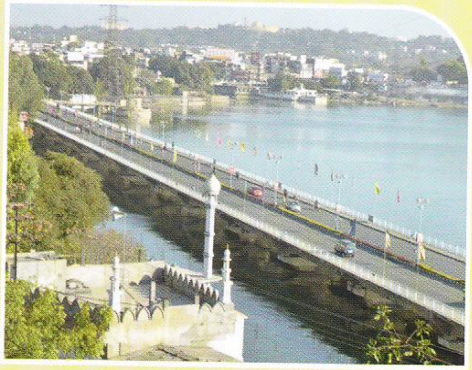

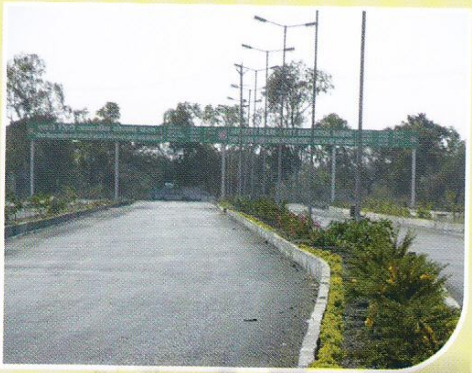

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

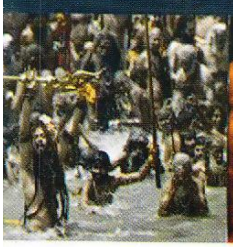

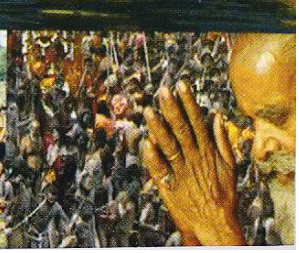

मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2014–15

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2014–15

मंत्री	–	श्री कैलाश विजयवर्गीय
प्रमुख सचिव	–	श्री एस.एन. मिश्रा
आयुक्त–सह–सचिव	–	श्री संजय कुमार शुक्ल
वित्तीय सलाहकार	–	श्रीमती मंजु शर्मा
उप सचिव	–	श्री रमेश एस. थेटे
उप सचिव	–	श्री आशीष सक्सेना
उप सचिव	–	सुश्री वर्षा नावलेकर
उप सचिव	–	श्री के.के. कातिया
आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश	–	श्री गुलशन बामरा
आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण मण्डल	–	श्री नितेश व्यास
कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन	–	श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव
अध्यक्ष, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल	–	डॉ. एन.पी. शुक्ला

प्रस्तावना

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग का वर्ष 2014–15 का प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत है।

(एस.एन.मिश्रा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2014–15
–: विषय सूची :–

क्र.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	विभागीय संरचना	
2.	विभाग के अधीनस्थ प्रमुख कार्यालय एवं संस्थाएं	
3.	विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम	
4.	विभाग के अंतर्गत प्रतिपादित नीति संबंधी विषय	
5.	संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास	
6.	संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश	
7.	राजधानी परियोजना प्रशासन	
8.	मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल	
9.	राज्य नगर नियोजन संस्थान	
10.	मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम	
11.	मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	
12.	पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन	
13.	परिशिष्ट	

विभागीय संरचना

1 नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की प्रशासनिक संरचना निम्नानुसार है:–

1.1 राज्य मंत्रालय

मंत्रालय स्तर पर प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के अधीन एक वित्तीय सलाहकार, चार उप सचिव तथा चार अवर सचिव पदस्थ हैं।

2. विभाग के अधीनस्थ प्रमुख कार्यालय/संस्थाएं

(1) संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास।
(2) संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश।
(3) राजधानी परियोजना प्रशासन।
(4) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल।
(5) राज्य नगर नियोजन संस्थान।
(6) मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम।
(7) मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल।
(8) पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन।

3. विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम

3.1 राज्य शासन द्वारा नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को निम्नांकित अधिनियमों के प्रशासन का दायित्व सौंपा गया है :–

(1) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956
(2) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961
(3) पशु अतिचार अधिनियम, 1971 (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों मे लागू है)
(4) विदिशा (भेलसा) रामलीला विधान, 1956
(5) सिंहस्थ मेला अधिनियम, 1955
(6) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीयक्षेत्रों मे लागू है)
(7) स्लाटर ऑफ एनीमल्स एक्ट (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों मे लागू है)
(8) मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984
(9) मध्यप्रदेश गंदी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निर्मूलन) अधिनियम, 1976
(10) मध्यप्रदेश पथ पर विक्रय करने वालों की जीविका का संरक्षण और पथ पर विक्रय का विनियमन अधिनियम, 2011
(11) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973
(12) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
(13) मध्यप्रदेश आवास नियंत्रण अधिनियम, 1961
(14) जल (प्रदूषण निरोध तथा नियंत्रण) उप–कर अधिनियम, 1977
(15) मध्यप्रदेश भूमि उपयोग विनियमन अधिनियम, 1948
(16) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसरंचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972
(17) मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, 1976
(18) मध्यप्रदेश नगर तथा परिमा नियंत्रण अधिनियम, 1960
(19) मध्यप्रदेश अर्जन अधिनियम, 1948
(20) अचल संपत्ति (अधिग्रहण तथा अर्जन) अधिनियम, 1952
(21) मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012
(22) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975

4. विभाग के अंतर्गत प्रतिपादित नीति संबंधी विषय

विभाग के अंतर्गत संपादित किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं :–

(1) पट्टे के दस्तावेजों के वितरण की प्रगति का परिवीक्षण

(2) नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन अर्थात नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद और नगर परिषद एवं अन्य विभागों को न सौंपे गए निकायों से संबंधित समस्त विषय

(3) यात्रियों पर सीमा कर को छोड़कर नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अधिरोपित किए गए कर का प्रशासन

(4) मध्यप्रदेश चुंगी प्रतिकर निधि का प्रशासन

(5) नगरीय क्षेत्रो में कांजी हाउस और उनमे पशु अतिचार की रोकथाम

(6) नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर परिषदों के प्रबंध के अधीन बाजार और नगरीय क्षेत्रों में मेले

(7) नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता

(8) विभिन्न अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित गंदी बस्ती उन्मूलन तथा सुधार योजनाओं की प्रगति का परिवीक्षण एवं गंदी बस्ती निवारण एवं सुधार से संबंधित योजनाएं

(9) नगरीय महायोजनाओं और उससे संबंधित अन्य क्रियाकलापों में संशोधन

(10) नगरीय क्षेत्रो में गरीबों के लिए आवास नीतियों का निर्धारण तथा समन्वयन। गरीबों के उन्नयन के लिए योजनाएं तैयार करना और उनका परिवीक्षण करना

(11) विभाग से संबंधित सेवाओं में नियुक्तियां, पदस्थापना, स्थानांतरण, वेतन, अवकाश, सेवा निवृत्ति वेतन, प्रतिनियुक्तियां, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां एवं दण्ड तथा अभ्यावेदन से संबंधित कार्यवाही

(12) JNNURM, UIDSSMT, IHSDP, RAY, NULM योजनाओं का क्रियान्वयन

(13) बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं का क्रियान्वयन

(14) नगरीय निकायों के कर्मचारियों की पेंशन, परिवार कल्याण एवं समूह बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन

(15) शहरी स्वच्छता मिशन

(16) म.प्र. शहरी अधोसंरचना कोष का प्रशासन

(17) मध्यप्रदेश प्रापर्टी टैक्स बोर्ड का प्रशासन

(18) शहरी यातायात एवं परिवहन का प्रशासन

(19) प्रदेश के शहरों में संवहनीय लोक परिवहन एवं यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना

(20) शहरी अधोसंरचना

(21) शहरी गरीबों के लिये आवास

(22) शहरी पेयजल

(23) आग की रोकथाम

(24) शहरी सुधार कार्यक्रम

(25) मल–जल शोधन संयंत्रों की स्थापना में निकायों को सहयोग

(26) ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण

(27) प्राकृतिक जल स्त्रोतों का संरक्षण

(28) नगर विकास योजना तैयार करना

(29) शहरी गरीबों का कौशल उन्नयन

(30) राज्य पर्यावरण नीति तथा पर्यावरणात्मक योजना, रक्षोपायों, संरक्षण और समन्वित विकास से संबंधित सभी विषय

(31) नगर तथा ग्राम निवेश

(32) वास्तुकला

(33) सभी प्रकार के प्रदूषण एवं उनका निवारण

(34) नगरीय विकास

(35) राज्य की नगरीय गृह निर्माण नीति से संबंधित समस्त विषय तथा नगरीय गृह निर्माण योजनाओं का क्रियान्वयन एवं समन्वय

(36) आवास स्थान को भाड़े या उप–भाड़े पर देना जिसमें उसका अर्जन तथा अधिग्रहण सम्मिलित है।

(37) कामन पूल के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए निधियों का आवंटन तथा प्रशासकीय अनुमोदन

(38) राजधानी परियोजना तथा उसके प्रशासन से संबंधित समस्त विषय

———————

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास

भाग – एक

विभागीय संरचना

विभाग के अंतर्गत आयुक्त के अधीन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास का विभागाध्यक्ष कार्यालय गठित है।

1. संभागीय कार्यालय

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के अधीन संभाग स्तर पर संयुक्त संचालक के कार्यालय इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और रीवा में गठित हैं।संभाग स्तर पर नगरीय निकायों को तकनीकी मार्गदर्शन और उनकी परियोजनाओं के पर्यवेक्षण के लिये अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री पदस्थ हैं।

2. राज्य शहरी विकास अभिकरण

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में शहरी गरीबों के कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये विभागीय मंत्रीजी की अध्यक्षता में ''राज्य शहरी विकास अभिकरण'' का गठन किया गया है। प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग इसके उपाध्यक्ष हैं, तथा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, अभिकरण के पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं।

3. जिला शहरी विकास अभिकरण

नगरीय निकायों में गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यो के पर्यवेक्षण के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रदेश के सभी जिलों में जिला शहरी विकास अभिकरण गठित हैं। इन अभिकरणों में विभाग द्वारा परियोजना अधिकारी पदस्थ किये गये हैं।

4. विभाग के अंतर्गत स्थापित संचालनालय, उसके संभागीय कार्यालयों और जिला शहरी विकास अभिकरणों के लिए स्वीकृत अमले का विवरण **परिशिष्ट–एक** पर है।

5. नगरीय स्थानीय निकाय

प्रदेश में कुल 378नगरीय स्थानीय निकाय हैं, जिनका श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	निकाय की श्रेणी	संख्या
1	नगरपालिक निगम	16
2	नगरपालिका परिषद	98
3	नगर परिषद	264
	योग	378

5.6 प्रदेश में गठित नगरीय स्थानीय निकायों की जिलेवार सूची **परिशिष्ट–दो** पर है।

————————

भाग–दो

बजट विहंगावलोकन

1. नगरीय प्रशासन एवं विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए विभागीय बजट में कुल रूपये 605938.26 लाख का प्रावधान किया गया था, उक्त प्रावधान के विरूद्ध वर्ष 2014–15 में जनवरी, 2015 तक कुल रूपये 385357.00 लाख का व्यय किया गया है।

2. माह जनवरी, 2015 तकउपरोक्तानुसारप्रावधानित राशि में से **आयोजना** मदों तथा **आयोजनेतर** मदों में मदवार/योजनावार व्यय की जानकारी क्रमशः **परिशिष्ट–तीन (एक)** एवं **परिशिष्ट–तीन (दो)** पर है।

3. बजट में आयोजना मद के अंतर्गत मुख्य रूप से केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्रीय अंशदान प्राप्त जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम, राजीव आवास योजना, राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन तथा डी.एफ.आई.डी. द्वारा वित्त पोषित मध्यप्रदेश अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्रामके लिए प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर निकायों को देय अनुदान का प्रावधान भी इसी मद के अंतर्गत रखा गया है।

4. आयोजनेतर मद में मुख्य रूप से नगरीय निकायों को भुगतान किए जाने वाले चुंगी क्षतिपूर्ति/यात्रीकर क्षतिपूर्ति, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर निकायों को मूलभूत सेवाओं के लिए देय अनुदान आदि तथा संचालनालय एवं उसके संभागीय कार्यालयों के वेतन भत्तों के लिये प्रावधान किए गए हैं।

————————

भाग–तीन

राष्ट्रीय, राज्य एवं बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं

(अ) राष्ट्रीय योजनाएं

1 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM)

1.1 भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा माह दिसंबर, 2005 में देश के 65 बड़े शहरों में संयुक्त रूप से लागू जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत प्रदेश के निम्नांकित शहरों का चयन हुआ है :–

1. इंदौर
2. भोपाल
3. जबलपुर
4. उज्जैन (हेरीटेज शहरों की श्रेणी में)

1.2 मिशन के अंतर्गत इन्दौर, भोपाल तथा जबलपुर शहरों के लिये परियोजना लागत की 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होती है, जिसके विरूद्ध राज्यांश 20 प्रतिशत एवं निकाय अंश 30 प्रतिशत देय होता है। उज्जैन शहर के लिए 80:10:10 के अनुपात में केन्द्रांश, राज्यांश, निकाय अंश की व्यवस्था रखी गई है।

1.3 मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं के चयन, उनके क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण और सुधार कार्यकमों के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिये माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में **राज्य स्तरीय परिचालन समिति** गठित है। इसके साथ ही मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में **राज्य स्तरीय साधिकार समिति** का गठन भी किया गया है।

1.4 संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जेएनएनयूआरएम के लिए **राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी** मनोनीत है।

1.5 विभागीय आदेश दिनांक 05.07.2010 से स्थानीय स्तर पर मिशन के अंतर्गत कार्यो की समीक्षा के लिए सबंधित जिले के प्रभारी मंत्रीजी की अध्यक्षता में समिति का गठन भी किया गया है।

1.6 भारत सरकार द्वारा मिशन शहरों के निम्नानुसार **सिटी डेवलपमेंट प्लान** अनुमोदित किये गये हैं:–

क्रमांक	शहर	परियोजना राशि (करोड़ रू. में)
1	इंदौर	2745.75
2	भोपाल	2153.00
3	जबलपुर	1929.00
4	उज्जैन	1237.73

1.7 मिशन के अंतर्गत भारत सरकार से अभी तक चयनित चार शहरों के लिए रूपये 3346.38 करोड़ की लागत की 52 परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। अद्यतन स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या एवं उनकी लागत निम्नानुसार है:–

क्रमांक	शहर का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	लागत (राशि करोड़ रू.में)
1	इंदौर	13	907.97
2	भोपाल	25	1648.77
3	जबलपुर	9	607.90
4	उज्जैन	5	181.74
योग		**52**	**3346.38**

1.8 विभाग के वर्ष 2014–15 के बजट में मिशन मद में रूपये 133.14 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

1.9 भारत सरकार द्वारा मिशन के दिशा–निर्देशों में राज्य सरकारों तथा नगरीय निकायों से विभिन्न सुधार कार्यक्रमों को लागू करने की अपेक्षा की गयी है। मध्यप्रदेश में इनमें से अनेक सुधार कार्यक्रमों को लागू किया जा चुका है और शेष कार्यक्रमों के संबंध में सुनियोजित कार्ययोजना के तहत कार्यवाही जारी है। सुधार कार्यक्रमों का विवरण **परिशिष्ट–चार** पर है।

1.10 मिशन के अंतर्गत अभी तक स्वीकृत परियोजनाओं का शहरवार विवरण **परिशिष्ट–पांच**पर है।

1.11 प्रदेश के भोपाल एवं इन्दौर शहर में त्वरित एवं स्तरीय लोक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से Bus Rapid Transit System का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत Dedicated Lane में A.C.बसों का संचालन किया जा रहा है, जिससे शहर की लोक परिवहन व्यवस्था में व्यापक सुधार हो रहा है एवं आम नागरिकों को स्तरीय लोक परिवहन सुविधाएं प्राप्त हो रही है।

1.12 राज्य सरकार की पहल पर भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मिशन के अंतर्गत प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के तहत बसों की खरीदी हेतु रूपये 193.70 करोड़ लागत से इंदौर में 175, भोपाल में 225, जबलपुर में 119, और उज्जैन में 90 आधुनिक, लो–फ्लोर, स्टेट–ऑफ–आर्ट सिटी बसों का क्रय करने के लिये स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से इन्दौर में 91, भोपाल में 205, जबलपुर में 119 तथा उज्जैन में 89 बसें संचालित हो रही हैं।

2 एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (IHSDP)

2.1 यह योजना भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम और बाल्मिकी अंबेडकर आवास योजना को समन्वित कर नये रूप में माह दिसंबर, 2005 से लागू की गई है। योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियों के निवासियों को समुचित आवास एवं बुनियादी अधोसंरचना प्रदान करते हुए इन बस्तियों का विकास करना है।

2.2 यह योजना जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत चयनित शहरों को छोड़कर शेष सभी शहरों में लागू की गई है, जिसमें 80 प्रतिशत केन्द्रांश, 10 प्रतिशत राज्यांश और 10 प्रतिशत निकाय/हितग्राही के अंश के मापदण्ड पर परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं।

2.3 योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 2012 तक रूपये 376.28 करोड़ लागत की 56 परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। स्वीकृत परियोजनाओं के तहत गरीबों के लिए 22,998 आवासों का निर्माण एवं अधोसंरचना विकास के कार्य किये जा रहे हैं, जिसमें 8500 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर 2719 आवास हितग्राहियों को आवंटित भी किये जा चुके हैं।

2.4 योजना के लिए विभाग के वर्ष 2014–15 के बजट में कुल रूपये 60.00 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

2.5 योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का शहरवार विवरण **परिशिष्ट–छह** पर है।

3. राजीव आवास योजना (RAY)

3.1 भारत सरकार, के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2009 में शहरी मलिन बस्ती क्षेत्रों में रह रहे नागरिकों/गरीबों के कल्याण हेतु योजनाबद्ध दृष्टि से मलिन बस्ती मुक्त भारत/राज्य/निकाय बनाने के उद्देश्य से ''राजीव आवास योजना'' लागू की गई है, जिसके उद्देश्य निम्नानुसार हैं:–

(1) अधिसूचित/गैर अधिसूचित गंदी बस्ती क्षेत्रों को शहरों की मुख्य धारा में लाना ताकि ऐसे क्षेत्रों में रह रहे लोग भी शहर के शेष नागरिकों की तरह मूलभूत सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

(2) औपचारिक व्यवस्था की उन कमियों को दूर करना, जो गंदी बस्तियों के निर्माण का कारण बनती हैं।

(3) शहरी भूमि और आवास की कमी की उन समस्याओं को दूर करना, जिनके कारण आवास शहरी गरीबों की पहुंच से बाहर हो गये हैं।

3.2 योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगरीय निकाय एवं हितग्राही अंशदान का विवरण निम्नानुसार है :–

शहर का वर्गीकरण	वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार शहर		अशंदान			
		घटक	केन्द्र सरकार (%)	राज्य सरकार (%)	नगरीय निकाय (%)	हितग्राही (%)
अ	5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर	आवास	50	25	–	25
		अधोसंरचना	50	25	25	–
ब	5 लाख तक जनसंख्या वाले शहर	आवास	75	15	–	10
		अधोसंरचना	75	15	10	–

3.3 भारत सरकार द्वारा ''अ'' श्रेणी के शहर के लिये रूपये 5.00 लाख एवं ''ब'' श्रेणी के शहर के लिये रूपये 4.00 लाख प्रति आवासीय इकाई की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।

3.4 राजीव आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त शहरों को सम्मिलित कर लिया गया है।

3.5 राजीव आवास योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 6 शहरों क्रमशः भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर एवं जबलपुर की मलिन बस्ती मुक्त नगर कार्य योजना की स्वीकृति भारत सरकार, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा प्रदान की जा चुकी है एवं अन्य शहरों क्रमशः रतलाम, रीवा, सतना, सिंगरौली, कटनी, छिंदवाड़ा, देवास, खण्डवा, बुरहानपुर एवं विदिशा की मलिन बस्ती मुक्त नगर कार्य योजना तैयार कर ली गई है।

3.6 प्रथम चरण के 6 शहरों में कुल 1761 मलिन बस्तियां चिन्हाकित की गई हैं, जिनकी कुल जनसंख्या 1971344 हैं। इन बस्तियों के उन्नयन, पुनर्विकास एवं पुर्नस्थापन के लिये कुल रूपये 13,756.57 करोड़ की कार्य योजना तैयार की गई है। योजना के अंतर्गत आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना हेतु स्वीकृत परियोजनाओं का शहरवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	शहर का नाम	आवासों की संख्या	परियोजना लागत (राशि रू. करोड़ में)
1	भोपाल	1204	73.99
2	इन्दौर	1463	84.34
3	ग्वालियर	934	57.16
4	जबलपुर	740	36.94
5	सागर	2150	110.54
6	उज्जैन	1196	72.01
7	रतलाम	848	45.65
8	सिंगरौली	267	15.74
9	रीवा	894	50.33
10	खण्डवा	592	31.02
11	कटनी	834	46.46
12	बुरहानपुर	432	18.90
13	देवास	1212	41.48
14	सतना	1332	69.42
15	नीमच	144	7.82
16	छिन्दवाड़ा	1098	59.35
17	विदिशा	420	19.86
कुल योग		**15760**	**861.01**

4. राजीव ऋण योजना (RRY)

4.1 भारत सरकार, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2013 में आर्थिक रूप से कमजोर निम्न आय वर्ग के शहरी निवासियों को नवीन आवास निर्माण एवं वर्तमान आवासीय इकाईयों के संधारण/विस्तारण हेतु राजीव ऋण योजना लागू की गई है।

4.2 यह योजना प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में लागू है।

4.3 योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के शहरी निवासियों को 5 प्रतिशत वार्षिक की रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

4.4 योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (**EWS**) की अधिकतम आय रूपये 1.00 लाख एवं निम्न आय वर्ग (**LIG**) की अधिकतम आय रूपये 2.00 लाख प्रतिवर्ष प्रति परिवार होना चाहिये।

4.5 योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिये अधिकतम ऋण रूपये 8.00 लाख (रूपये 5.00 लाख रियायती ब्याज दर पर) दिये जाने का प्रावधान है।

5. छोटे एवं मझोले नगरों के लिये शहरी अधोसरंचना विकास योजना (UIDSSMT)

5.1 भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में छोटे एवं मझोले नगरों के अधोसंरचनात्मक विकास के उद्देश्य से **यूआईडीएसएसएमटी** योजना प्रारंभ की गई है।

5.2 योजना के अंतर्गत परियोजना लागत की 80 प्रतिशत राशि भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होती है, जिसके विरूद्ध राज्यांश 10 प्रतिशत एवं निकाय अंश 10 प्रतिशत देय होता है।

5.3 योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के चयन, उनके क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन के लिये मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय साधिकार समिति का गठन किया गया है।

5.4 संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, यूआईडीएसएसएमटी योजना के लिये **राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी** मनोनीत है।

5.5 योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 2014 तक रूपये 2859.91 करोड़ लागत की 114 नगरों की 181परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 30 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है।

5.6 योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का शहरवार विवरण **परिशिष्ट–सात** पर है।

6. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)

6.1 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसमें 75 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।यह योजना शहरी गरीबों के उत्थान के लिये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर अक्टूबर, 2013 से लागू की गई है।

6.2 यह योजना वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश के 55 शहरों में लागू की गई है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	जनसंख्या	शहर का नाम
1	10 लाख से अधिक	इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर
2	05 लाख से 10 लाख	उज्जैन
3.	03 लाख से 05 लाख	सागर
4.	01 लाख से 03 लाख	देवास, सतना, रतलाम, रीवा, कटनी, सिंगरौली, खण्डवा, मुरैना, भिण्ड, बुरहानपुर, गुना, विदिशा, छतरपुर, शिवपुरी, मंदसौर, छिन्दवाड़ा, खरगौन, नीमच, दमोह, होशंगाबाद, सिवनी, बैतूल, दतिया, इटारसी, नागदा, पीथमपुर एवं डबरा
5.	01 लाख से कम (जिला मुख्यालय शहर)	शहडोल, बालाघाट, अशोकनगर, टीकमगढ़, श्योपुर, शाजापुर, हरदा, नरसिंहपुर, सीधी, सिहोर, मण्डला, रायसेन, पन्ना, बड़वानी, झाबुआ, उमरिया, राजगढ़, अलीराजपुर, अनूपपुर, डिण्डौरी, धार एवं आगर

6.3 मिशन के प्रमुख घटक निम्नानुसार है :–

(1) **सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत विकास :** इस घटक के अंतर्गत राज्य स्तर पर एक त्रिस्तरीय संगठनात्मक संरचना परिकल्पित की गयी है, इसके अंतर्गत जहां बस्ती स्तर पर स्व–सहायता समूह बनाए जायेंगे वहीं 10–20 स्व सहायता समूह आपस में मिलकर क्षेत्र स्तरीय फेडरेशन (Area Level Federation) तथा 10–20 क्षेत्र स्तरीय फेडरेशन मिलकर एक नगर स्तरीय फेडरेशन (City Level Federation) का गठन करेंगे। इस संघीय संरचना से बैंक लिंकेज, प्रशिक्षण, मार्केटिंग, ऋण, मूल्यांकन, हितग्राहियों की पहचान एवं भागीदारी तथा समूहों के निर्माण में सहायता मिलेगी। इस प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए स्त्रोत संगठनों का चयन किया गया है। इन कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक शहर में शहरी आजीविका केन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित की गई है। इन केन्द्रों का संचालन समुदाय आधारित संस्थाओं, एनजीओ, स्व–सहायता समूह के फेडरेशन आदि के द्वारा होगा।

(2) **कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार :** इस घटक के अंतर्गत शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षणों के द्वारा उन्नत रोजगार से जोडा जाएगा। घटक के उद्देश्य पूर्ति हेतु निम्नानुसार गतिविधियॉ संचालित की जाएंगी :–

- बाजार की मांग के अनुसार दक्षता की कमी का विश्लेषण तथा रोजगारोन्मुख व्यवसायों की सूची तैयार करना।
- गरीब तथा कमजोर वर्गों के अकुशल प्रशिक्षणार्थियों का चयन।
- प्रशिक्षण संस्थाओं का पारदर्शी तरीके से चयन।
- पाठ्यक्रम निर्धारण।
- प्रमाणीकरण।
- प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराना तथा छः माह तक सतत् संपर्क।
- प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति राशि रूपये 15,000.00 व्यय का प्रावधान है।

(3) **स्वरोजगार कार्यक्रम :** इस घटक के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं समूह उद्यम के लिए ऋण द्वारा वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाएगा।

- व्यक्तिगत (रूपये 2.00 लाख) एवं समूह (रूपये 10.00 लाख अधिकतम) ऋण पर बैंकों द्वारा प्रचलित ब्याज दर की जगह मात्र 7 प्रतिशत ब्याज दर देय होगी तथा शेष ब्याज का वहन योजनांतर्गत किया जाएगा। महिला स्व–सहायता समूहों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान का लाभ दिया जाएगा। व्यक्तिगत उद्यमियों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा सुलभ होगी। ऋण अवधि 5–7 वर्ष के लिए प्रावधान है।
- इस कार्यक्रम के द्वारा 18 वर्ष या अधिक आयु के हितग्राहियों की पहचान नगरीय निकायों के द्वारा प्रस्तावित है। हितग्राहियों को 3–7 दिन तक उन्मुखीकरण प्रशिक्षण (ओरिएन्टेशन) प्रदान किया जायेगा। कार्यक्रम से लाभ उठाने के लिए कोई न्यूनतम शिक्षा का बंधन नहीं हे। इस घटक का प्रबंधन नगर स्तर पर गठित टास्कफोर्स के द्वारा किया जाएगा।

(4) **क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण :** इस घटक के अंतर्गत राज्य तथा निकाय स्तर पर मिशन प्रबंधन इकाई का गठन किया जायेगा, जिसमें राज्य स्तर पर 6 तकनीकी विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जाएगा तथा निकाय स्तर पर 2–4 विशेषज्ञ जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

(5) **शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता :** इस घटक में पथ विक्रेताओं की पहचान कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा, कौशल उन्नयन (1–2 दिन के प्रशिक्षण), बैंक लिंकेज एवं ऋण सुविधा, पहचान–पत्र, विक्रेता हेतु सुनिश्चित स्थान आदि सुविधाओं से लाभांवित किया जाएगा। इस घटक पर आवंटन की 5 प्रतिशत राशि व्यय की जाएगी तथा प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति अधिकतम रूपये 750/– का व्यय किया जा सकेगा।

(6) **शहरी गरीबों के लिए आश्रय योजना :** इस घटक के अंतर्गत सामुदायिक आश्रय भवन का निर्माण कर गरीबों एवं बेघर लोगों के (50–100 व्यक्तियों के लिए) रहने का स्थान एवं मूलभूत सुविधायें (किचन, पानी, शौचालय, बिजली, मनोरंजन आदि) उपलब्ध करायी जायेगी।

आश्रय भवन सभी मिशन नगरों में रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, मण्डी, अस्पताल आदि के समीप निर्मित किए जाएंगे। आश्रय भवनों एवं सुविधाओं का संचालन एवं प्रबंधन, इस कार्य हेतु गठित प्रबंधन समिति/पूर्ण कालिक कर्मचारियों/अन्य के द्वारा किया जाएगा।

(ब) राज्य योजनाएं

1. हाथठेला एवं साइकिल रिक्शा चालकों के कल्याण की योजना, 2009

प्रदेश के शहरों में मुख्यमंत्री हाथठेला एवं साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना वर्ष 2009 में प्रारम्भ की गई है। हाथठेला एवं साइकिल रिक्शा चालकों को किरायेदार से मालिक बनाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत हाथठेला/साइकिल रिक्शा के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें अधिकतम रूपये 20,000.00 की परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 10,000.00 मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। साथ ही बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर में 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर की अंतर की राशि को ब्याज अनुदान के रूप में दिए जाने का प्रावधान भी रखा गया है। योजना के अंतर्गत हाथठेला/साइकिल रिक्शा चालकों के परिवार को प्रसूती सहायता, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता एवं जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी प्रदान की जाती है।

2. शहरी घरेलू कामकाजी महिलाओं के कल्याण की योजना, 2009

शहरी घरेलू कामकाजी बहनों के कल्याण के लिये मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना वर्ष 2009 में प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत घरेलू कामकाजी बहनों का पंजीयन कर उन्हें प्रदेश में आई.टी.आई. एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है एवं प्रशिक्षण के दौरान उन्हें रूपये 2,000.00 एक मुश्त पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। योजना के अंतर्गत घरेलू कामगाजी बहनों को प्रसूती सहायता, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता एवं जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी प्रदान की जाती है।

3. मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिए कल्याण योजना, 2012

प्रदेश में शहरी फेरी वालों के कल्याण के लिये मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिए कल्याण योजना वर्ष 2012 में लागू की गई है। योजना के अंतर्गत अधिकतम रूपये 20,000.00 की परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 10,000.00 मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। साथ ही बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर में 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर की अंतर की राशि को ब्याज अनुदान के रूप में दिए जाने का प्रावधान भी रखा गया है। इसके अतिरिक्त पथ पर विक्रय करने वालों के परिवारों के लिए प्रसूती सहायता, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता एवं जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत चलित विक्रय क्षेत्रों का चिन्हांकन किया गया तथा हॉकर्स जोन के स्थल विकास हेतु अनुदान राशि उपलब्ध कराई गई है।

4. केश शिल्पी कल्याण योजना, 2013

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में केश शिल्प का कार्य कर रहे केश शिल्पियों के कल्याण के लिए केश शिल्पी कल्याण योजना, 2013 लागू की गई है। योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के व्यक्तियों हेतु परियोजना लागत का 15 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 1,00,000.00 एवं बी.पी.एल., अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक तथा निशक्तजन हेतु परियोजना लागत का 30 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 2,00,000.00 मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। योजना में ब्याज अनुदान NULM शहरों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से तथा अन्य शहरों में राज्य शासन की निधि से भुगतान किए जाने का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत केश शिल्पियों के परिवारों को प्रसूती सहायता, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता एवं जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी प्रदान की जाती है।

5. मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना

5.1 प्रदेश के शहरों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना वर्ष 2012 से प्रारंभ की गई है।योजना के अंतर्गत 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिये परियोजना लागत का 20 प्रतिशत एवं 50,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिये परियोजना लागत का 30 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है।शेष 80 प्रतिशत एवं 70 प्रतिशत राशि की पूर्ति नगरीय निकायों द्वारा ऋण लेकर की जाती है, जिसमें ऋण का 75 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा एवं 25 प्रतिशत नगरीय निकाय द्वारा भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

5.2 निकायों द्वारा ऋण हुडको से लिया जायेगा, जिसकी प्रतिभूति राज्य शासन द्वारा दी जायेगी। योजना के अंतर्गतवर्तमान में 103 नगरीय निकायों को कुल रूपये 1357.86 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के अंतर्गतवित्तीय वर्ष 2014–15 में दिसम्बर, 2014 तक रूपये 124.48 करोड़ नगरीय निकायों को जारी किए गए हैं। योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना का विवरण **परिशिष्ट–आठ** पर है।

6. मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन

6.1 प्रदेश में स्वच्छता की स्थिति को उन्नत करने के लिये पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में एकीकृत नगरीय स्वच्छता कार्यक्रम आरम्भ किया गया था, जिसे प्रदेश की समस्त नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन के नाम संचालित किया जा रहा है। मिशन हेतु पंचवर्षीय योजनान्तर्गत रुपये 459.44 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। मिशन के लिये वित्तीय वर्ष 2014–15 में रुपये 87.47 करोड़ का प्रावधानित किये गये है। मिशन के अंतर्गत प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में निम्नलिखित घटकों के लिये अनुदान उपलब्ध कराया जाता है :–

1. व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण
2. सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण
3. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
4. तरल अपशिष्ट प्रबंधन की गैर परंपरागत कम लागत की योजना
5. सूचना शिक्षा संप्रेषण
6. सेप्टेज प्रबंधन एवं उपचारण

6.2 **योजना के वित्तीय प्रावधान निम्नानुसार है** :–

क्र.	निकाय	शासन अनुदान	निकाय अंशदान
1	नगर परिषद	90%	10%
2	नगरपालिका परिषद	90%	10%
3	नगर निगम (भोपाल एवं इन्दौर छोड़कर)	85%	15%
4	नगर निगम (भोपाल एवं इन्दौर)	80%	20%

6.3 **व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालय हेतु वित्तीय प्रावधान निम्नानुसार है :–**

क्र.	निकाय	शासन अनुदान	निकाय अंशदान	हितग्राही अंशदान
1	नगर परिषद	80%	10%	10%
2	नगरपालिका परिषद	80%	10%	10%
3	नगर निगम (भोपाल एवं इंदौर छोड़कर)	75%	15%	10%
4	नगर निगम (भोपाल एवं इन्दौर)	70%	20%	10%

6.4 प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों को 25 क्लस्टर में विभाजित कर क्षेत्रीय आधार पर कचरा प्रसंस्करण ईकाईयों का गठन जन निधि भागीदारी के अंतर्गत किया जाना है, जिससे प्रत्येक नगरीय निकाय अंतर निकाय अनुबंध संपादित कर प्रसंस्करण ईकाईयों से जुड़ सकेंगी। प्रायोगिक रूप से नगर निगम, कटनी एवं सागर के आस पास की नगरीय निकायों को समेकित कर जन निधि भागीदारी के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रधान की कार्यवाही के प्रयास

किए जा रहें है। वर्तमान में नगर निगम, भोपाल में उसके आस पास के नगरीय निकयों के क्लस्टर हेतु फिजीबिलिटी स्टडी का कार्य प्रचलित है।

6.5 नगरीय निकायों को पृथकृत कचरा एकत्र करने के लिए प्रेरित किया जाना है ताकि नगरीय क्षेत्रों से निकलने वाले जैविक कचरों को खाद में परिवर्तित किया जा सके। प्रदेश के नगरीय निकायों को मार्च, 2015 तक न्यूनतम 8 वार्डों में घर–घर कचरा एकत्र करने की प्रक्रिया आरंभ करने के निर्देश दिए गए हैं तथा 2 अक्टूबर, 2015 तक 100 प्रतिशत घर–घर कचरा एकत्र करने के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। वर्तमान में सभी नगरीय निकायों के 6 वार्डों में घर–घर कचरा एकत्र करने की कार्यवाही प्रचलित है।

6.6 स्वच्छता मिशन के अंतर्गत नगरीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति सहयोग प्रदान करने से नगर परिषद्, सैलाना, नामली, राजगढ़ (धार), महेश्वर, बुदनी, शहगंज, मनावर, राणापुर एवं सिवनी–मालवाआदि द्वारा 100 प्रतिशत कचरा संग्रहण कर कम्पोस्ट तैयार करने का कार्य किया गया है। वित्तीय वर्ष में नगर परिषद् सैलाना द्वारा कम्पोस्ट खाद बेचकर रूपये 1,00,000.00 से अधिक की आय प्राप्त की गई है, यह प्रक्रिया अन्य नगरीय निकायों में भी प्रचलित है।

6.7 प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों को कचरा मुक्त करने की दिशा में मिशन के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये नगर परिषद, महेश्वर एवं नगर परिषद, नामली द्वारा 100 प्रतिशत घर–घर कचरा एकत्र कर जैविक खाद बनाने की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही 100 दिवसीय कार्ययोजना के अंतर्गत सभी नगर निगमों के 2 वार्ड में घर–घर कचरा एकत्र करने का कार्य आरंभ किया गया है। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये निवेश लागत को कम करने के लिये क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित करने हेतु पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में नगर निगम कटनी एवं संलग्न 4 नगरीय निकायों में कार्यवाई की जा रही है।

7. मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना

7.1 प्रदेश के शहरों में अधोसंरचना विकास के लिये मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना वर्ष 2012 में प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में सड़क एवं शहरी यातायात, सौंदर्यीकरण, सामाजिक अधोसंरचना विकास एवं उद्यान धरोहर संरक्षण का कार्य कराया जाता है।

7.2 योजना के अंतर्गत लागत की 30 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है एवं शेष 70 प्रतिशत राशि की पूर्ति नगरीय निकायों द्वारा ऋण लेकर की जाती है, जिसमें ऋण का 75 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा एवं शेष 25 प्रतिशत नगरीय निकायों द्वारा भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

7.3 योजना के अंतर्गत अभी तक प्रदेश की कुल 277 नगरीय निकायों को रूपये 1,429.79 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें रूपये 1,000.00 करोड़ हडको से ऋण उपलब्ध कराया जाना है।

7.4 योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में 264 नगरीय निकायों को रूपये 1306.75 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं रूपये 307.76 करोड़ का अनुदान विमुक्त किया गया है तथा हडको द्वारा रूपये 319.64 करोड़ की राशि विमुक्त की गई है। योजना के अंतर्गत 200 नगरीय निकायों में निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं 32 नगरीय निकायों में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

8. एक मुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

8.1 इसके अंतर्गत प्रदेश की नगरीय निकायों को विभिन्नपरियोजनाओं के लिये एक मुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की जाती है, जिसमें परियोजना की 70 प्रतिशत् राशि राज्य शासन द्वारा एवं 30 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

8.2 एक मुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत नगरीय निकायों को कुल राशि रूपये 146.30 करोड़ मुक्त की जा चुकी है। 05 नगरीय निकायों क्रमशः अलीराजपुर, महेश्वर, सेंधवा, दतिया एवं लटेरी की जल प्रदायपरियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं एवं शेष का कार्य प्रगति पर है। परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	निकाय का नाम	योजना का नाम	लागत (राशि रू. लाख में)
1	नगरपालिका परिषद, सेंधवा	जल प्रदाय	2141.74
2	नगर परिषद् डीकेन	जल प्रदाय	558.20
3	नगर परिषद् पृथ्वीपुर	जल प्रदाय	1450.44
4	नगरपालिका परिषद, दतिया	जल प्रदाय	2225.90
5	नगर परिषद् लटेरी	जल प्रदाय	1052.04
6	नगर परिषद् महेश्वर	जल प्रदाय	1187.00
7	नगरपालिका परिषद, अलीराजपुर	जल प्रदाय	1337.00
8	नगरपालिका परिषद, सीहोर	जल प्रदाय	700.00
9	नगर परिषद् गरोठ	जल प्रदाय	1507.00
10	नगर परिषद् सैलाना	जल प्रदाय	486.00
11	नगर परिषद् ब्यौहारी	जल प्रदाय	3100.00
	योग		**15745.32**

(स) बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं

1. मध्यप्रदेश अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेन्ट कार्यक्रम (MPUIIP)

1.1 मध्यप्रदेश शासन एवं ब्रिटिश सरकार के Department for International Development (DFID) के सहयोग से मध्यप्रदेश अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेन्ट कार्यक्रम (MPUIIP) प्रदेश के सभी नगरपालिक निगमों में प्रारंभ किया गया है। परियोजना की अवधि जनवरी, 2013 से दिसम्बर, 2015 तक है।

1.2 परियोजना के अंतर्गत कुल रूपये 220 करोड़ (27.4 मिलियन ब्रिटिश पौण्ड) की सहायता प्राप्त होगी, जिसमें से रूपये 160 करोड़ (20 मिलियन ब्रिटिश पौण्ड) की वित्तीय सहायता तथा रूपये 60 करोड़ (7.4 मिलियन ब्रिटिश पौण्ड) की तकनीकी सहायता प्राप्त होगी।

1.3 वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त होने वाली राशि में से मध्यप्रदेश अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड की सीड केपिटल के लिये रूपये 56 करोड़ (7 मिलियन पौण्ड) की राशि प्राप्त होगी, तथा रूपये 104 करोड़ (13 मिलियन पौण्ड) विविध नगरीय सुधार कार्यो के लिये प्राप्त होंगे।

1.4 **कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य**

परियोजना के अंतर्गत प्रदेश की नगरीय निकायों को निवेश के लिये सक्षम बनाने एवं शहरी अधोसंरचना विकास हेतु निजी निवेश आकर्षित करने तथा मध्यप्रदेश अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड के नाम से स्थापित निधि में सीड ग्राण्ट अंशदान के रूप में मूलभूत शहरी अधोसंरचना के विकास के साथ–साथ नगरीय निकायों को पारदर्शी, प्रभावी व कार्यक्षम प्रशासन हेतु क्षमता वर्धन सहयोग, शहरी गरीब वर्ग को मूलभूत शहरी सेवायें सुनिश्चित करना, महिला सशक्तिकरण तथा ऊर्जा दक्ष तकनीकों को प्रोत्साहन देकर विकास कार्य किये जायेंगे।

1.5 **परियोजना के मुख्य घटक**

क्र.	घटक	बजट प्रावधान (मिलियन ब्रिटिश पौण्ड)	राशि करोड़ में (1 पौण्ड = 80 रूपये)
1.	नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को बेहतर सहायता, वैधानिक सुधारों में सहायता, संस्थागत विकास, शहरी गरीबी प्रोफाइल तैयार करना, प्रदर्शन की सूचक बनाना, मानव संसाधन एवं संगठनात्मक विकास में सहयोग, उपस्कर, सहायक कार्मिक उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण, संचार, जनसंपर्क रणनीति, प्रक्रिया नवीनीकरण पहल एवं एक्सपोजर भ्रमण आदि।	1.37	10.96
2.	निजी क्षेत्र को मूलभूत सेवाओं के विकास हेतु आकर्षित करने के लिये बेहतर प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों का विकास करना।	7.03	56.24

3.	नगरीय निकायों के प्रदर्शन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही।	10.36	82.88
4.	शहरी निर्धन समुदायों को भूमि सुरक्षा एवं बेहतर पेयजल सुविधायें उपलब्ध कराना।	5.80	46.4
5.	नागरिकों को स्वच्छ एवं ऊर्जा दक्ष शहरी सेवायें उपलब्ध कराना।	2.85	22.8
	योग	**27.40**	**219.2**

1.6 परियोजना के अंतर्गत किये जाने वाले प्रमुख कार्य

1. मूलभूत शहरी सेवाओं के विकास हेतु निजी क्षेत्र से पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिये सहायता

प्रमुख कार्य	गतिविधियाँ
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को म.प्र. शहरी अधोसंरचना विकास निधि (MPUIF) बोर्ड के गठन हेतु सहयोग व जन निजी भागीदारी (PPP) व्यवस्था को मूर्त रूप देने संस्थागत संचालन में व्यवस्थागत सहायता।	▪ MPUIF के प्रबंधन हेतु परियोजना विकास कंपनी की स्थापना। ▪ PPP परियोजनाओं के लिये नीति तथा दिशा निर्देश। ▪ अधोसंरचना विकास प्रावधानों यथा स्वच्छ जल आपूर्ति, सीवरेज एवं स्वच्छता, ड्रेनेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी आवागमन एवं निम्न आय वर्ग के लिये आवास विकास में सहायता।

2. नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली को पारदर्शी एवं महिलाओं के प्रति जवाबदेह बनाना

प्रमुख कार्य	गतिविधियाँ
वित्तीय प्रबंधन में नगरीय निकायों को दोहरा लेखा प्रणाली अपनाने हेतु सहयोग।	▪ सभी 14 नगरपालिक निगमों में दोहरा लेखा प्रणाली लागू करना। ▪ सभी 14 नगरपालिक निगमों में एकीकृत कम्प्यूटराईज्ड सॉफ्ट वेयर प्रणाली लागू करना।
राजस्व वृद्धि हेतु नगरीय निकायों को सहायता।	▪ नगरपालिक निगमों में राजस्व अभिवृद्धि हेतु जीआईएस प्रणाली का विकास। ▪ नगरपालिक निगमों में करों का युक्तियुक्तकरण।
सेवाओं में सुधार हेतु ई–गवर्नेन्स प्रणाली का क्रियान्वयन।	▪ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एवं ऑटोमेटिक बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम का सभी नगर निगमों में क्रियान्वयन।
महिलाओं पर होने वाली हिंसा में कमी लाने व साक्ष्य निर्धारण हेतु चार शहरों (भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर) में एक्सन रिसर्च।	▪ महिला हिंसा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर नगरीय निकायों की क्षमता वृद्धि। ▪ वर्तमान सामुदायिक संगठनों की क्षमता वृद्धि। ▪ पुरूषों के नजरिये में बदलाव हेतु पुरूष/युवा दलों का गठन व प्रशिक्षण। ▪ वर्तमान में उपलब्ध महिला हिंसाओं से जुड़ी सेवाओं और समुदाय के बीच बेहतर अंतर्विभागीय समन्वय तथा सहभागिता। ▪ मूल्यांकन एवं साक्ष्य निर्माण।

3. शहरी गरीबों की मूलभूत सेवाओं तक निर्बाध पहुंच स्थापित करने में सहयोग व वित्तीय सुरक्षा

प्रमुख कार्य	गतिविधियाँ
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की नीतियों में गरीब व महिला हितैषी परिवेश निर्माण हेतु सहयोग।	▪ आवास स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले परिवेश निर्माण हेतु पहल। ▪ एकीकृत प्रणाली सुधार योजना (ISIP) एवं प्रदर्शन सुधार योजना (PIP) का क्रियान्वयन।

4. ऊर्जा दक्ष शहरी सेवाओं का विकास

प्रमुख कार्य	गतिविधियाँ
ऊर्जा दक्षता हेतु योजना।	▪ वर्ष 2015 तक प्रदेश के चुनिन्दा शहरों को ऊर्जा दक्ष बनाने के लिये योजनाएँ तैयार करना। ▪ ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करना। ▪ कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने वाली योजनाओं का क्रियान्वयन। ▪ समुदाय स्तर पर सौर ऊर्जा के अधिकाधिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये जनजागरूकता।

5. मूलभूत शहरी सेवाएं

प्रमुख कार्य	गतिविधियाँ
शहरी निर्धन समुदाय को मूलभूत शहरी सेवाएं उपलब्ध कराना।	▪ शहरी निर्धन समुदाय की मूलभूत सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिये भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, कटनी, रतलाम एवं सागर नगर निगमों को पेयजल व्यवस्था में सुधार के लिये क्रमशः रूपये 48 लाख, 209.53 लाख, 231 लाख, 227 लाख, 37.57 लाख एवं 494.73 लाख रूपये के कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। भोपाल में योजना संबंधी कार्य पूर्ण हो गये है, तथा अन्य शहरों में कार्य प्रगति पर है।

1.7 वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत रूपये 11.28 करोड़ का व्यय हुआ तथा परियोजना के अंतर्गत अब तक कुल रूपये 65.20 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

1.8 परियोजना के ई–गवर्नेन्स घटक के अंतर्गत प्रदेश के सभी नगरपालिक निगमों में ऑटोमेटेड बिल्डिंग परमिशन एंड अप्रूवल सिस्टम (ABPAS) लागू किया जाना है। वर्तमान में यह पद्धति इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर एवं कटनी नगरनिगमों में प्रारंभ कर दी गई है।

1.9 परियोजना के अंतर्गत ई–नगरपालिका पद्धति हेतु कार्यादेश जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 378 नगरीय निकायों को एक ही एप्लीकेशन के द्वारा मुख्यालय से जोड़ा जाएगा एवं इस परियोजना के माध्यम से नगरीय निकायों की समस्त कार्यप्रणालियों को कम्प्यूटराईज्ड किया जाएगा।

(द) अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं/कार्यक्रम

1. तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुदान

1.1 तेरहवें वित्त आयोग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के लिये दो प्रकार के अनुदानों की अनुशंसा की गई है, जो कि निम्नानुसार है :–

(1) जनरल बेसिक ग्राण्ट – समस्त नगरीय निकायों के लिए
(2) स्पेशल एरिया बेसिक ग्राण्ट – प्रदेश की आदिवासी क्षेत्रों में स्थित नगरीय निकायों के लिए अतिरिक्त रूप से

उपरोक्तानुसार अनुदान वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक नगरीय निकायों को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त अनुदान शर्त रहित है, जिसका आवश्यकतानुसार उपयोग करने के लिए नगरीय निकायें स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त 9 सुधार कार्यक्रमों के लागू करने की शर्त पर परफार्मेस ग्राण्ट भी उपलब्ध कराने का प्रावधान है एवं विभाग द्वारा 9 शर्तो की पूर्ति की जा चुकी है।

1.2 वित्तीय वर्ष 2014–15 में माह जनवरी, 2015 तक भारत सरकार से विशेष क्षेत्र अनुपालन अनुदान की राशि रूपये 587.09 लाख प्राप्त हुई, जिसे निकायों को उपलब्ध कराया गया है।

2. नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विशेष निधि

2.1 विभाग के बजट से विभिन्न मदों की राशि सामान्यतः नगरीय निकायों को निर्धारित मापदण्ड अनुसार अर्जित पात्रता के आधार पर दी जाती है। इस कारण नगरीय निकायों को राज्य शासन द्वारा विशेष आवश्यकताओं, आकस्मिक प्रयोजनों एवं अपूर्ण जल प्रदाय योजनाओं को पूर्ण करने के लिये राशि देने में कठिनाई होती थी। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशेष निधि का गठन किया गया है।

2.2 इस निधि में विभाग को आयोजनेतर मदों जैसे सड़क मरम्मत, राज्य वित्त आयोग एवं मूलभूत सुविधा में प्रावधानित बजट राशि का 20 प्रतिशत भाग पृथक निधि के रूप में रखा जाकर नगरीय निकायों को 10 प्रतिशत विभिन्न विशेष प्रयोजनों के लिये अनुदान एवं 10 प्रतिशत अपूर्ण जल प्रदाय योजनाओं को पूर्ण करने के लिये अनुदान दिया जाता है।

2.3 इस निधि के परिचालन के लिये ''म.प्र. के नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं एवं आकस्मिक प्रयोजनों के लिये राशि के उपयोग के नियम, 2006'' बनाये गये हैं।

2.4 वर्ष 2014–15 में इस निधि से विभिन्न विशेष प्रयोजनों के लिये राशि रूपये 89.19 करोड़ नगरीय निकायों को उपलब्ध कराई गई है।

3. मध्यप्रदेश शहरी अधोसंरचना कोष (MPUIF)

3.1 राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों में बड़ी अधोसंरचना विकास परियोजनाओ के चयन, उनके परियोजना प्रस्ताव तैयार करने, ऐसी परियोजनाओं के लिए शासन सहित विभिन्न वित्तीय संस्थानों/बाजार से पूंजी की व्यवस्था करने आदि के प्रयोजन से म.प्र. शहरी अधोसंरचना कोष का गठन किया गया है।

3.2 राज्य मंत्रि–परिषद् द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शहरी अधोसंरचना कोष का गठन भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 16 मई, 2008 को हुआ है।

3.3 ट्रस्ट के अंतर्गत तकनीकी कार्यो के संचालन के लिए ''मध्यप्रदेश नगरीय अधोसंरचना एवं वित्तीय सेवायें मर्यादित'' का गठन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किये जाने की व्यवस्था रखी गई है। कंपनी में 26 प्रतिशत अंश राज्य शासन का तथा 74 प्रतिशत अंश निजी क्षेत्र की कंपनी का रखे जाने का प्रावधान है।

3.4 कोष को भारत सरकार द्वारा लागू ''पूल्ड फायनेंस डेवलपमेंट फंड'' योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर साझा वित्त इकाई के रूप में नामांकित किया गया है।

3.5 विभाग द्वारा निजी क्षेत्र की भागीदारी से प्रोजेक्ट डेवलेपमेंट कंपनी का गठन हेतु तीन बार ऑफर बुलाये गये थे, परंतु कंपनियों द्वारा इसमें अपेक्षित रूचि प्रदर्शित नहीं की गई, इसे देखते हुए मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में संपन्न बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक

में शत–प्रतिशत शासकीय अंशधारी कंपनी का गठन करने की संभावनाओं पर विचार करने का निर्णय लिया गया है।

3.6 उपरोक्तानुसार बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में लिए गए निर्णय के परिपेक्ष्य में दिनांक 01 जनवरी, 2015 को **मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड** का गठन किया गया है।

4. मध्यप्रदेश प्रापर्टी टैक्स बोर्ड

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा नगरीय निकायों को दी जाने वाली परफार्मेंस ग्राण्ट के लिये निर्धारित शर्त क्रमांक 6.4.9 के क्रियान्वयन के प्रयोजन से प्रदेश की नगरीय निकायों में संपत्ति कर के आरोपण/वसूली की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और इस संबंध में नगरीय निकायों को मार्गदर्शन/सहायता प्रदान करने हेतु राज्य शासन द्वारा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश प्रापर्टी टैक्स बोर्ड का गठन किया गया है।

5. नगर विकास योजना (CDP)

5.1 नगर विकास योजना के अंतर्गतद्वितीय चरण में कुल 258 नगरों (07 नगरपालिका परिषद एवं 251 नगर परिषद) की नगर विकास योजना तैयार की गई है, जिसे परिषद द्वारा अंगीकृत किया जा चुका है।

5.2 वर्ष 2035 को ध्यान में रखते हुए 258 नगरीय निकायों के लिए तैयार की गई नगर विकास योजना के अनुसार संपूर्ण विकास हेतु कुल रूपये 33,815.81 करोड़ की आवश्यकता का आंकलन किया गया है।

5.3 विभाग द्वारा सीडीपी के अनुसार कार्य करने के निर्देश नगरीय निकायों, कलेक्टर एवं संभागीय कार्यालयों को जारी किये गये हैं।

5.4 नगर विकास योजना में चिन्हांकित परियोजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य ''मुख्यमंत्री शहरी अधोसरंचना विकास योजना'' के अंतर्गत किया जा रहा है।

5.5. वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए नगर विकास योजना हेतु विभाग को (SKOCH) कन्सलटेंसी सर्विसेस प्रा. लि. द्वारा पुरूस्कार प्रदान किया गया है। साथ ही केरल सरकार एवं ई–इण्डिया कन्सलटेंसी द्वारा नवम्बर, 2014 में राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्रदान किया गया है।

6. रैनबसेरा

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में बाहर से आने वाले शहरी गरीबों के रात्रि विश्राम के लिये 100रैनबसेरों के निर्माण कराया गया है।रैनबसेरों में पुरूष एवं महिलाओं के लिए अलग–अलग रहने की व्यवस्था है। रैनबसेरों मे आवश्यक बुनियादी सुविधायें जैसेः– बिस्तर, प्रकाश, पानी, शौचालय, टेलीविजन, सामाचार पत्र लाकर आदि की व्यवस्था है। उपरोक्त के अतिरिक्त 31 NULM शहरों में रैनबसेरों की निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर रैनबसेरा निर्माण हेतु प्रत्येक शहर को 35 लाख आवंटित किए गए हैं। इन 24 शहरों में से ऐसे शहरों में जहॉ रैनबसेरे निर्माणाधीन है, वहॉ अस्थाई रैनबसेरों की व्यवस्था नगरीय निकायों द्वारा की गई है।

7. सिंहस्थ, 2016

7.1 राज्य शासन द्वारा सिंहस्थ, 2016 को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिये दिनांक 13.10.2011 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि–परिषद समिति का गठन किया गया था,जिसका पुनर्गठन दिनांक 25.01.2014 को किया गया है। सिंहस्थ, 2016 से संबंधित कार्य योजना तैयार करने, निर्माण कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने एवं सामग्री खरीदी के लिये दिनांक 17.10.2011 को संभागायुक्त उज्जैन की अध्यक्षता में समिति का भी गठन किया गया है।

7.2 समिति द्वारा सिंहस्थ, 2016 की विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा चुकी है। संबंधित विभागों को योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 31.01.2015 तक राशि रूपये 227.93 करोड़ मुक्त की जा चुकी है। सिंहस्थ के अंतर्गत विभागवार स्वीकृत कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि करोड़ में)

क्र.	विभाग	कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि	व्यय राशि
1.	जल संसाधन विभाग	28	57.81	34.00	15.62
2.	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	1	432.00	432.00	432.00
3.	अ) लो. निर्माण विभाग (भवन/पथ) ब) धर्मस्व विभाग के कार्य	49	328.96	84.65	60.76
4.	लोक निर्माण विभाग (ई.एण्ड.एम.)	22	46.87	2.57	2.24
5.	लोक निर्माण विभाग (सेतु)	11	162.51	97.07	64.02
6.	लोक स्वा. यांत्रिकी (ग्रामीण)	20	162.56	9.70	0.5
7.	अ) नगर निगम, उज्जैन ब) सिंहस्थ–2016 संबंधित कार्य स) लो.स्वा.यां. नगर निगम, उज्जैन	40	245.99	101.48	51.04
8.	गृह विभाग (पुलिस)	12	177.78	14.99	0
9.	गृह विभाग (होमगार्ड)	9	49.50	6.50	0.4
10.	ऊर्जा विभाग (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कंपनी)	35	63.15	45.40	21.56
11.	वन विभाग	10	4.94	0.00	3.13
12.	स्वास्थ्य विभाग	1	29.43	0.00	0.18
13.	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम	2	22.00	6.50	2.17
14.	उज्जैन विकास प्राधिकरण (सिंहस्थ मेला प्राधिकरण)	2	11.00	6.00	0.85
15.	इंदौर विकास प्राधिकरण	2	54.71	15.00	10
16.	नगर निगम, इंदौर	2	49.00	13.58	0
17.	म.प्र. सड़क विकास निगम (बी.ओ.टी.)	4	232.32	0.00	0
18.	रेलवे विभाग	7	26.95	5.00	0
19.	नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग	1	23.00	0.00	
20.	कलेक्टर, उज्जैन (भू–अर्जन एवं प्रशिक्षण आदि कार्य हेतु)	3	30.00	15.00	
कुल योग		**261.00**	**2240.48**	**889.94**	**664.47**

8. करों के संग्रहण हेतु प्रोत्साहन पुरूस्कार योजना

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों को राजस्व संग्रहण के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन पुरूस्कार योजना प्रारंभ की गई है। तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2014–15 में गत वर्ष के राजस्व संग्रहण के लिये नगर निगम, नगरपालिका परिषद एवं नगर परिषदों को क्रमशःप्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान के लिये प्रोत्साहन पुरूस्कार प्रदान किये जायेंगे।

9. प्रदेश के बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के संबंध में शासन की पहल

9.1 प्रदेश के भोपाल एवं इंदौर शहरों में Mass Rapid Transit System (Metro)हेतु DPRनिर्माण का कार्य प्रगति पर है। सलाहकार फर्म द्वारा DPRके परिपेक्ष्य मेंInterimप्रतिवेदन, Draftप्रतिवेदन एवं Final प्रतिवेदन के अंश प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जिसके माध्यम से उभय शहरों के लिये कंपनी की संरचना एवं Financial Support Mechanism के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है। भोपाल एवं इंदौर के लिये प्रस्तावित System देश का प्रथम Light Metro System है।

9.2 प्रदेश के भोपाल एवं इंदौर शहरों की भांति जबलपुर के लिये भी Mass Rapid Transit System (Metro) हेतु परियोजना हेतु प्री–फिजिबिलिटी सर्वे कराये जाने का निर्णय लिया गया है। प्री–फिजिबिलिटी सर्वे कराए जाने हेतु एजेंसी चयन का कार्य प्रचलित है।

9.3 प्रदेश के पांच प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियरएवं उज्जैन में लोक परिवहन को शहर स्तरीय स्वरूप प्रदान किए जाने हेतु शहर स्तरीय यूनिफाईड मेट्रोपालिटन ट्रांसपोर्ट काउंसिल गठन हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है।

9.4 प्रदेश के शहरों में लोक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु, राज्य स्तरीय Dedicated Urban Transport Fund (S-DUTF) एवं शहर स्तरीय Dedicated Urban Transport Fund (C-DUTF) के गठन हेतु अनुमोदन किया जाकर S-DUTF एवं C-DUTF हेतु क्रमशः राशि रूपये 50 करोड़ एवं 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

9.5 प्रदेश के 04 मिशन शहरों में Organized City बस सेवा संचालित है। प्रदेश के मिशन शहरों के साथ–साथ अन्य 16 प्रमुख शहरों में लोक परिवहन सेवा का विस्तार एवं विकास किये जाने हेतु लगभग 1500 बसों के प्रोक्योरमेंट हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, जिसमें भारत सरकार द्वारा इंदौर के लिये 170, जबलपुर के लिये 136, देवास के लिये 38, बुरहानपुर के लिये 30, छिन्दवाड़ा के लिये 60, कटनी के लिये 76, सागर के लिये 40 एवं गुना के लिये 50 इस प्रकार कुल 600 बसें स्वीकृत की गई है। शेष शहरों के लिये आगामी चरण में बसें स्वीकृत की जायेगी। इस प्रकार वर्तमान चार शहरों के अतिरिक्त 06 नये शहरों को मिलाकर कुल 10 शहरों में स्तरीय लोक परिवहन सेवा का विकास एवं विस्तार सुनिश्चित हो सकेगा।

9.6 प्रदेश के शहरों में पार्किंग को व्यवस्थित करने एवं नवीन पार्किंग संस्कृति के विकास हेतु राज्य शहरी पार्किंग नीति तैयार की गई है।

9.7 प्रदेश के शहरों में व्यवस्थित विज्ञापन प्रबंधन सुनिश्चित करने तथा भूमि उपयोग एवं लोक परिवहन नियोजन में समन्वय किये जाने हेतु क्रमशः राज्य शहरी विज्ञापन नीति एवं StateTransit Oriented Development Policy तैयार की जा रही है।

9.8 प्रदेश के चार प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर के लिये Comprehensive Mobility Plan (CMP) तैयार किया गया है। उक्त 4 प्रमुख शहरों के अतिरिक्त प्रदेश के 21 अन्य बड़े शहरों के लिए भी CMP तैयार करने का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। CMP तैयार कराए जाने हेतु एजेंसी चयन की कार्रवाई प्रचलित है।

9.9 विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न शहरों में से भोपाल शहर का चयन TOD, DUTF एवं UMTA पॉयलेट परियोजना हेतु तथा Evaluation of City Bus System परियोजना के लिये किया गया है।

9.10 देश में प्रथम स्टेट ऑफ द आर्ट Traffic InformationAnd Management Information Centre (TIMCC) की पायलेट परियोजना हेतु डीपीआर तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित की गई है।

9.11 प्रदेश के पांच शहर भोपाल, इंदौर जबलपुर, उज्जैन एवं ग्वालियर के लिये Parking,Advertisement, Public Transport एवं TOD Master Plan तैयार किया जा रहा है।

9.12 विभाग के प्रस्ताव के आधार पर देश के विभिन्न शहरों में से विश्व बैंक द्वारा GEF-5के अंतर्गत Modernization of Bus Service हेतु भोपाल शहर का चयन किया गया है, जिसके अंतर्गत विश्व बैंक द्वारा राशि रूपये 10 करोड़ के अनुदान से भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के माध्यम से संचालित बस सेवा का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

9.13 इंदौर शहर में बीआरटीएस नेटवर्क का विस्तार किये जाने हेतु भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से JNNURMके अंतर्गत लगभग राशि रूपये 500 करोड़ की रिवर साईड बीआरटीएस कॉरिडोर परियोजना स्वीकृत कराई गई है।

9.14 विभाग के प्रस्ताव के आधार पर विश्व बैंक द्वारा Global Environment Facility (GEF) के अंतर्गत इंदौर शहर में BRTS कॉरिडोर पर Intelligent Transport System (ITS) संस्थान हेतुरूपये 57 करोड़ की परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

9.15 Eco- Friendly एवं प्रदूषण रहित लोक परिवहन सेवा के क्रियान्वयन हेतु मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MANIT) भोपाल एवं नगर परिषद, गौतमपुरा का चिन्हांकन किया गया है। शीघ्र ही उभय स्थलों पर बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा परियोजना का क्रियान्वयन प्रस्तावित है।

9.16 प्रदेश के शहरों में Stack पार्किंग पायलेट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु भोपाल में स्थलों का चिन्हांकन किया गया है। भोपाल में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के उपरांत प्रदेश के अन्य शहरों में भी Stack पार्किंग का विस्तार किया जाएगा।

9.17 शहरी लोक परिवहन व्यवस्था हेतु Automatic Fare Revision Policy का प्रस्ताव तैयार किया गया है,जिसके माध्यम से शहरी लोक परिवहन के टिकट की दरों को ईंधन के मूल्य, थोक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि इत्यादि घटकों से जोड़ा गया है, जिससे शहरी लोक परिवहन की वित्तीय संवहनीयता सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही आवश्यकतानुसार राज्य शासन को Viability Gape Funding हेतु राशि निर्धारण में भी सहायता प्राप्त होगी।

10. शहरी सुधार कार्यक्रम

प्रदेश के नगरीय निकायों की प्रणाली में सुधार कर पारदर्शिता लाने तथा कार्यक्षमता में वृद्धि करने हेतु ''शहरी सुधार योजना'' तैयार की गई है, जिसे परियोजना परीक्षण समिति द्वारा दिनांक 12.12.2013 को स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के अंतर्गत सम्मिलित प्रमुख घटक तथा उनकी प्रगति निम्नानुसार हैः–

क्र.	घटक	प्रगति
1.	नगरीय निकायों की लेखा प्रणाली के संभूति आधारित द्विप्रविष्टी लेखा प्रणाली में परिवर्तन करना।	40 निकायों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 60 निकायों में कार्य प्रगति पर है। 53 नगरीय निकायों हेतु निविदाएं बुलाए जाने की प्रक्रिया प्रचलित है।
2.	नगरीय निकायों में ई–प्रशासन स्थापित करना।	इस हेतु राज्य स्तर पर ''ई–नगरपालिका'' साफ्टवेयर तैयार किए जाने हेतु एजेंसी की नियुक्ति की जा चुकी है।
3.	जीआईएस आधारित नक्शे तैयार कर संपत्तिकर के दायरे तथा वसूली में वृद्धि किया जाना।	वर्तमान में 12 निकायों में कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 41 निकायों में कार्य प्रगति पर है। 44 नगरीय निकायों हेतु निविदा बुलाए जाने की प्रक्रिया प्रचलित है।
4.	शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवाओं का प्रावधान।	इस हेतु नगरीय निकायों के बजट में 25 प्रतिशत की राशि का प्रावधान किया जा रहा है।
5.	प्रशासनिक एवं संरचनात्मक सुधार।	1. नगर निगमों तथा नगर पालिका/ /परिषदों के लिये आदर्श कार्मिक संरचना लागू की गयी है। 2. नगरीय निकायों के लिए नवीन राज्य स्तरीय ''म. प्र.नगरीय वित्त सेवा'' गठित की गयी है। 3. पूर्व से प्रचलित म.प्र. नगरीय प्रशासनिक, यांत्रिकी तथा स्वास्थ्य सेवा का पुनर्गठन किया गया है। 4. संचालनालय एवं संभागीय कार्यालयों का पुनर्गठन किया गया है।

(इ) कर्मचारी कल्याण योजनाएं

1. नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना

1.1 विभाग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने के लिये **मध्यप्रदेश नगर पालिका सेवा (पेंशन) नियम, 1980** बनाये गये हैं, जिसमें वर्णित प्रावधानों एवं विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार पेंशन प्रदान की जाती है।

1.2 योजना का संचालन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास पदेन ''नियंत्रक पेंशन, स्थानीय निकाय'' नामांकित हैं। योजना के संचालन के लियेसंचालनालय स्तर पर ''कंट्रोलर ऑफ पेंशन फार लोकल बाडीज मध्यप्रदेश'' के नाम से एक पृथक बैंक खाता खोला गया है, जिसमें पेंशन अंशदान की राशि जमा की जाती है।

1.3 योजना के संचालन के लिये वर्तमान में नगरीय निकायों द्वारा उनकी निकायों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान का अधिकतम के 12 प्रतिशत की दर से अंशदान पेंशन निधि में जमा किया जा रहा है। साथ ही नगरीय निकायों को देय चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान से भी अतिरिक्त राशि काटकर पेंशन निधि में जमा की जा रही है।

1.4 प्रदेश की नगरीय निकायों के पेंशनरों को राज्य शासन के कर्मचारियों के समान पेंशन प्रदान की जा रही है। वर्तमान में नगरीय निकायों के कुल 14,474 सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जिस पर रूपये 12.20 करोड़ प्रतिमाह वित्तीय भार आ रहा है।

1.5 नगरीय निकायों के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उपदान की राशि का भुगतान भी उपरोक्त निधि से ही किया जा रहा है।

1.6 वित्तीय वर्ष 2014–15 में योजना के अंतर्गत पेंशन के कुल 1300 प्रकरण निराकृत किये गये हैं, जिसमें पेंशन/परिवार पेंशन एवं उपदान के रूप में प्रथम भुगतान पर कुल रूपये 34.00 करोड़ का भुगतान किया गया है। साथ ही नियमित पेंशन भुगतान पर कुल रूपये 115.23 करोड़ का व्यय हुआ है।

1.7 वर्तमान में प्रदेश की नगरीय निकायों के पेंशनरों को भारतीय स्टेट बैंक की भोपाल स्थित शाखा लिंक रोड़–1 के माध्यम से पेंशन का नियमित रूप से वितरण किया जा रहा है। पेंशन वितरण की उक्त प्रक्रिया को और अधिक लाभदायक एवं पारदर्शी बनाए जाने के उद्देश्य से संचालनालय द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के Central Pension Proccessing Center के माध्यम से पेंशन वितरण करनेहेतु भारतीय स्टेट बैंक से माह दिसम्बर, 2014 में अनुबंध निष्पादित किया गया है।

1.8 प्रदेश के नगर पालिक निगम इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं रतलाम अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये स्वयं के स्तर पर पेंशन योजना संचालन कर रहे हैं।

2. परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना(NPS)

2.1 विभाग द्वारा राज्य शासन के शासकीय कर्मचारियों के समान ही प्रदेश की नगरीय निकायों/अधीनस्थ कार्यालयों में दिनांक 01.01.2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त होने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए ''परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना'' लागू की गई है।

2.2 योजना का संचालन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल द्वारा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गतNSDL (National Securities Depository Limited) मुम्बई द्वारा संचालनालय के अधीनस्थ सभी संभागीय कार्यालयों/नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों/नगर परिषदों/जिला शहरी विकास अभिकरणों के लिये पृथक–पृथक DDO Registration Number आवंटित किये गये हैं।

2.3 अधीनस्थ कार्यालयों/नगरीय निकायोंको आवंटित DDO Registration Number के अंतर्गत NSDL मुम्बई द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को Permanent RetirementAccount Number (PRAN) आवंटित किये जा रहे हैं।

2.4 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 848 अधिकारियों/कर्मचारियों को PRAN आवंटित किये गये हैं एवं योजना के अंतर्गत अभी तक कुल 1954 कर्मचरियों को PRAN आवंटित हो चुके हैं। जिन कर्मचारियों को PRAN आवंटित हो चुके हैंउनके संबंध में अधीनस्थ कार्यालयों/नगरीय निकायों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उनके Data & Fund NSDL मुंबई को अंतरित किये जा रहे हैं।

3. स्थानीय निकाय परिवार कल्याणनिधि योजना, 1987

3.1 विभाग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के नियमित वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए माह अक्टूबर, 1987 से ''परिवार कल्याण योजना'' लागू की गई है।

3.2 योजना का संचालन आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास के स्तर पर पृथक से निधि का सृजन कर किया जा रहा है।योजना के अंतर्गत संचालनालय स्तर पर ''संचालक, स्थानीय निकाय, परिवार कल्याण निधि योजना'' के नाम से एक पृथक बैंक खाता खोला गया है, जिसमें नगरीय निकायों/अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों से मासिक अभिदान की राशि प्राप्त कर जमा की जाती है।

3.3 योजना के अंतर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी एवं जन सेवकों द्वारा क्रमशः रूपये 160.00, 120.00, 100.00, 60.00 एवं 30.00 मासिक अभिदान दिया जाता है।

3.4 योजना में शामिल अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति अथवा उसके परिवार के दावेदार को अधिमान्य क्रम के अनुसार क्रमशः रूपये 1.60 लाख, 1.20 लाख, 1.00 लाख, 60,000.00 और 30,000.00 का भुगतान किया जाता है तथा सेवानिवृति उपरांत अभिदाता के खाते में जमा वास्तविक अभिदान राशि और उस पर देय अंशदान की राशि का भुगतान किया जाता है।

3.5 नगर निगम ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर एवं उज्जैन के द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए इस योजना का क्रियान्वयन स्वयं के स्तर पर किया जा रहा है।

4. मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवक कर्मचारी–बीमा–सह–बचत योजना, 2014

4.1 विभाग द्वारा प्रदेश के नगरपालिका सेवकों के लिए पूर्व से लागू की गई परिवार कल्याण निधि योजना, 1987 का पुनरीक्षण किया जाकर इसे अधिक लाभकारी बनाते हुए प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए लागू मध्यप्रदेश शासकीय सेवक कर्मचारी–बीमा–सह–बचत योजना, 2003 के समान ही मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवक कर्मचारी–बीमा–सह–बचत योजना, 2014 माह अक्टूबर, 2014 से लागू की गई है।

4.2 योजना का संचालन परिवार कल्याण निधि योजना, 1987 की भांति पूर्वानुसार ही आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास के स्तर पर किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत यूनिट के आधार पर अधिकारियों/कर्मचारियों को मासिक अंशदान देना होता है। इस योजना के अंतर्गत अंशदान तथा बीमा मूल्य निम्नानुसार हैः–

अधिकारी/कर्मचारी की श्रेणी	यूनिट की संख्या	यूनिट का मूल्य	अंशदान की राशि	बीमा मूल्य	बीमा धन	बचत राशि
1	2	3	4	5	6	7
चतुर्थ श्रेणी	1	100	100	1,25,000	35	65
तृतीय श्रेणी	2	100	200	2,50,000	70	130
द्वितीय श्रेणी	4	100	400	5,50,000	140	260
प्रथम श्रेणी	6	100	600	7,50,000	210	390

4.3 योजना के अंतर्गत सदस्य कर्मचारी की दुर्भाग्यवश मृत्यु होने पर परिवार के नामांकित सदस्य/वैध उत्तराधिकारी को बीमा राशि के साथ–साथ बचत निधि में जमा राशि भी ब्याज सहित भुगतान की जाती है, परन्तु कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/सेवा से निकाले जाने/स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा त्याग पत्र देने पर उसे केवल बचत निधि में जमा राशि भुगतान की जाती है।

4.4 वित्तीय वर्ष 2014–15 में दोनों योजनाओं के अंतर्गत कुल 959 प्रकरण स्वीकृत किये गये, जिनमें कुल राशि रूपये 2.99 करोड़ का भुगतान किया गया है।

5. सफाई कामगारों के लिए समूह बीमा योजना, 1988

5.1 प्रदेश की नगरीय निकायों में कार्यरत नियमित सफाई कामगारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा समूह बीमा योजना दिनांक 01.04.1988 से प्रारंभ की गई है।

5.2 वर्तमान में उक्त योजना के अंतर्गत प्रति हितग्राही रूपये 120.00 और राज्य शासन का अंशदान प्रति हितग्राही रूपये 360.00 वार्षिक निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सफाई कामगारों की सेवा में रहते हुए सामान्य मृत्यु की स्थिति में रूपये 50,000.00 और दुर्घटनाजनित मृत्यु पर रूपये 1,00,000.00सफाई कामगारों द्वारा नामांकित व्यक्तियों को भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

5.3 वित्तीय वर्ष 2014–2015 में कुल 123 प्रकरणों में कर्मचारी की मृत्यु उपरांत नामांकित व्यक्तियों को कुल राशि रूपये 58.30 लाख का भुगतान किया गया है।

———

भाग–चार
अन्य प्रशासनिक विषय

1 विभाग एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन एवं प्रबोधन कार्यक्रम

1.1 74 वे संविधान संशोधन में अंतर्निहित समावेशी शहरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सहभागिता, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं समता मूलक अभिशासन आवश्यक है। प्रशिक्षण उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रभावी साधन है। इस महत्पूर्ण कार्य को संपादित करने के लिए विभाग द्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1973 के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगर प्रबंध संस्थान का गठन किया गया है।

1.2 संस्थान की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा 10.12 हेक्टेयर भूमि राजाभोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के समीप ग्राम भौंरी में प्रदान की गई है। भारत सरकार द्वारा भी संस्थान के वित्तीय सहयोग के लिए रूपये 60.00 करोड़ का अनुदान उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया गया है। संस्थान के सभी कार्य शासी–परिषद् के मार्गदर्शन में संपन्न होते हैं तथा दैनंदिनी के प्रशासनिक मामलों से संबंधित निर्णय कार्यकारी परिषद् द्वारा लिया जाता है। शासी–परिषद् एवं कार्य परिषद् में केन्द्र तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि, नगरीय विकास से सरोकार रखने वाले विषय विशेषज्ञ, उद्यमी, सामुदायिक संगठनों एवं शहरी निकायों के जन प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया है।

1.3 संस्थान द्वारा नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालयों के लोक सेवकों, नगरीय निकायों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों एवं नगरीय विकास से सरोकार रखने वाले विभागों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने तथा उनमें नगरीय प्रबंधन एवं अभिशासन का समसामयिक ज्ञान एवं कौशल विकास करने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। संस्थान **एक स्थल पर समावेशी अभिशासन** के लिए आवश्यक प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन की सेवाएं अन्य हिन्दी भाषी राज्यों के लिए शीघ्र ही आरंभ करने वाला है।

1.4 विभागीय वार्षिक प्रशिक्षण पंचाग के अनुसार संस्थान तथा अन्य राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रमुख संस्थाओं के माध्यम से दिनांक 15 फरवरी, 2015 की स्थिति में कुल 54 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ–साथ नगरीय निकायों के विभिन्न स्तरों के कुल 1300 लोक सेवक सम्मिलित हुए। इस प्रकार प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 24 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया है।

1.5 संस्थान एवं प्रशिक्षण शाखा द्वारा विगत वर्षों की भांति वर्ष 2015–16 के लिए भी प्रशिक्षण पंचाग तैयार किया गया है। इस वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन मौलिक रूप से नगरीय विकास एवं प्रबंधन के महत्पूर्ण 6 क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इन क्षेत्रों को मिलाकर कुल 42 विषयों पर 130 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों नगरीय निकायों के नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को प्राथमिकता के आधार पर एवं लोक सेवकों को सम्मिलित करते हुए लगभग 5000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य है।

2. सूचना प्रौद्योगिकी

2.1 विभाग द्वारा संचालनालय, संभागीय कार्यालय और नगरीय निकायों के कम्प्यूटरीकरण का वृहत कार्यक्रम लागू किया गया है।मध्यप्रदेश अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेन्ट कार्यक्रम के अंतर्गत संचालनालय और उसके सभी संभागीय कार्यालयों की कम्प्यूटर हार्डवेयर की व्यवस्थाकी गई है। इसी प्रकार परियोजना के अंतर्गत आने वाले सभी नगरपालिक निगमों को भी उनकी आवश्यकता का आंकलन करने के बाद कम्प्यूटर हार्डवेयर उपलब्ध कराये गये हैं।

2.2 विभाग द्वारा अपनी वेबसाईट भी प्रारंभ की गई है, जिसका यूआरएल www.mpurban.gov.in है। वेबसाईट पर विभाग द्वारा नगरीय निकायों से संबंधित समस्त आवश्यक जानकारी ''स्टेटिक'' और ''डायनेमिक'' रूप में उपलब्ध है।

2.3 विभाग द्वारा संचालनालय और बड़े नगर पालिक निगमों के विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण भी दिलाया जा रहा है।

2.4 **नगर पालिक निगम, भोपाल में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम (MAS)** को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत नगर निगम एवं समस्त कार्यप्रणाली कम्प्यूटरीकृत की गई है। उक्त प्रणाली लागू होने से नागरिक अपने करों एवं उपभोक्ता प्रभारों का भुगतान ऑन लाईन कर रहे हैं। भविष्य में इस प्रणाली को अन्य बड़े नगरों में भी लागू करने की योजना है।

2.5 **E-Nagar Palika** म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम (MAS) के सफल क्रियान्वयन को देखते हुए विभाग द्वारा समस्त 378 नगरीय निकायों में ERP आधारित E-Nagar Palikaएप्लीकेशन्स का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है।

2.6 **अर्बन सेक्टर मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम (USMIS)** के अंतर्गत संचालनालय, संभागीय कार्यालयों एवं नगर निगमों को सूचनाओं तथा जानकारियों के आदान–प्रदान हेतु परस्पर जोड़ा गया है। इस परियोजना के अंतर्गत समस्त नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों को संचालनालय से जोड़ने हेतु डाटाबेस तैयार किया गया है।

2.7 USMIS के अंतर्गत वर्तमान में नगरीय निकायों से सेवानिवृत्त हो रहे सभी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है, साथ ही मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन, यूआईडीएसएसएमटी तथा पेंशन प्रकोष्ठ को ऑनलाईन कर दिया गयाहै।

3. वीडियो कांफ्रेसिंग

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के प्रशासकीय भवन में विभाग का स्वयं का वीडियो कांफ्रेसिंग रूम विकसित किया गया है। नगरीय निकायों के अधिकारियों, परियोजना अधिकारियों तथा संभागीय अधिकारियों से माह में दो बार वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की निरंतर समीक्षा की जा रही है।

4. ऑन लाईन फंड ट्रांसफर

4.1 प्रदेश स्तर से नगरीय स्थानीय निकायों को विभिन्न मदों में वित्तीय सहायता मुक्त की जाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं गति लाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा ऑन लाईन फंड ट्रांसफर की व्यवस्था सशक्त रूप से लागू की गयी है। इस प्रक्रिया में नगरीय निकायों को मुक्त की जाने वाली विभिन्न मदों की राशि सीधे बैंकों के माध्यम से ''इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर'' द्वारा संबंधित निकाय के बैंक खाते में जमा कराई जाती है।

4.2 ऑन लाईन फंड ट्रांसफर की व्यवस्था प्रारंभ करने से राशि के अंतरण में लगने वाले धन तथा समय दोनों की बचत हुई है। इस प्रक्रिया से कुछ ही समय में राशि निकाय के खाते में जमा हो जाती है। वर्तमान में कोषालय के माध्यम से भी राशि सीधे नगरीय निकायों के बैंक खातों में अंतरित हो रही है।

5. स्थानीय निकाय सेवा दिवस

5.1 राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष 2 नवम्बर को स्थानीय निकाय सेवा दिवस मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर प्रदेश की समस्त नगरीय निकायें अपने–अपने क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जिसके अंतर्गत समस्त कर्मचारी निर्धारित गणवेश में, समस्त उपकरणों, वाहनों तथा अन्य साजो–सामान का चल प्रदर्शन करते हैं। इस चल प्रदर्शन में संबंधित निकाय के महापौर/अध्यक्ष तथा आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं।

5.2 स्थानीय निकाय सेवा दिवस को संबंधित निकायों द्वारा अपने–अपने क्षेत्रों में विकास प्रदर्शनी भी लगाई जाती है, जिसमें महत्वपूर्ण विकास कार्यो का प्रदर्शन किया जाता है तथा संध्याकाल को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है।

6. नगरीय निकायों के निर्वाचन

6.1 वर्ष 2014–15 के दौरान कुल 290 नगरीय निकायोंके आम निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सम्पन्न कराए गए।

6.2 वर्ष 2014–15 के दौरान मध्यप्रदेश नगरपालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम, 1999 के अंतर्गतप्रदेश की कुल 378 नगरीय निकायों के आम निर्वाचन हेतु आरक्षण की कार्यवाही दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 को पूर्ण की गई, जिसकी अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 31.10.2014 को किया गया।

7. स्थानांतरण एवं कार्मिक संरचना

7.1 वित्तीय वर्ष के दौरान विभाग के अधीन कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कुल 460 अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण किये गये।

7.2 वित्तीय वर्ष के दौरान विभाग के अंतर्गत संचालनालय एवं संभागीय कार्यालयों के पुनर्गठन की कार्यवाही पूर्ण की गई।

8. नगरीय निकायों का अंकेक्षण

8.1 नगरीय निकायों का अंकेक्षण संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र. द्वारा किया जाता है।

8.2 वित्तीय वर्ष 2014–15 में विभाग द्वारा महालेखाकार की लंबित कंडिकाओं के निराकरण के लिये ''उच्च अधिकार प्राप्त समिति'' का सफलतापूर्वक आयोजन कराया गया, जिसमें वर्ष 2000–01 से मार्च 2013 तक किये गये आडिट प्रतिवेदनों पर विचार किया जाकर निम्नानुसार कंडिकाओं का निराकरण किया गया :–

क्र.	संभाग का नाम	कुल लंबित कंडिकाओं की संख्या	प्रस्तुत की गई कंडिकाओं की संख्या	निराकृत की गई कंडिकाओं की संख्या
1.	संचालनालय	13	07	03
2.	जबलपुर	773	686	264
3.	रीवा	483	390	208
4.	शहडोल	246	206	112

8.3 लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की 07 कंडिकाएं लंबित थी, जिसमें से 04 कंडिकाएं निराकृत की गई है।

9. विधि विषयक कार्य

9.1 मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2000 के नियम 10 के उप नियम (8) के पश्चात् उप नियम (9) जोड़कर उपयंत्री/ड्रफ्ट्समेन के रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए फीडर केडर में पद की उपलब्धता न होने की दशा में न्युनतम शैक्षणिक अर्हता रखने वाले नियमित कर्मचारियों की सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा पदों को भरने के संबंध में प्रावधान किए गए।उक्त अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 24.06.2014 को किया गया।

9.2 मध्यप्रदेश नगरपालिक नियम अधिनियम, 1956 की धारा 10 में दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिक क्षेत्र में अधिकतम पचासी वार्ड होने संबंधी संशोधन किया गया, जिसकी अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 06.08.2014 को किया गया।

9.3 मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 86, 87, 88, 89, 90, 91 एवं 94 में राज्य नगरीय प्रशासनिक सेवा, स्वच्छता सेवा, यांत्रिकी सेवा, वित्त सेवा एवं राजस्व सेवा के लिए विभिन्न संशोधन किए गए।

10. मध्यप्रदेश राज्य सफाई कामगार आयोग

10.1 प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के हितों तथा अधिकारों को बढ़ावा देने तथा सुरक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य सफाई कामगार आयोग का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष सहित चार सदस्य हैं।

10.2 आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन राज्य शासन द्वारा 03 वर्ष अथवा मनोनयन वापस लेने तक जो भी पहले हो, के लिये किया जाता है। आयोग के कार्यालय के प्रशासकीय अमले की पूर्ति प्रतिनियुक्ति के माध्यम से की जाती है।

10.3 आयोग द्वारा प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के लिये सुविधाएं, अवसरों में असमानताओं को दूर करने के लिये समयबद्ध कार्ययोजना बनाने, सामाजिक व आर्थिक पुनर्वास से संबंधित कार्ययोजना बनाने एवं शिकायतों आदि की जांच करने के कार्य किये जा रहे हैं।

10.4 उपरोक्त के अतिरिक्त आयोग द्वारा सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय संन्निर्माण प्रतिषेध अधिनियम, 1993 के क्रियान्वयन की समीक्षा करने व उक्त संबंध में राज्य शासन को सुझाव देने का कार्य भी किया जा रहा है।

———————

संचालनालय,नगर तथा ग्राम निवेश

भाग – एक

विभागीय संरचना

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी जिसका मुख्यालय वर्तमान में ''पर्यावरण परिसर'' ई–5, अरेरा कालोनी भोपाल में स्वयं के भवन में दिनांक 23.9.2001 से कार्यरत है। विभाग का मुख्य उद्देश्य एवं दायित्व नगरों को सुसंगठित एवं सुनियोजित रूप से बसाने के लिये उनकी विकास योजनाएं तैयार करना होता है, एवं एक नियमित अंतराल पर उनका नगर की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए पुनरीक्षण करना एवं प्रादेशिक विकास योजना बनाना है। जिसकी वर्तमान संरचना निम्नानुसार हैः–

संचालक
अपर संचालक
संयुक्त संचालक
उप संचालक
सहायक संचालक एवं तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारीगण

2. अधीनस्थ कार्यालय

वर्ष 1999 में जिला सरकार की अवधारणा एवं वर्ष 2000 में राज्य पुनर्गठन होने के पश्चात संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के अधीनस्थ संचालनालय के संभागीय कार्यालयों को जिला कार्यालय में तब्दील किया गया जिसके अनुसार वर्तमान में संचालनालय के अतिरिक्त 28 जिला कार्यालय जिसमें 7 संयुक्त संचालक कार्यालय, यथा– भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन, 10 उप संचालक कार्यालय– होशंगाबाद, छिन्दवाड़ा, रतलाम सिंगरौली शहडोल, खण्डवा, सतना, नीमच, देवास, गुना एवं 11 सहायक संचालक कार्यालय– बैतूल, राजगढ़, विदिशा, कटनी, मण्डला, भिण्ड छतरपुर,, झाबुआ. अनूपपुर, श्योपुर, खरगौन वर्तमान में कार्यरत है।

3. अमला

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के लिये स्वीकृत अमला निम्न तालिका अनुसार है–

स. क	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद
1.	आयुक्त सह संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	01
2.	अपर संचालक	प्रथम श्रेणी अधिकारी (नियोजन में योग्यताधारी)	02
3.	संयुक्त संचालक	प्रथम श्रेणी अधिकारी (नियोजन में योग्यताधारी)	11
4.	उप संचालक(नियोजन)	प्रथम श्रेणी अधिकारी (नियोजन में योग्यताधारी)	15
5.	उप संचालक(सर्वे)	प्रथम श्रेणी अधिकारी (सर्वे में योग्यताधारी)	02
6.	उप संचालक(रिसर्च)	प्रथम श्रेणी अधिकारी (रिसर्च में योग्यताधारी)	01
7.	उप संचालक(स्था)	प्रथम श्रेणी अधिकारी (विभागीय सेवा)	01
8.	सहायक संचालक(योजना)	द्वितीय श्रेणी अधिकारी (नियोजन में योग्यताधारी)	26
9.	सहायक संचालक (सर्वे/प्रोजेक्ट)	द्वितीय श्रेणी अधिकारी (सर्वे/प्रोजेक्ट में योग्यताधारी)	07
10.	सहायक संचालक (रिसर्च)	द्वितीय श्रेणी अधिकारी (रिसर्च में योग्यताधारी)	05
11.	सहायक संचालक(स्था)	द्वितीय श्रेणी (विभागीय सेवा)	01
12.	लेखा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति से)	प्रथम श्रेणी अधिकारी (वित्त सेवा का)	01

13.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति से)	द्वितीय श्रेणी अधिकारी (वित्त सेवा का)	01
14.	संपरीक्षक(आडीटर) (प्रतिनियुक्ति से)	द्वितीय श्रेणी अधिकारी (वित्त सेवा का)	01
15.	सूचना प्रोद्योगिक अधिकारी(प्रोग्रामर)	संविदा सेवा पर	01
16.	सहायक सूचना प्रोद्योगिकी अधिकारी	संविदा सेवा पर	02
17.	मानचित्रकार	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	45
18.	सहायक मानचित्रकार	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	50
19.	अनुरेखक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	73
20	उपयंत्री	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	40
21.	वरिष्ठ भू–मापक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	21
22.	कनिष्ठ भू–मापक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	30
23.	वरिष्ठ रिसर्च सहायक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	13
24.	रिसर्च सहायक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	13
25.	अन्वेषक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	26
26.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–1 (स्टाफ आफिसर)	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	02
27.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–2 (निज सचिव)	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	04
28.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3 (निज सहायक)	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	11
29.	स्टेनो टायपिस्ट	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	22
30.	अधीक्षक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	10
31.	सहायक अधीक्षक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	10
32.	सहायक ग्रेड–1	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	25
33.	सहायक ग्रेड–2	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	46
34.	सहायक ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	66
35.	स्टोर कीपर	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	10
36.	कोडर/केडआपरेटर/ फोटोग्राफर/ मॉडलर /सहा.मॉडलर/ कलाकार/ नीलमुद्रक के पदो को डाइंग केडर घोषित कर इनकी सेवा निवृत्ति के बाद कम्प्यटूर अपरेटर के नवीन पद	डाईंग केडर घोषित होने के बाद कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर संविदा सेवा नियुक्ति	41
37.	ग्रन्थपाल	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	01
38.	दफ़्तरी	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	13
39.	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी–12 संविदा पर 09	21
40.	प्रेसमेन	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02
41	चौकीदार	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	29
42.	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–57 संविदा सेवा पर–41	98
43.	चैनमैन	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–28 संविदा सेवा पर–06	34
44.	वाटरमैन	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1
45.	स्वीपर	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश विभागीय सेटअप का 2012 में पुनरीक्षण किया जाकर विभिन्न संवर्गो के स्वीकृत 525 पदो के स्थान पर 836 पद स्वीकृत किये गये।

4. विभाग के अंतर्गत आने वाली संस्थायेः–

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत नगर तथा ग्राम निवेश, संचालनालय, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी आते हैं, जिनका गठन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत किया गया है। जो वर्तमान में निम्नानुसार कार्यरत हैं :–

नगर विकास प्राधिकारी		विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी	
1	भोपाल विकास प्राधिकरण	1	ग्वालियर, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (ग्वालियर काउंटर मेग्नेट)
2	इंदौर विकास प्राधिकरण	2	पचमढ़ी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
3	ग्वालियर विकास प्राधिकरण	3	खजुराहो (पर्यटन क्षेत्र) विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
4	जबलपुर विकास प्राधिकरण	4	महेश्वर–मंडलेश्वर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
5	उज्जैन विकास प्राधिकरण	5	ओरछा, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
6	देवास विकास प्राधिकरण		
7	रतलाम विकास प्राधिकरण		
8	कटनी विकास प्राधिकरण		
9	अमरकंटक विकासप्राधिकरण		
10	सिंगरौली विकास प्राधिकरण		

5. संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के दायित्व

1. संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के मुख्य कार्यकलाप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत संचालित किये जाते हैं, जिनमें प्रमुख कार्यकलाप निम्नानुसार हैंः–

(अ) प्रादेशिक विकास योजना तैयार करना–मध्य प्रदेश राज्य को 8 विभिन्न निवेश प्रदेशों (रीजन) में विभक्त किया गया है, जो कृषि, उद्योग, खनिज संपदा, वन संपदा आदि के बाहुल्य पर आधारित है जिसमें बीना पेट्रोकेमीकल्स प्रदेश की प्रादेशिक विकास योजना (रीजनल प्लान) तैयार कर प्रकाशित की जा चुकी हैं एवं भोपाल केपीटल रीजन(रीजनल प्लान) की प्रादेशिक योजना प्रकाशन हेतु तैयार है, तथा ग्वालियर चंबल एग्रो रीजन की प्रादेशिक योजना का कार्य आई.टी.पी.आई. के साथ कार्य करने हेतु एम.ओ.यू. किया जा रहा है। इसके साथ ही इन्दौर इण्डस्ट्रीज रीजन के कार्य करने हेतु संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त किये जा रहे हैं ।

(ब) नगर विकास योजना तैयारकरना– राज्य के नगरों की विकास योजनायें बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, जिसमें विभिन्न श्रेणी के नगरों के अतिरिक्ति पवित्र नगर, पर्यटन, ऐतिहासिक, धार्मिक, औद्योगिक महत्व के नगरों की विकास योजना तैयार की जाती है। अभी तक कुल 96 नगरों की विकास योजनायें प्रकाशित की जा चुकी हैं,जिसमें से 72 विकास योजनायें अंगीकृत की गई हैं, तथा पुनरीक्षित विकास योजनाएं 29 प्रकाशित की जा चुकी है जिसमें से 16 अंगीकृत होकर प्रभावशील हैं। विवरण निम्नानुसार हैः–

क.	नगर का नाम	प्रारूप विकास योजना प्रकाशन की तिथि	विकास योजना अनुमोदन की तिथि	कियान्वयन संस्था	योजना कालावधि	नगर का स्तर
1	2	3	4	5	6	7.
1	इंदौर	10.06.1974	01.03.1975	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय
2	भोपाल	19.11.1974	25.08.1975	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय

3	उज्जैन	20.05.1975	28.10.1975	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय/ धार्मिक
4	खजुराहो	26.10.1975	11.10.1977	नगर परिषद्	1991	पर्यटक
5	जबलपुर	26.08.1977	28.09.1979	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय
6	ग्वालियर	09.03.1979	21.10.1980	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय/ पर्यटक
7	देवास	04.09.1979	10.03.1986	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय/ औद्योगिक
8	शिवपुरी	25.04.1987	05.08.1988	नगरपालिका	2001	जिला मुख्यालय/ पर्यटक
9	चंदेरी	27.06.1987	24.01.1989	नगरपालिका	2001	पर्यटक/ हतकरघा औघोगिक
10	रतलाम	24.06.1985	28.05.1990	नगर निगम	2001	जिला मुख्यालय/ औद्योगिक
11	रीवा	28.03.1987	27.11.1990	नगर निगम	2001	जिला मुख्यालय
12	सतना	29.08.1986	18.04.1991	नगर निगम	2001	जिला मुख्यालय /औघोगिक
13	बुरहानपुर	26.02.1993	08.06.1995	नगर निगम	2005	जिला मुख्यालय/ हथ करघा औघोगिक
14	नव हरसूद	23.01.1995	14.02.1997	साडा	2011	तहसील मुख्यालय
15	दमोह	04.07.1994	19.03.1998	नगरपालिका	2005	जिला मुख्यालय
16	चित्रकूट	06.09.1994	03.08.1998	नगर परिषद्	2005	पवित्र/धार्मिक
17	बीना	15.04.1999	14.01.2000	नगरपालिका	2011	तहसील मुख्यालय/ औघोगिक
18	सागर	05.06.1999	03.03.2000	नगर निगम	2011	जिला मुख्यालय
19	सांची	01.11.1999	11.07.2000	नगर परिषद्	2011	पर्यटक
20	नीमच	25.10.1999	05.07.2000	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
21	पन्ना	21.10.1999	17.05.2000	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
22	ग्वालियर साडा	22.10.1999	24.04.2000	साडा	2011	साडा
23	इटारसी	22.02.2000	09.03.2001	नगरपालिका	2011	तहसील मुख्यालय
24	खण्डवा	29.02.2000	09.03.2001	नगर निगम	2011	जिला मुख्यालय
25	मैहर	18.09.2000	31.08.2001	नगरपालिका	2011	पवित्र/धार्मिक
26	मांडव	24.01.2001	02.11.2001	नगर परिषद्	2011	पर्यटक
27	छिंदवाड़ा	14.02.2001	09.08.2002	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
28	शहडोल	22.01.2001	05.12.2002	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
29	खरगौन	16.03.2002	05.12.2002	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
30	जावरा	25.03.2002	16.12.2002	नगरपालिका	2011	तहसील मुख्यालय
31	विदिशा	10.08.2001	21.01.2003	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
32	मंदसौर	29.09.2002	12.05.2003	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
33	पाण्ढुर्ना	21.01.2003	29.08.2003	नगरपालिका	2011	तहसील मुख्यालय
34	गुना	29.03.2003	29.08.2003	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
35	झाबुआ	05.05.2003	10.10.2003	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
36	सीहोर	27.06.2001	31.05.2004	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
37	भिण्ड	04.09.2003	28.05.2004	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
38	टीकमगढ़	28.02.2004	17.12.2004	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
39	सिहोरा	23.06.2004	28.01.2005	नगरपालिका	2011	तहसील
40	बड़वानी	06.07.2004	17.12.2004	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
41	सिंगरौली	20.08.2004	20.05.2005	नगर निगम	2011	जिला मुख्यालय/ माइनिंग

42	अमरकंटक	30.10.2004	20.05.2005	नगर परिषद्	2015	पवित्र नगर/ धार्मिक
43	बैतूल	10.12.2004	30.08.2005	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
44	महेश्वर	22.03.2005	12.09.2005	नगर परिषद्	2015	पवित्र नगर/ धार्मिक
45	होशंगाबाद	27.04.2005	03.02.2006	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
46	बालाघाट	29.6.2005	26.05.2006	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
47	शाजापुर	06.09.2005	12.05.2006	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
48	ओंकारेश्वर	18.11.2005	11.08.2006	नगर परिषद्	2021	पवित्र नगर/ धार्मिक
49.	राजगढ़	16.01.2006	11.08.2006	नगर परिषद्	2021	जिला मुख्यालय
50.	उमरिया	18.03.2006	09.03.2007	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय/ माइनिंग
51.	मण्डला	31.05.2006	09.03.2007	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय/ पवित्रनगर
52.	ओरछा	03.08.2002	18.05.2007	नगर परिषद्	2011	पवित्र नगर
53.	सीधी	25.09.2006	17.9.2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
54	छतरपुर	15.02.2007	17.9.2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
55	अशोकनगर	30.06.2007	4.10.2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
56	अलीराजपुर	30.08.2007	4.10.2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
57	दतिया	05.01.2008	4.10.2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
58	रायसेन	21.01.2008	4.10.2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
59.	मुरैना	28.3.2008	4.10.2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
60.	हरदा	27.03.2006	8.10.2008	नगरपालिका	2015	जिला मुख्यालय
61	बैरसिया	29.07.2006	8.10.2008	नगर परिषद्	2011	तहसील
62.	सिवनी	14.08.2007	8.10.2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
63.	कटनी	31.03.2006	19.6.2009	नगरनिगम	2021	जिला मुख्यालय/ औद्योगिक
64.	अनूपपुर	05.09.2008	27.06.2009	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
65.	नरसिंहपुर	29.07.2006	30.03.2010	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
66.	श्योपुर	22.7.2008	16.04.2010	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
67.	धार	12.01.2009	16.04.2010	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
68.	डबरा	07.07.2009	16.04.2010	नगरपालिका	2021	तहसील एवं औद्योगिक
69.	मुलताई	12.10.2009	4.03.2011	नगरपालिका	2021	तहसील/ पवित्र नगरी
70.	पचमढ़ी	11.08.1998	पुनर्प्रकाशन किया जाना है	साडा	2011	पर्यटक
71.	आष्टा	30.08.2006	–	नगरपालिका	2021	तहसील
72.	नरसिंहगढ़	29.09.2006	–	नगरपालिका	2021	तहसील
73.	मंडीदीप	04.06.2009	पुनर्प्रकाशन किया जाना है	नगरपालिका	2021	औद्योगिक
74.	डिंडोरी	31.07.2009	–	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
75.	खुरई	22.10.2009	–	नगरपालिका	2021	तहसील
76.	नौगाव	11.02.2010	–	नगरपालिका	2021	तहसील
77.	गरोठ	10.08.2011	–	नगर परिषद्	2021	तहसील
78.	पिपरिया	11.08.2011	1.8.2014	नगरपालिका	2021	तहसील
79.	भेडाघाट	15.09.2011	–	नगर परिषद्	2021	पर्यटक
80.	मढई	5.10.2011	–	नगर परिषद्	2021	पर्यटक
81.	नागदा	10.10.2011	–	नगरपालिका	2021	औद्योगिक

82.	सेंधवा	22.10.2011	—	नगरपालिका	2021	तहसील
83.	ब्यावरा	22.12.2011	—	नगरपालिका	2021	तहसील
84.	सौंसर	23.12.2011	—	नगरपालिका	2021	तहसील
85.	सलकनपुर	23.12.2011	—	ग्राम पंचायत	2021	पवित्र नगर
86.	चाकघाट	08.02.2012	—	नगर परिषद्	2021	तहसील
87.	आमला	22.03.2012	—	नगरपालिका	2021	तहसील
88.	कुक्षी	30.03.2012	—	नगर परिषद	2031	तहसील
89.	रामपुर बाघेलान	30.03.2012	—	नगर परिषद	2021	तहसील
90.	आलोट	30.03.2012	—	नगर परिषद्	2031	तहसील
91.	बांधवगढ	17.09.2012	—	नगर परिषद्	2031	पर्यटन स्थल
92.	गोहद	08.03.2013	19.09.2013	नगरपालिका	2031	तहसील
93.	गंजबासौदा	10.05.2013	20.6.2014	नगरपालिका	2031	तहसील
94.	मण्डीदीप	24.05.2013	—	नगरपालिका	2031	औद्योगिक
95.	शुजालपुर	22.02.2014		नगरपालिका	2031	जिला मुख्यालय
96	आगर	28.1.2015				

(स) **पुनरीक्षित विकास योजना**—इसके अंतर्गत प्रभावशील नगर विकास योजना के प्रथम/द्वितीय चरण उपरान्त पुनर्विलोकन एवं मूल्यांकन किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार उपान्तरण कर पुनरीक्षित विकास योजना तैयार की जाती है। इसके अंतर्गत 29 पुनरीक्षित विकास योजनायें प्रकाशित कर 14 विकास योजनाऐं प्रभावशील की जा चुकी हैं, विवरण निम्नानुसार है—

पुनरीक्षित विकास योजनायें

क्र.	नगर का नाम	प्रारूप विकास योजना प्रकाशन की तिथि	विकास योजना अनुमोदन की तिथि	कियान्वयन संस्था	योजना कालावधि	नगर का स्तर
1	2	3	4	5	6	7.
1.	भोपाल	17.10.1994	09.06.1995	विकास प्राधि.	2005	जिला मुख्यालय
2.	खजुराहो	04.03.1994	05.06.1995	नगर परिषद्	2011	पर्यटक
3.	ग्वालियर	29.10.1995	19.03.1998	विकास प्राधि.	2005	जिला मुख्यालय/ पर्यटक
4.	जबलपुर, (प्रथम चक्र)	29.12.1995	08.12.1998	विकास प्राधि.	2005	जिला मुख्यालय
5.	देवास	18.03.2002	17.12.2002	विकास प्राधि.	2011	जिला मुख्यालय/ औद्योगिक
6.	उज्जैन	13.08.2005	06.06.2006	विकास प्राधि.	2021	जिला मुख्यालय/ पवित्र नगर
7.	इंदौर	13.07.2006	01.01.2008	विकास प्राधि.	2021	जिला मुख्यालय
8.	जबलपुर (द्वितीय चक्र)	09.02.2007	01.10.2008	विकास प्राधि	2021	जिला मुख्यालय
9.	रीवा	21.01.2009	30.03.2010	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय
10.	सतना	30.06.2009	30.03.2010	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय
11.	बुरहानपुर	02.07.2009	30.03.2010	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय
12.	भोपाल	29.08.2009	पुनःप्रकाशन किया जाना हैं।	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय, राजधानी
13.	रतलाम	22.10.2009	14.6.2013	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय
14.	ग्वालियर	12.08.2011	12.9.2014	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय/ पर्यटक
15.	शिवपुरी	18.11.2011	-	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय/ पर्यटक

16.	बीना	2.12.2011	-	नगरपालिका	2021	औद्योगिक
17.	विदिशा	25.01.2012	-	नगरपालिका	2031	जिला मुख्यालय
18.	खंडवा	05.09.2012	-	नगर निगम	2031	जिला मुख्यालय
19.	देवास	09.10.2012	.	नगर निगम	2031	जिला मुख्यालय
20.	बैतूल	13.01.2013	19.09.2013	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
21	दमोह	15.03.2013	19.09.2013	नगरपालिका	2031	जिला मुख्यालय
22.	होशंगाबाद	14.06.2013	20.6.2014	नगरपालिका	2031	जिला मुख्यालय एवं धार्मिक नगर
23	शहडोल	28.01.2014		नगरपालिका	2031	जिला मुख्यालय
24.	नीमच	7.2.2014		नगरपालिका	2031	जिला मुख्यालय
25	सिंगरौली	21.2.2014		विकास प्राधिकरण	2031	औद्योगिक
26	सागर	28.202014		नगर निगम	2031	जिला मुख्यालय
27	गुना	28.2.2014		नगरपालिका	2031	जिला मुख्यालय
28	मैहर	28.2.2014		नगरपालिका	2031	धार्मिक नगर

6. नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारियों के कृत्यों से संबंधित दायित्व

(अ) नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों द्वारा तैयार की जाने वाली नगर विकास योजनाओं (स्कीम) का तकनीकी एवं विधिक परीक्षण।

(ब) नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों के वार्षिक बजट परीक्षण।

(स) नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न संस्थाओं से राशि उधार लेने के प्रस्तावों का परीक्षण।

(द) नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों की योजनाओं एवं कार्यालयों का राज्य शासन के अनुमोदन अनुसार वार्षिक निरीक्षण।

7. अन्य दायित्व

अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों में नगर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में विकास प्राधिकरणों/ विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को तथा अन्य विकास से संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शन देना तथा शासन की भूमि विकास एवं प्रबंधित नीतियों में सहायता करना। संचालनालय के अंतर्गत आने वाले जिला कार्यालयों के अधिकारियों को संचालक की शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं ताकि विकास योजना प्रस्तावों का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो सके। भवन निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अधीन मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में भवन अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। यह प्रावधान स्थानीय संस्थाओं के अधिनियमों के अतिरिक्त है। नेशनल अर्बन इन्फार्मेशन सिस्टम, योजना के क्रियान्वयन, मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण हेतु संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश नोडल एजेन्सी के रूप में भी कार्यरत है।

8. विशेषतायें

नगरों के सुनियोजित विकास हेतु विकास योजना एवं पुनरीक्षित विकास योजना बनाना, प्रादेशिक योजना बनाना तथा वित्तीय प्रबंधन करना संचालनालय के विशिष्ट दायित्व हैं।

9. बेबसाईट प्रदर्शन

राज्य के विभिन्न नगरों की प्रभावशील विकास योजनाओं की जानकारी बेबसाईट www.mptownplan.nic.in/ www.mptownplan.gov.in पर उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रस्तावित है । इसमें मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये अन्य नियम जैसे मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012, म.प्र. भूमि विकास नियम 2012, म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश विकसित भूमियों, गृहों, भवनों तथा अन्य संरचनाओं का व्ययन नियम, 1975 आदि भी शामिल किये गये हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

तथा सिटीजन चार्टर के साथ–साथ संचालनालय से संबंधित समय–समय पर जारी किए गए परिपत्रों,विकास अनुज्ञाओं तथा विकास योजनाओं की जानकारी भी बेबसाईट पर उपलब्ध कराई जाती है।

10. महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ

क्रमांक	गतिविधियां	उपलब्धि (नगर)
1.	निवेश क्षेत्र का गठन	158
2.	भूमि उपयोग मानचित्र अंगीकृत	100
3.	विकास योजना प्रकाशित /प्रभावशील	96/72
4.	जिला मुख्यालय नगरो की विकास योजना प्रकाशित	51/51
5.	पुनरीक्षित विकास योजना प्रकाशित/ प्रभावशील	29/16
6.	म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 प्रभावशील	145
7.	नगर विकास प्राधिकरण	10
8.	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	05

11. विकास योजना बनाने में जनसंख्या का प्रतिशत

नगर विकास योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के कुल 96 नगरों की विकास योजनायें तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत प्रदेश की 75 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या लाभान्वित हुई है।

भाग – दो

बजट

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश को विगत वर्षों में ''आयोजना'' बजट के अंतर्गत निम्नानुसार राशि आवंटित एवं व्यय हुई :–

वर्ष	आयोजना बजट आवंटन (लाख रूपये में)	व्यय (लाख रूपये में)
2012–13	731.01	562.05
2013–14	975.00	771.52
2014–15	1285.02	909.26 (31 दिसम्बर 2014 तक)

भाग – तीन

राज्य प्रवर्तित योजना

क.	योजना का नाम	वर्ष	भौतिक		वित्तीय (रू.लाख में)	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	विकास योजना बनाना पुनर्विलोकन एवं उपांतरण	2012–13	14नगरो की वि0यो.	6 नगरो के प्रारूप प्रकाशित	300.01	206.44
		2013–14	14 नगर	10 नगरों की विकास योजना तैयार	320.00	194.58
		2014–15 (31 दिसम्बर	12 नगर	10 नगरों की विकास योजना तैयार	350.00	214.00

		2014 तक)		2 वि.योजना प्रकाशित 3वि.योजना तैयार एवं 4 वि.योजना अनुमोदित		
2.	प्रादेशिक योजना	2012–13 2013–14 2014–15	1 रीजन 1 रीजन 1 रीजन	भोपाल केपीटल रीजन कार्य अंतिम चरण में ग्वालियर चंबल एग्रो रीजन भोपाल केपीटल रीजन	80.01 85.00 90.00	39.30 79.33 25111
3.	सूचना प्रौद्योगिकी	2012–13 2013–14 2014–15	4 कार्या. /4 नगर 4 कार्या. /4 नगर 8 कार्या. /8 नगर 4 कार्या. जी.आई. एस में उन्नयन.	4 कार्यालय 4 कार्यालय 8 कार्या./8 नगर 4 कार्या. जी.आई.एस में उन्नयन.	250.01 265.00 270.00	83.25 229.19 121.26
4	विकास प्राधिकरण को अनुदान	2012–13 2013–14 2014–15	7 नगर 7 नगर 7नगर	7 नगर 7 नगर 7 नगर	300.00 305.00 574.009	300.00 305.00 574.00

टीपः– सूचना प्रौद्योगिकी अन्तर्गत संचालनालय एवं इसके समस्त 28 कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। इस योजना हेतु शासन द्वारा म.प्र. विकास प्राधिकरण संघ को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया हैं। म.प्र. विकास प्राधिकरण संघ द्वारा 4 नगरों की बेव बेस्ड जी आई एस एप्लीकेशन तैयार की गई हैं।

2. वित्तीय वर्ष 2014–2015(दिसम्बर 2014 तक) की उपलब्धियॉ

भौतिक उपलब्धियॉ

(अ) प्रारुप विकास योजना प्रकाशित (2 नगर) — 1.सीहोर, 2. आगर (मालवा)

(ब) प्रारूप विकास योजना प्रगति पर (3 नगर) — 1.इटारसी, 2.खजुराहो, 3.चित्रकूट

(स) अनुमोदित विकास योजनाऐं (4 नगर) — 1. गंजबासौदा, 2. होशंगाबाद, 3. पिपरिया, 4. ग्वालियर

भाग – चार

1. न्यायालयीन कार्यों की स्थिति

एक वर्ष 2014 की अवधि में नगर तथा ग्राम निवेश से संबंधित कुल 147 प्रकरण विभिन्न स्तर के न्यायालयों में प्रस्तुत किये गये तथा 58 प्रकरणो प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये गये। 14 प्रकरणों में जबाव दावे प्रस्तुत किये जा चुके हैं, जिसमें 5 प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया।

2. प्रशासकीय गतिविधियॉ

(अ) विगत एक वर्ष की अवधि में प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी में 7 अधिकारियों, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में 1 कर्मचारियों एवं तृतीय श्रेणी के 52 कर्मचारियो को पदोन्नत किया गया हैं। चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में 01 कर्मचारी को पदोन्नति की गई हैं। इसके साथ ही तृतीय श्रेणी के 6 एवं चतुर्थ श्रेणी के 9 कर्मचारियों को समयमान वेतनमान दिया गया है।

(ब) विशेष अभियान एवं अनुकम्पा नियुक्ति एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियो को नियमितिकरण उपरांत कुल 53 नियुक्ति की गई।

3. विधायी से संबंधित कार्यकलाप

विधानसभा में उठाये गये विभिन्न प्रश्नों के उत्तर, दिये गये आश्वासनों तथा प्राप्त याचिकाओं की जानकारी यथासमय दी जाती रही है। इसके अतिरिक्त विधानसभा की लोक लेखा समिति, आश्वासन समिति आदि द्वारा चाही गई जानकारी यथासंभव उपलब्ध कराई जाती है।

मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में संशोधन विधेयक पारित किया गया।

4. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं नियमो में संशोधन

1. मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में नये उपबंध जोडे गये।
2. म. प्र. भूमि विकास नियम 1984 को संशोधित कर म. प्र. भूमि विकास नियम 2012 के रूप में नये नियम लागू किये गये।
3. मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1975 के स्थान पर मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 लागू किये गये।
4. मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम भूमियो, गृहो ,भवनो तथा अन्य संरचनाओ का व्ययन नियम 1975 के स्थान पर मध्य प्रदेश प्राधिकरणो की सम्पत्तियो का प्रबंधन तथा व्ययन नियम 2013 का कार्य प्रचलन में है।
5. मध्य प्रदेश विशेष परियोजना तथा टाउनशिप (विकास विनियमन तथा नियंत्रण) नियम 2011 के प्रभावशील नियमो में संशोधन कर लागू किया गया है।
6. टी.डी.आर संबंधी नियमो का प्रारूप तैयार किया गया जिस पर अग्रिम कार्यवाही प्रचलन में है।

भाग – पांच

प्रकाशन

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा नियमित रूप से विभिन्न नगरों की विकास योजनाओं के प्रारूप एवं अनुमोदित विकास योजनाओं का प्रकाशन म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है।

भाग – छै:

राज्य की महिला नीति का क्रियान्वयन

राज्य की महिला नीति के क्रियान्वयन हेतु उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल नोडल अधिकारी नियुक्त हैं। कार्यालय में महिला कर्मियों की मूलभूत सेवा–सुविधाओं की पूर्ति हेतु अलग से व्यवस्था स्थापित की गई है। वर्तमान में विभाग में कुल 74 महिलाएं कार्यरत है, जो कार्यरत पदों का लगभग 18 प्रतिशत है।

भाग – सात

सारांश

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा 158 नगरीय केन्द्रों के निवेश क्षेत्रों का गठन किया गया है तथा 100 नगरों के वर्तमान भू–उपयोग मानचित्र का प्रकाशन एवं अंगीकरण किया जा चुका है। 95 नगरों की विकास योजनाओं का प्रकाशन किया जा चुका है जिनमें प्रदेश की लगभग 74 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या का नियोजन निहित है। 28 नगरों की पुनरीक्षित विकास योजना का प्रकाशन किया गया है। जिसमें से 14 नगरो की योजनाऐं शासन द्वारा प्रभावशील की जा चुकी है।

———————

राजधानी परियोजना प्रशासन

भाग – एक

संरचना

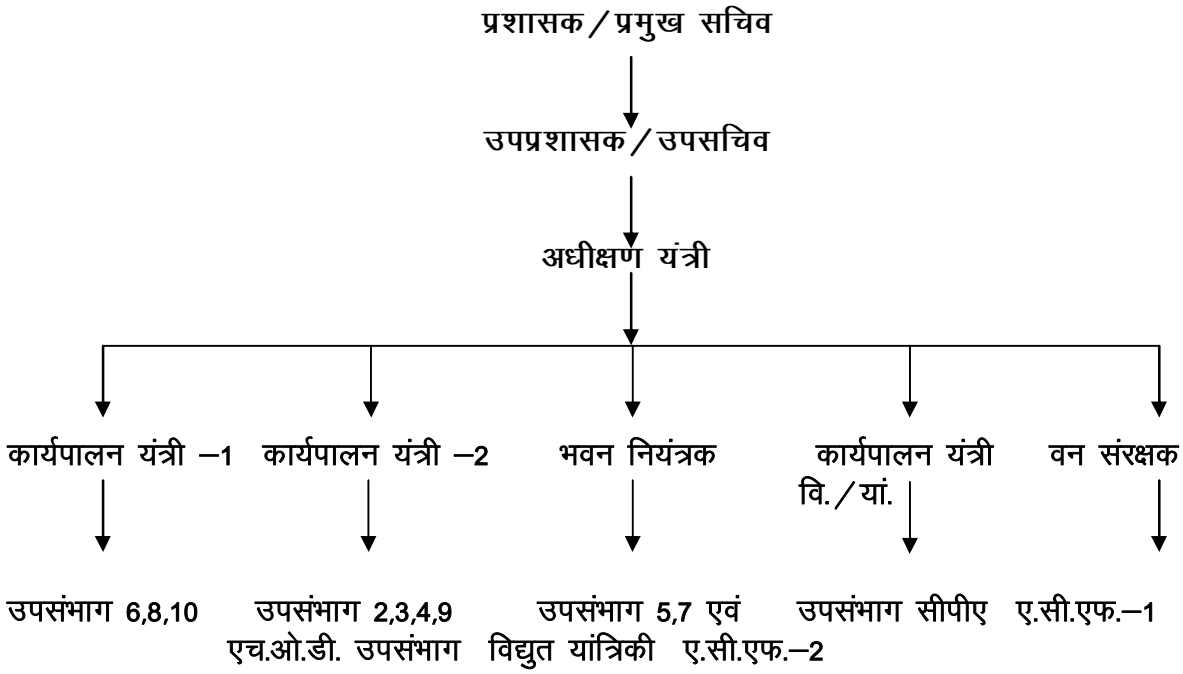

दायित्व

वर्ष 1956 में राज्य पुर्नगठन के उपरान्त जब भोपाल को मध्यप्रदेश की राजधानी बनाया गया तब यह प्रतीत हुआ कि भोपाल प्रदेश की राजधानी बनने के साथ–साथ प्रदेश की प्रशासकीय राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों का केन्द्र बनने जा रही है। इसके अनुक्रम में भोपाल नगर तथा उसके आसपास के ग्रामों का शहरीकरण क्रमशः होना प्रारम्भ हुआ। राजधानी के सुनियोजित एवं त्वरित विकास हेतु राजधानी परियोजना प्रशासन का गठन किया गया।

राजधानी परियोजना द्वारा तत्समय से ही उच्च गुणवत्ता का कार्य सम्पादित कराया गया। राजधानी परियोजना प्रशासन की स्थापना होने के समय का भोपाल शहर आज जनसंख्या के अनुसार 10 – 11 गुना बढ चुका है। और क्षेत्रफल/विस्तार में भी शहर पूर्व की अपेक्षा 12–14 गुना बढ चुका है। क्रमशः भोपाल महानगर के रुप में परिवर्तित हो गया है। भोपाल में राजधानी परियोजना की स्थापना हुई तब से उसका आगे कार्य करना राजधानी में विभिन्न आधारभूत/मूलभूत सुविधाओं को विकसित करना, विभिन्न कार्यों हेतु समन्वयक के रुप में कार्य करना तथा राजधानी क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरुप शासकीय भवन/कार्यालयों/आवास गृहों एवं सौन्दर्यीकरण हेतु बडे पैमाने पर वृक्षारोपण बाग बगीचों का विकास आदि कार्य। उस समय जितना प्रारभ्भिक कार्य आवश्यक था उसकी प्रासंगिकता आवश्यकता आज 10–15 गुना बढ़ी ही है, भोपाल में राजधानी परियोजना प्रशासन की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता तथा उपयोगिता पूर्व की अपेक्षा कई गुना अधिक आज है।

राजधानी परियोजना प्रशासन के अंतर्गत मुख्यताः दो शाखाओं द्वारा कार्य संपादित किए जा रहे हैः–

1 मण्डल कार्यालय, राजधानी परियोजना

मण्डल कार्यालय, राजधानी परियोजना प्रशासन के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र के विभिन्न शासकीय भवनों का निर्माण कार्य, मास्टर प्लान की सड़कों का निर्माण कार्य, डिपाजिट मद के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण/विकास कार्य तथा अन्य विकास कार्य सम्पादित किये जा रहे। साथ ही परियोजना क्षेत्र में स्थित महत्वपूर्ण शासकीय भवनों तथा मंत्रालय सतपुड़ भवन/विन्ध्याचल भवन नई एवं पुरानी विधान सभा भवनों का रख–रखाव संबधी कार्यों के साथ ही बाग– बगीचों का विकास एवं संधारण कार्य तथा मार्गों का चौडीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा विद्युतीकरण संबधी अनकों कार्य किये जा रहे है। इसके अन्तर्गत एक अधीक्षण यंत्री कार्यालय, चार कार्यपालन यंत्री के संभागीय कार्यालय एवं नौ उपसंभागीय कार्यालय एवं अधिनस्थ अमला लोक निर्माण विभाग के मेन्युअल अनुसार स्वीकृत होकर कार्यरत है।

2 वनमण्डल राजधानी परियोजना

राजधानी परियोजना के अन्तर्गत वनमंडल कार्यालय का गठन दिनांक 21.2.1986 को निम्नलिखित उदेद्श्यों हेतु किया गया। भोपाल शहर पहाडी एवं पथरीले होने के कारण यहां की भूमि को बडे ही सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित कर शोभायमान, फलदार एवं छायादार वृक्षों का रोपण किया गया है और पर्यावरण महत्व के पौधों का रोपण करके आस–पास के खुले एवं वीरान क्षेत्रों में हरा–भरा कर सौन्दर्यीकरण करना एवं उसका रख–रखाव करना भी मण्डल का प्रमुख दायित्व रहा है। अवंछिनीय खरपतवार का उन्मूलन करना, शासकीय रिक्त भूमि के अवैध उत्खन्न एवं अतिक्रमण से बचाने हेतु आवश्यकता अनुसार फेंसिग तथा उपयुक्त भूमि पर पौधों का रोपण करना, नालों के आस–पास वृक्षारोपण कर पर्यावरण सुधारना एवं भूमि के कटावों को भू–संरचना उपायों से रोकना।

भाग – 2

बजट प्रावधान –लक्ष्य व्यय (योजनावार)

क्र	योजना का नाम	2012–2013		2013–2014		2014–2015	
		प्रावधान	प्रावधान	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय12/2015तक
1	भूमि डिक्रीधन का भुगतान (भारित)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3115 भूमि भूअर्जन हेतु मुआवजा (भारित)	22.00	22.00	51.00	50.94	30.00	00.00
3	0284 अरिहायसी भवन	600.00	600.00	530.00	537.13	400.00	216.91
4	1555 विधानसभा तथा विधायक विश्राम गृह	50.00	50.00	1.00	0.26	0.00	0.00
5	3763 रिहायसी भवन	50.00	50.00	53.50	66.43	150.00	150.00
6	4339 सड़क एवं पुल	3000.00	3000.00	3200.00	3177.55	3350.00	1891.11
7	1021 क्षेत्रों का सौन्दर्यीकरण आदि	750.00	750.00	800.00	784.92	900.00	519.73
8	5872–वार मेमोरियल का निर्माण(सर्वेक्षण अन्वेक्षण रूपाकन)	200.00	200.00	915.00	892.63	150.00	0.00
9	2217–1021क्षेत्रों का सौन्दर्यीकरण (अनुरक्षण कार्य)	600.00	600.00	630.00	588.71	565.00	353.70
10	3414 मशीन एवं उपकरण	15.00	15.00	16.00	11.44	12.00	9.45
11	7219 मोबिलिटि एवं उन्नत प्रौद्योगिकी	15.00	15.00	00.00	00.00	00.00	00.00
12	7213 मंत्रालय का विस्तार कार्य	20.00	20.00	200.00	199.98	750.00	175.31
13	6793 लोकायुक्त कार्यालय भवन	10.00	10.00	450.00	499.98	650.00	503.05
14	7366 न्यू ट्रांजिस्ट हॉस्टल भवन का निर्माण	10.00	10.00	00.00	00.00	0.01	00.00
15	7365 प्रशिक्षण संस्थान के उन्नयनीकरण एवं विस्तार कार्य (सिविल) सेवाऐं	-	-	00.00	00.00	0.01	00.00

क्र	योजना का नाम	2012–2013		2013–2014		2014–2015	
		प्रावधान	प्रावधान	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय12/2015तक
16	न्यायलयीन प्रकरण में राशि जमा कराने बाबत (भारित)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2059–6720–32कार्यालय भवनों का लघु निर्माण कार्य	350.00	350.00	282.00	283.01	400.00	51.20
18	2059–6720–33कार्यालय भवन का अनुरक्षण कार्य	900.00	900.00	1000.00	992.41	1640.00	936.39
19	2059–5465–33सतपुड़ा विन्ध्याचल भवनों का रखरखाव	300.00	300.00	350.00	349.89	329.00	189.91
20	गैस राहत चिकित्सालयों का लघु निर्माण कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2059–5465–33गैस राहत चिकित्सालयों का अनुरक्षण कार्य	200.00	200.00	200.00	164.77	188.00	99.95
22	2216–6218–33सरकारी रिहायसी भवनों का लघु निर्माण कार्य	115.00	115.00	100.00	99.36	110.00	1.94
23	2216–6218–33सरकारी रिहायसी भवनों का अनुरक्षण कार्य	155.00	155.00	150.00	149.24	173.00	113.85
24	2216–5486–33गैस चिकित्सालयों का आवास गृहों का अनुरक्षण कार्य	40.00	40.00	40.00	20.01	37.60	10.20
25	2216–6989–32 विधायक विश्राम गृहों का लघु निर्माण कार्य	30.00	30.00	30.00	27.91	40.00	0.00
26	2216–6989–33विधायक विश्राम गृहों का अनुरक्षण कार्य	409.37	409.37	445.00	336.86	423.00	167.42
27	3054–7320–33राजधानी में सड़कों का अनुरक्षण कार्य	1100.00	1100.00	1300.00	1296.01	1410.00	1386.30
28	विधायक विश्राम गृहों में (बृहत निमार्ण कार्य)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	21–2059–01–053–9061–51–5999–शौर्य स्मारक हेतु प्रादर्शो का एकीकरण एवं प्रस्तुतीकरण	-	-	500.00	381.00	94.00	0.00
30	2059–9083–33 शौर्य स्मारक का संचालन एवं संधारण (अनुरक्षण)	-	-	-	-	9.40	4.81

भाग – तीन

अ. राज्य योजनायें

वर्ष 2014–15

1. मांग संख्या 21 शीर्ष 4217 आयोजना के अन्तर्गत राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल हेतु वर्ष 2014–15 के लिये रुपये 6818.99 लाख का आवंटन प्रदाय किया गया जिसके अन्तर्गत निम्न लिखित कार्य कराये गये एवं प्रस्तावित है।
2. कोलार रोड़ से होशंगाबाद रोड को जोडने वाली मास्टर प्लान 200 फीट चौड़ी सडक का निर्माण कार्य (लम्बाई 4.5 कि.मी.)
3. होशंगाबाद रोड से (श्री गणेश नगर के पास) आशाराम नगर कटारा हिल्स से वायपास को जोड़ने वाली 60 मीटर चौडी मास्टर प्लान सड़क का निर्माण कार्य। (लम्बाई 2.00 कि.मी.)
4. लहारपुर से संत आशाराम नगर तक प्रस्तावित 60 मीटर चौड़ी मास्टर प्लान सड़क का निर्माण कार्य। (लम्बाई 1.50 कि.मी.)
5. कलियासोत नहर के समानन्तर मास्टर प्लान सड़क एवं कोलार रोड़ एन.एच.–12 को जोडने वालें मार्ग के बीच, को–आर्डीनेशन मार्ग निर्माण कार्य। (लम्बाई 2.00 कि.मी.)
6. साकेत नगर से अमरावद खुर्द होते हुए बायपास रोड़ को जोड़ने वाली मास्टर प्लान सड़क निर्माण (लम्बाई 6.00 कि.मी.)।

7. एम्स रोड़ से भवानी धाम जैन मंदिर होते हुए पंचवटी मार्केट तक मास्टर प्लान सड़क तक चौड़ीकरण का कार्य।
8. 9–ए,साकेत नगर से बाग सेवनिया के बीच बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के पीछे बाऊन्ड्रीवॉल के समानान्तर जाने वाले मास्टर प्लान मार्ग का सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण कार्य। (2लेन से 4लेन) कार्य।
9. महात्मा गांधी चौराहे से विवेकानन्द चौराहे तक मार्ग का चौडी करण कार्य। (2लेन से 4लेन)
10. मनुआभान की टेकरी में सड़क का सुद्ढ़ीकरण एवं विकास कार्य।
11. अवंतीबाई चौराहे से एम.ए.सी.टी. कॉलेज तक मार्ग चौड़ीकरण में बाधक 11 के.वी. लाइन, पोल डी.पी.स्ट्रक्चर एवं एल.टी.लाईन शिफ्टिंग का कार्य।
12. हबीबगंज नाका डी.आर.एम. ऑफिस से साकेतनगर मार्ग पर विद्युतीकरण कार्य।
13. साकेत नगर पिपलिया पेंदे खां के समीप एम्स मार्ग पर स्ट्रीट लाईट विद्युतीकरण कार्य।
14. मास्टर प्लान कोलार जक्शन से नेहरू नगर मार्ग पर स्ट्रीट लाईट विद्युतीकरण कार्य।
15. एम.पी. एस.आर.टी.सी. (डिपो) चौराहा से प्रेमपुरा चौराहा (भदभदा पुल)तक (2लेन से 4लेन) करने बावत।
16. शाहपुरा तिराहा (सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के समीप) से कलियासोत मुख्य नहर तक मास्टर प्लान सड़क चौड़ीकरण एवं उन्नयनीकरण कार्य।
17. भदभदा ब्रिज जक्शन से सैर सपाटा होते हुए वन–बिहार गेट तक मार्ग चौड़ीकरण कार्य।
18. बाग मुंगलिया से जाटखेडी तक मास्टर प्लान सड़क का निर्माण कार्य (लम्बाई 2.00 कि.मी.)। प्रथम चरण चौडाई 2 लेन का कार्य।
19. करोंद भोपाल के पास वार्ड क्रमांक–70 में सीमेन्ट कांक्रीट सड़कों का निर्माण शेष कार्य।
20. माता मंदिर क्षेत्र में **36** नग **'एफ'** टाईप आवास गृहों का निर्माण कार्य।
21. लोकायुक्त कार्यालय भवन का निर्माण कार्य।
22. शौर्य स्मारक के द्वितीय चरण का कार्य।
23. प्रकाश तरण पुष्कर में दर्शक दीर्धा के लिए शेड़ का निर्माण कार्य।
24. पर्यावरण परिसर स्थित झील संरक्षक प्राधिकरण (एल.सी.ए.)में कान्फेन्स हॉल,लेक्चर हॉल,
25. ऑडीटोरियम किचन, स्टोर फरारी , इत्यादि निर्माण कार्य।
26. मंत्रालय वल्लभ भवन स्थित मान0 मुख्यमंत्री कक्ष , प्रतीक्षा कक्ष, पेन्ट्री तथा अन्य कक्षों का उन्नयन कार्य।

2. प्रस्तावित कार्य (नवीन)

1. नवीन ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण।
2. मंत्रालय भवन के पृथक प्रखण्ड का निर्माण कार्य।
3. कोलार रोड स्थित गार्डन में स्वीमिंग पूल एवं हेल्थ क्लब का निर्माण कार्य।
4. होशंगाबाद रोड़ से एन.एच.12 के निकट 60 मी. चौडी रोड जंक्शन से जे.एन. यू. आर. एम. कालोनी जंक्शन (निरूपम रायल पाम जंक्शन होते हुए 18 मी. चौडी मास्टर प्लान कोआर्डीनेशन सड़क का निर्माण कार्य) (लम्बाई 1 कि.मी. चैाडाई 18 मीटर)।
5. ऋषिपुरम फेस –1 से विवेकानन्द विद्यापीठ रोड तक मास्टर प्लान सड़क का निर्माण कार्य।
6. अयोध्या फेस –5 से म्युजिकल गार्डन हथाईखेडा डेम तक मार्ग चौड़ीकरण एवं डामरीकरण कार्य।
7. कोलार रोड जंक्शन विशाल मेघा मार्ट से अमरनाथ कॉलोनी होते हुए जागरण कॉलेज कलियासोत बैराज तक 24 मीटर चौड़े को आर्डीनेशन मास्टर प्लान सड़क निर्माण (लम्बाई 3. 15 कि0मी0 चौड़ाई 24 मीटर) 1. प्रथम चरणके अन्तर्गत मात्र दो लेन सड़क का निर्माण अमरनाथ कालोनी से जागरण कालेज जंक्शन तक (2.40कि0मी0)।
8. आठ कॉलोनियों को जोड़ने वाली भोज विश्वविद्यालय की बाउण्ड्रीवाल के समानान्तर सकरी सड़क का चौड़ीकरण कार्य (कोलार रोड एवं कलियासोत बांध के नीचे वाल्मी वाली मार्ग को जोड़ने वाली लिंक रोड)
9. ग्राम सिंगार चोली से भानपुरा तक सड़क मे प्रथम चरण में ग्राम सिंगार चौली से बैरसिया रोड़ तक 2 लेन का निर्माण कार्य।

10. गोन्दिपुरा से खेजड़ा बरामद तक मास्टर प्लान सड़क का निर्माण कार्य।
11. कोलार रोड़ से चन्दनपुरा तक 200 फीट चौड़े मार्ग का निर्माण कार्य।
12. शाहपुरा तालाब के डाउन स्ट्रीट पर पाथवे पर फाउन्टेन एवं लैण्ड स्केपिंग एवं विकास कार्य।
13. क्षेत्रों का सौन्द्रयीकरण आदि एवं खुले क्षेत्र में वेल्डेड –मेश फेंसिंग का कार्य।
14. भोपाल शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 65000 पौधों का रोपण कार्य एवं रोपित पौधों का रख–रखाव करना।
15. सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क का विकास एवं रख–रखाव कार्य।
16. स्वर्ण जयंती पार्क का उन्नयन कार्य।
17. सिंगार चोली एवं बोरवन नगर वनक्षेत्र को उद्यान विकास के रूप में विकसित करना।
18. अरेरा कॉलोनी स्थित पार्कों का विकास कार्य।
19. 24 शूट्स रेस्ट हाउस के पीछे पार्क का विकास कार्य।

ब. केन्द्र प्रवर्तित योजना : – निरंक
स. विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं : – निरंक
द. विदेशी सहायता प्राप्त योजनाऐं/परियोजनाऐं : – निरंक

3. ई. अन्य योजनाऐं

मध्यप्रदेश, राज्य जन जाति संग्रहालय भवन का निर्माण कार्य, शौर्य स्मारक का निर्माण कार्य, सुशासन नीति एवं विश्लेषण भवन का निर्माण कार्य, वाणिज्यिक कर भवन का निर्माण कार्य एवं सूचना केन्द्र भवन का निर्माण, राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अकादमी भवन ;7 – 8द्ध , लायब्रेरी ब्लॉक एवं प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य एवं खेल गतिविधियों से संबंधित केन्द्रीय खेल छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

भाग – चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

1. **विभागीय पदोन्नति :– निरंक**
2. **नियुक्ति :– निरंक**
3. **विभागीय जांच :– निरंक**
4. **न्यायालयीन प्रकरण :–**

राजधानी परियोजना प्रशासन के अन्तर्गत चल रहे विभिन्न न्यायलयीन प्रकरणों की स्थिति संतोषजनक है तथा जवाब –दावे प्रस्तुत कर दिये गये है।

भाग – पांच

अभिनव योजना

राजधानी परियोजना प्रशासन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में जो महत्वपूर्ण कार्य हाथ में लिये गये है, उनमें मंत्रालय का विस्तार कार्य, लोकायुक्त भवन का विस्तार कार्य निर्धारित समय–सीमा से पूर्व गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण किया गया है। नवीन एम.एल.ए. रेस्ट हाउस का निर्माण कार्य के साथ–साथ ट्राजिस्ट हास्टल का निर्माण एवं 36 नग एफ टाईप क्वाटर्स का निर्माण कार्य तथा महत्वपूर्ण मास्टर प्लान रोडो का निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्य कोलार रोड में स्वर्ण जयंती पार्क का विकास एवं उन्नयन तथा मेन रोड क्रमांक – 3 में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क उन्नयन कार्य आदि राजधानी परियोजना प्रशासन के अभिनव योजनायें रही है। इसके अलावा भोपाल शहर के अतिमहत्वपूर्ण मास्टर प्लान मार्गो का निर्माण कर यातायात हेतु उपलब्ध कराया है। भोपाल शहर को सुन्दर एवं पर्यावरण की दृष्टि से संपन्न बनाने हेतु ज्यादा मात्रा में वृक्षारोपण का कार्य संपन्न कराया है।

भाग –छः

महिला नीति

महिला नीति के अन्तर्गत राजधानी परियोजना मण्डल, राजधानी परियोजना प्रशासन में कार्यरत महिलाओं के लिये विश्राम अवकाश में विश्राम कक्ष आवंटित किया गया हैं। इसके अतिरिक्त कामकाजी महिलाओं पर रोकथाम एवं यौन उत्पीडन आदि शिकायतों पर कार्यवाही करने हेतु महिला कर्मचारियों के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

भाग –सात

सारांश

राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा पूर्व में नवीन विधान सभा भवन, सतपुड़ा/ विन्ध्याचल भवन, मध्यप्रदेश प्रशासन अकादमी, शासकीय गीतांजली कन्या महाविद्यालय, भारत भवन, संस्कृति भवन, इत्यादि अतिमहत्वपूर्ण भवनों का निर्माण कार्य कराया गया है एवं इसका संधारण संबधी कार्य भी किया जा रहा है। मध्यप्रदेश राज्य जन जाति संग्रहालय भवन का निर्माण कार्य, शौर्य स्मारक का निर्माण कार्य, सुशासन नीति एवं विश्लेषण भवन का निर्माण कार्य, वाणिज्यिक कर भवन का निर्माण कार्य एवं सूचना केन्द्र भवन का निर्माण, राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अकादमी भवन (7 & 8), लायब्रेरी ब्लॉक एवं प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य एवं खेल गतिविधियों से संबंधित केन्द्रीय खेल छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

राजधानी के विकास में मास्टर प्लान के अनुरुप आवश्यकताओं के अनुसार कई सडकों का निर्माण/ चौड़ीकरण भी राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा किया जा रहा हैं एवं इसके अतिरिक्त मास्टर प्लान 2005 की प्रमुख 24 सड़कों के सर्वे एवं सीमांकन का कार्य पूर्ण किया जाकर नवीन मास्टर प्लान सड़को के प्रस्ताव तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे भविष्य में राजधानी परियोजना वासियों को सुगम मार्ग एवं स्वच्छ पर्यावरण का लाभ होगा, इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणी के लगभग 6000 शासकीय आवास गृहों का निर्माण कार्य भी राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा कराया गया है एवं अनेक शासकीय आवास गृहों निर्माण कार्य प्रस्तावित है। राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तरीय पार्कों का विकास किया गया है तथा श्री गुरु गोविन्द सिंह पार्क, मयूर पार्क, चिनार पार्क, प्रियदर्शिनी पार्क, शाहपुरा के किनारे पार्क, 5 नं पर जवाहर बाल उद्यान, स्वराज पार्क श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क एवं बोरवन पार्क इत्यादि के संधारण कार्य भी राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। शहर में चौतरफा वृक्षारोपण कर सुन्दर तथा हरा भरा बनाने का पूरा श्रेय भी राजधानी परियोजना प्रशासन को ही है।

———

मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल

भाग – एक

1. अधीनस्थ कार्यालय

उपायुक्त (वृत्त कार्यालय), सिविल (आठ), विद्युत (एक) तथा संभागीय कार्यालय सिविल (उन्तीस), विद्युत (तीन) व उप संभागीय कार्यालय हैं।

2. दृष्टिकोण

2.1 मंडल का हितग्राहियों के प्रतिदृष्टिकोण :

अ हितग्राहियों के लिये सुन्दर, सुदृढ़ व किफायती मूल्य पर भवन निर्मित करना।
ब जनताको आधुनिक कम लागत के निर्माण की तकनीक से अवगत कराना।
स परियोजनायें समय पर एवं बिना मूल्य वृद्धि के पूर्ण करना।
द अधोसंरचना योजनाओं में उपभोक्ताओं को पूर्ण संतुष्टि देना।

2.2 मंडल का शासन के प्रतिदृष्टिकोण :

अ शासन की नीति के अनुसार गरीब कमजोर एवं मध्यम वर्ग के हितग्राहियों के लिये योजनाओं का क्रियान्वयन तथा शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति।
ब शासन पर वित्तीय भार को शून्य करना और यथासंभव पूरे ब्याज का भुगतान करना।
स शासन की नीतियों, निर्देशों एवं योजनाओं का कार्यान्वयन।

2.3 मंडल का अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति दृष्टिकोण :

अ मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति निष्पक्ष एवं स्वच्छ, पारदर्शी वातावरण सुनिश्चित करना। प्रशिक्षण देकर उत्थान के अवसर प्रदान करना।
ब मानव संसाधन विकास की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को लागू करना।

3. मण्डल के उद्देश्य

3.1 वर्ष 2014–15 से वर्ष 2016–17 (3 वर्षो) की वर्षवार कार्य योजना के अनुसार मूर्त रूप देना, प्रशासकीय व्यय कम करना, किफायती मूल्य के भवन निर्माण के मार्गदर्शी सिद्धांतो को अमल में लाना।
3.2 भवन निर्माण में फ्लाई ऐश की ईंटो का उपयोग एवं पर्यावरण अनुकूल नवीन तकनीकी एवं किफायती मूल्य के भवनों का निर्माण एवं विकास कार्य सुनिश्चित करना।
3.3 समाज के सभी वर्गों हेतु आवासों एवं भूखण्डों का निर्माण/विकास।
3.4 अन्य विभागों/संस्थाओं हेतु निक्षेप योजनान्तर्गत निर्माण कार्य करना।
3.5 वेब साइट के माध्यम से मण्डल की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना।

4 स्थापना

मध्यप्रदेश में म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की स्थापना वर्ष 1960 में हुई, एवं आवास स्थान की आवश्यकता के संबंध में कार्यवाही करने तथा उस आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु तथा अधोसंरचना विकास का दायित्व लेने हेतु उपाय करने के प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश राज्य में गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मण्डल की निगमन और विनियमन के लिए तथा उससे संबंधित कार्यो के लिए उपबंध करने हेतु मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संशोधन अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यरत है। मण्डल की स्थापना प्रदेश की आवासीय समस्याओं के निराकरण की दृष्टि से आवासहीन व्यक्तियों के लिये आवास गृहों के निर्माण एवं आवासीय भूखंडों को विकसित कर नागरिक सुविधाओं सहित उपलब्ध कराने के उददेश्य से की गई है। नागरिकों की आवासीय सुविधा के साथ–साथ बोर्ड द्वारा केन्द्र सरकार, मध्यप्रदेश शासन, अर्द्धशासकीय संस्थाओं, निगमों, मण्डलों, बैंकों, सहकारी समितियों के भवन निर्माण संबंधी कार्य डिपाजिट कार्य के अन्तर्गत संपन्न कराये जाते हैं। मण्डल की आवासीय योजनाओं में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण का पालन किया जाता है।

5 निर्माण एवं विकास कार्य

मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की स्थापना से दिसम्बर 2014 तक विभिन्न आय वर्ग श्रेणियों के लिये 1,67,616 आवास गृह तथा 1,54,363 भूखण्डों का निर्माण एवं विकास किया गया है। भूखंड एवं भवनों के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति जैसे आफिस काम्पलेक्स, शापिंग सेन्टर, वाणिज्यिक क्षेत्र तथा लोकोपयोगी भवन आदि का निर्माण भी कराया गया है।

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अपनी आवासीय गतिविधियों के साथ–साथ केन्द्र शासन, राज्य शासन एवं उनके उपक्रमों हेतु निर्माण कार्य सम्पादित करता है। इस कड़ी में मण्डल द्वारा केन्द्र शासन हेतु केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इसरो एवं राज्य शासन हेतु आदिमजाति कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग पर्यटन विभाग, पुलिस विभाग, प्रदेश के विभिन्न विश्व विद्यालयों हेतु निर्माण कार्य निष्पादित किये हैं।

भाग – 2

1. मण्डल की पाँच वर्षो की भौतिक एवं वित्तीय प्राप्तियां निम्नानुसार रही :–

(1) भवन निर्माण

क्रमांक	विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15 (दिसम्बर 2014तक)
1.	ई.डब्ल्यू.एस.	30	310	1048	910	185
2.	एल.आई.जी.	194	734	570	640	220
3.	एम.आई.जी.	257	398	265	340	104
4.	एच.आई.जी.	422	462	271	404	254
	कुल	**903**	**1904**	**2154**	**2294**	**763**

(2) भूखण्ड विकास

क्रमांक	विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15 (दिसम्बर 2014तक
1.	ई.डब्ल्यू.एस.	225	531	542	887	254
2.	एल.आई.जी.	297	345	472	753	156
3.	एम.आई.जी.	317	503	523	611	181
4.	एच.आई.जी.	310	355	300	288	74
	कुल	**1149**	**1734**	**1837**	**2539**	**665**

(3) भू–अर्जन

क्रमांक	विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15 (दिसम्बर 2014तक)
1.	भू–अर्जन (हैक्टर)	70.00	81.776	98.298	65.638	38.97

(4) टर्न ओव्हर

राशि रू.करोड़ में

क्रमांक	विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15 (दिसम्बर 2014तक)
1.	सम्पत्ति का विक्रय एवं निक्षेप कार्यों पर व्यय	356.81	407.85	550.27	453.72	226.25

(5) स्वीकृत परियोजनाएँ

राशि रू.लाख में

क्रमांक	विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15 (जनवरी 2015तक
1.	मण्डल द्वारा स्वीकृत परियोजनायें	34070.45 (59)	17099.00 (24)	14142.00 (9)	22890.00 (23)	96734.90 (14)
2.	उपरोक्त परियोजनाओं में से वित्तीय संस्थाओं से स्वीकृत परियोजनायें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	उपरोक्त परियोजनाओं में से वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(6) प्रशासनिक व्यय

राशि रू.लाख में

क्रमांक	विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15 (दिसम्बर 2014तक)
1.	प्रशाासनिक व्यय	5440.00	6520.00	8440.00	6809.00	1953.00

(7) आगामी दो वर्षो के प्रस्तावित लक्ष्य

वर्ष	भवन	भूखण्ड	भू–अर्जन (हैक्टेयर)	टर्न–ओवर (रू. करोड़ में)	स्वीकृत परियोजनाएँ (रू.करोड़ में)	प्रशासनिक व्यय (रू.करोड़ में)
2015–16 (अनुमानित)	7500	2600	200.00	600.00	550.00	45.00
2016–17 (अनुमानित)	7500	2700	200.00	600.00	600.00	55.00

2. मंडल का कम्प्यूटराईजेशन

अ मण्डल की कार्य प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने एवं सभी कार्यो के समयबद्ध व सुचारू रूप से निष्पादन हेतु कम्प्यूटराईजेशन का कार्य प्रगति पर है।

ब हाउसिंग बोर्ड की बेबसाईट जनसुविधा हेतु तैयार की गई है, जिसकाdomain name http://www.mphousing.inहै, एवं इस पर म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध हैं।

3. मण्डल की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु प्रभावी कदम

3.1 मण्डल के सभी प्रभागों का कम्प्यूटराईजेशन।

3.2 योजनाओं की मंजूरी हेतु समय–सीमा का निर्धारण।

3.3 क्वालिटी कन्ट्रोल सेल द्वारा सभी परियोजनाओं का समय–समय पर निरीक्षण एवं निर्माण क्वालिटी पर अधिक बल।

3.4 कर्मचारियों व अधिकारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु समय–समय पर ट्रेनिंग व प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया गया। मण्डल द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को CRISP के माध्यम से Computer संबंधी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है।

3.5 मण्डल से संबधित सभी शिकायतों के समयसीमा में समाधान हेतु शिकायत निवारण सेल (CUSTOMER GREVANCE REDRESSAL CELL) कार्यरत है।

3.6 मंडल के परिपत्रों एवं मण्डल एवं राज्य शासन के बीच हुए लक्ष्य पूर्ति करारनामें को बेवसाईट पर उपलब्ध कराया जाना।

3.7 मण्डल द्वारा आवासीय योजना में पंजीयन हेतुmponlineके माध्यम से ऑनलाईन व्यवस्था लागू की गई है

4. कस्टमर ग्रिवेन्स रिड्रेसल सेल

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल मे कस्टमर ग्रिवेन्स रिड्रेसल सेल की स्थापना जनवरी–2003 को हुई। इसकी स्थापना का उद्देश्य मंडल के हितग्राहियों एवं मंडल से संबंधित जनसामान्य की शिकायतों का त्वरित निराकरण करना है।

इस सेल की स्थापना से दिसम्बर 2014 तक 2953 शिकायतें मंडल के हितग्राहियों से म.प्र. शासन के जन शिकायत निवारण विभाग से एवं अन्य विभागों से प्राप्त हुई, उनमें से 2720 अर्थात 92 प्रतिशत शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है।

5. गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ

मंडल द्वारा अपने निर्माण कार्यो को निर्धारित गुणवत्ता के साथ निष्पादन की सुनिश्चितता हो, इस उद्देश्य से गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन मुख्यालय स्तर पर किया गया है। गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा मंडल के विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्यो का आवश्यकतानुसार निरीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य शासकीय विभागों से सेवानिवृत्त अधीक्षण यंत्री, मुख्य अभियंता एवं प्रमुख अभियंता की सेवायें भी मण्डल के निर्माण कार्यो कि गुणवत्ता बनाये रखने हेतु क्वालिटी मानिटर्स के रुप में ली जा रही है। निरीक्षण के अंतर्गत प्रकोष्ठ द्वारा जारी की जाने वाली निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है। मुख्य तक परीक्षक (सर्त.) म.प्र. शासन द्वारा भी समय समय पर निरीक्षण किया जाता है, तथा उनकी अनुशंसाओं का पालन मण्डल द्वारा किया जाता है।

6. मंडल द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन

मण्डल द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति एवं जनसामान्य को आवासीय भवन एवं भूखण्ड उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस वर्ष 14 योजनायें जिनकी लागत रू. 967.349 करोड़ है स्वीकृत की गई हैं।

8. म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की स्वयं की महत्वपूर्ण निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित आवासीय योजनाओं की जानकारी

उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रदेश के विकास/रोजगार/अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण होगा जिससे निवेशकर्ता प्रदेश की ओर आकर्षित होगा एवं प्रदेश के सामाजिक स्तर के उन्नयन में सहायक होगा।

प्रदेश के कई शहरों एवं जिला मुख्यालयों पर शासकीय भवन ऐसी भूमि पर स्थित है, जिनका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है, ऐसी भूमि का उपयोग आवास समस्या हल करने के लिए उपयोग में लाने बावत् राज्य शासन द्वारा पुनर्घनत्वीकरण (रीडेन्सीफिकेशन) योजना तैयार की गई है।

9. प्रमुखता

⇒ म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा निजी भागीदारी के माध्यम से बड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा, जिससे शासन पर आर्थिक भार न होते हुए शहर का विकास किया जा सके। म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा व्यवसायिक रूप से परिसरों के निर्माण कार्य हेतु प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर की प्रतिष्ठित एवं विशेषज्ञता प्राप्त संस्थाओं से योगदान प्राप्त कर निर्माण कार्य पूर्ण किये जावेंगे, जिसके लिए अधोसंरचना का विकास इस प्रकार किया जावेगा कि उनकी भागीदारी स्वतः ही सुनिश्चित हो जावे। इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के प्रमुख शहरों से प्रारम्भ किया जावेगा।

⇒ प्रदेश में कम मूल्य की निर्माण सामग्री का समुचित प्रचार एवं प्रसार हो, इस हेतु मुख्य निर्माण एजेन्सी के रूप में इन तकनीकी का क्रियान्वयन तथा निर्मिति केन्द्रों के माध्यम से प्रचार।

⇒ अटल आश्रय योजनांतर्गत तीन स्थानों पर 2346 भवन निम्न आय वर्ग, कमजोर आय वर्ग के लिये निर्मित किये जा रहे हैं एवं चार स्थानों के लिये योजना शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है।
पांच स्थानों पर मण्डल द्वारा प्रारभिक योजना तैयार की गई है एवं इसे शीध्र ही शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

⇒ मण्डल द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि किये जाने वाले कार्यो में न सिर्फ जनभागीदारी सुनिश्चित की जावे, बल्कि निर्माण कार्य भी इस प्रकार हों कि प्रदेश के लोगों को अधिकाधिक रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकें।

⇒ यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि छोटे शहरों में भी योजनायें प्रारम्भ की जावें, ताकि उनका न सिर्फ विकास हो सके अपितु उन क्षेत्रों की जनसंख्या को बड़े शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति से रोका जा सके।

⇒ मंडल द्वारा विकसित कालोनियों के सुचारू रख–रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2014–2015 में 31.01. 2015 तक 17 कालोनियाँ स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित की हैं, जिस हेतु राशि रूपये 2236.77 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई एवं 14 कालोनियाँ हस्तान्तरण की प्रक्रिया में है।

10. शासन के अन्य विभागों हेतु कन्सलटेंसी

मण्डल द्वारा अपनी परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के अलावा भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के अन्य विभागों के लिए डिपाजिट वर्क एवं कन्सलटिंग ऐजेसी के तौर पर भी कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2014–2015 की प्रगतिशील प्रमुख योजनाऐं निम्नलिखित हैंः–

11. शासकीय विभागों हेतु निर्माण

मण्डल द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों एवं उपक्रमों के लिए प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर भवन निर्माण का कार्य सम्पादित करता है–

11.1 केन्द्र सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिये प्रदेश के बाहर केन्द्रीय विद्यालय, रायगढ़ा (उड़ीसा) प्रभावित नक्सली क्षेत्र एवं परलखमुण्डी (उड़ीसा) स्वीकृत कुल राशि रू. 1799.37 लाख का कार्य निर्माणाधीन है।

11.2 आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग

आदिवासी विभाग एवं अनुसूचित जाति विभाग के अंतर्गत प्रदेश में कन्या आश्रम,प्री–मैट्रिक छात्रावास,शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,अनुसूचित जाति के सोनकच्छ एवं उज्जैन दो कार्य 0.85 करोड़ के, आदिवासी विकास विभाग के जिला डिण्डौरी में नवीन छः तथा धार में एक कार्य 6.01 करोड़,एवं पुराने श्योपुर जिल में 2 गुना में 1 तथा उमरिया में 1 कार्य 4.57 करोड़ है।

11.3 तकनीकी शिक्षा विभाग

तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा पुरानी स्वीकृति के अन्तर्गत होशंगाबाद, हरदा, बडवानी, मण्डला डबरा में शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के विभिन्न भवनों,छात्रावासों,स्टाफ क्वाटर्स आदि के भारत सरकार की सहायता के अंतर्गत 5 कार्य जिसकी लागत राशि रुपये 24.06 करोड है, के विभिन्न स्तरों पर प्रगति पर है। तकनीकी शिक्षा विभाग के नवीन कार्यों के अतंर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 23 छात्रावासों तथा 13 मुख्य भवनों का निर्माण होना है,जिसकी लागत क्रमशःरु. 23.00 करोड तथा रु.97.18 करोड़ है।

छात्रवास भवनों का कार्य तथा 13 मुख्य भवनों का कार्य प्रगति पर है।

11.4 कौशल विकास संचालनालय विभाग

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के 12 निर्माण कार्य, जिनकी लागत रु.8.18 करोड़ है, प्रगति पर है। वामपंथ उग्रवाद जिले के अन्तर्गत बालाघाट जिले के अंतर्गत आई.टी.आई.भवन एवं छात्रवास पोलडोंगरी में एक–एक कार्य जिसकी स्वीकृत लागत रु. 4.50 करोड है, सभी निर्माण कार्य प्रगति पर है।

11.5 चिकित्सा शिक्षा विभाग

इंदौर में मानसिक चिकित्सालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसकी लागत रु 6.50करोड़ है।

11.6 उच्च शिक्षा विभाग

उच्च विभाग विभाग के लिए विभिन्न स्थानों (बुदनी, रेहटी, भोपाल, सागर, शाहपुर, मुरैना, मंदसौर, टीकमगढ, शहडोल, कटनी, बालाघाट, सीधी) शासकीय महाविद्यालय, छात्रवास भवन, पी.जी.महाविद्यालय, आडिटोरियम, अतिरिक्त क्लास रुम, कन्या छात्रावास भवन के 14 कार्य प्रगति पर है,जिनकी लागत रु.26.47 करोड है। प्रदेश में 16 महाविद्यालय तथा 11 छात्रावास भवन जिसकी लागत रू 75.00 करोड़ स्वीकृत है।

11.7 जन संपर्क विभाग

माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्व विद्यालय के नवीन परिसर के विकास एवं निर्माण का कार्य हेतु कार्यवाही की गई है। जिसकी लागत रू. 35.00 करोड़ है।

11.8 म.प्र.इलैक्ट्रानिक डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

प्रदेश में सूचना प्राद्योगिकी विभाग के विस्तार की दृष्टि से 4 आई.टी. पार्क के विकास का कार्य मण्डल द्वारा किया जा रहा है। ये पार्क भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में स्थित हैं। इन्दौर सिंहासा में रू 40 करोड़ तथा बड़वई भोपाल में रू 42.45 करोड़ एवं पुरवा जबलपुर में 57.35 करोड़ के कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है । सभी स्थानों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

11.9 संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग

इस विभाग के लिये कान्हासैया भोपाल, 1.17 करोड़ की निविदा विचाराधीन, नूराबाद मुरैना प्रस्तावित 18.54 करोड़ तथा फलबाग इन्दोर में 1.16 करोड़ का प्रस्ताव पाईप लाईन में है ।

11.10 सिंहस्थ उज्जैन में 450 शैया का निर्माण कार्य

सिंहस्थ योजना के अंतर्गत उज्जैन में 3 निक्षेप कार्य जिसमें से होमगार्ड हेतु बेरेक का निर्माण कार्य रु.1.58 करोड़, प्रगति पर है। 450 शैया अस्पताल लागत रू 74.45 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है एवं निर्माण कार्य प्रगति पर है।

11.11 पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय

इस विभाग के अंतर्गत कुल 2 निक्षेप कार्य जबलपुर, रीवा, जिनकी स्वीकृत लागत रु.19.04 करोड़ है। कार्य प्रगति पर है।

11.12 म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नवीन कार्य

इस विभाग अंतर्गत कुल 3 कार्य शहडोल, सिंगरौली एवं सतना जिनकी स्वीकृत लागत रु. 6. 90 करोड़ है, एवं कार्य प्रगति पर।

11.13 नाप तौल विभाग के नवीन कार्य

इस विभाग अंतर्गत कुल 6 स्थानों पर ग्वालियर, जबलपुर, विदिशा, धार, शाजापुर एवं मंदसौर जिनकी स्वीकृत लागत रु.2.00 करोड़ है। दो कार्य प्रगति पर है। शेष हेतु जमीन उपलब्ध नही है। अथवा उपयुक्त नही है।

11.14 आयकर विभाग

आयकर विभाग के मेट्रोवाक भोपाल मे आंतरिक साज सज्जा के रू. 9.94 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है, एवं निर्माण कार्य प्रगति पर है।

भाग – दो

बजट

मण्डल एक स्वःवित्त पोषित संस्था है। मण्डल को आवासीय भवनों/भूखण्ड की योजनाओं तथा निक्षेप योजनाओं से प्राप्त पर्यवेक्षण शुल्क मण्डल की आय के मुख्य स्त्रोत हैं।

भाग – तीन

राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

(अ)	राज्य योजनाएं	–	निरंक
(ब)	केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	–	निरंक
(स)	विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं	–	निरंक
(द)	विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं/परियोजनाएं	–	निरंक

भाग – चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

(अ) मार्च 2014 से जनवरी 2015 तक म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के माध्यम से विधान सभा सचिवालय से कुल 32 प्रश्न प्राप्त हुए (20 तारांकित प्रश्न, 09 अतारांकित प्रश्न, 02 ध्यानाकर्षण, 00 राज्य सभा एवं 01 लोक सभा प्रश्न) । मण्डल द्वारा समय–सीमा में उक्त प्रश्नों से संबंधित जानकारी विभाग को उपलब्ध कराई गई।

(ब) वर्ष 2014–15 में जनवरी 2015 तक स्थानांतरण/पदोन्नति/नियुक्ति के प्रकरणों की जानकारी–

क्र.	विवरण	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी
1	स्थानांतरण	26	14	54	02
2	पदोन्नति	22	25	63	03
3	नियुक्ति	00	00	12	02

(स) वर्ष 2014–15 में(जनवरी 2015 तक) विभागीय जांच प्रकरणों की जानकारी–

1	1.1.14 को शेष प्रकरण	40
2	जांच संस्थित प्रकरण	10
3	निराकृत प्रकरण	03
4	जनवरी 2015 तकशेष प्रकरण	47

भाग – सात

राज्य महिला नीति एवं कार्य योजना

राज्य महिला नीति की कार्ययोजना के पालन में राज्य महिला आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं पर अमल किया जा रहा है। म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डलमें महिला कर्मियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिये मण्डल द्वारा एक महिला अधिकारी श्रीमती स्मिता निगम, वास्तुविद को नामांकित किया है। वर्तमान में मण्डल में कुल 183 महिला कर्मी है।

भाग – आठ

1. पहल 2014–2015

- माह जनवरी 2011 में मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल का नाम परिवर्तित कर म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल किया गया।
- दरों का युक्ति युक्त करण कर पुरानी संपत्ति का विक्रय
- बैंकों से हितग्राहियों को ऋण प्रदाय हेतु समन्वय
- 5 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्टस् में cost effectiveness विशेषज्ञ परीक्षण अनिवार्य
- विशिष्ट नगर सौंदर्यीकरण योजना–चित्रकूट
- कमजोर आय वर्ग को रियायती दर पर प्लाटों का विक्रय
- जन सामान्य की सुविधा हेतु होम शॉप
- निर्माण श्रमिकों की कुशलता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण
- मण्डल अधिकारियों को QUALITY CONTROLपर प्रशिक्षण
- मार्केटिंग सेल की स्थापना
- मण्डल में पदस्थ वरिष्ठ सहायको एवं उनके समकक्ष कर्मचारियों को संभागीय लेखापाल का प्रशिक्षण एवं परीक्षा आयोजित करना
- उपयंत्री/सहायक यंत्रियों को लेखा परीक्षण प्रशिक्षण एवं परीक्षा आयोजित करना

2. संरक्षात्मक उपाय

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डलद्वारा आदिवासियों के शोषण को रोकने के लिये मण्डल की अपनी योजनाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति निःशक्तजन तथा पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण रखकर लाभ पहुँचाने का कदम उठाया है। आरक्षित वर्ग के लिये पूर्ण लाभ मिल सके इसकी प्रभावी बनाने के लिये संपत्ति अधिकारियों को निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

वर्ष 2014–15 (जनवरी 2015 तक) में म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की विभिन्न स्थानों पर नगर निकायों को कालोनियों के हस्तान्तरण हेतु जारी स्वीकृति की सूची –

क्र.	कालोनी का नाम एवं स्थान	स्वीकृत राशि (रू.लाख में)	वृत्त
1	नागचून रोड कालोनीखण्डवा	457.80	इन्दौर
2	वत्सला विहार, पार्ट–ए एवं बी खण्डवा,		इन्दौर
3	पं. दीनदयाल पुरम खण्डवा,		इन्दौर
4	लालबाग पार्ट– ंए एवं बी बुरहानपुर जिला–खण्डवा	447.70	इन्दौर
5	मयूरवन कालोनी, मुरैना	100.00	ग्वालियर
6	शांतिविहार कालोनी ,रीवा	125.00	रीवा
7	बिन्ध्य बिहार रीवा	250.00	रीवा
8	माईक्रोवेव टावर के पास की कालोनी बडनगर	22.88	उज्जैन
9	अमरावती फेस–2 बाग सेवानिया, भोपाल	390.90	भोपाल
10	जेतपुरा कालोनी, खरगौन	49.28	इन्दौर
11	विंध्य् विहार, खरगौन	46.15	इन्दौर
12	अतिरिक्त विश्व बैक कालोनी उज्जैन	680.36	उज्जैन
13	9 एकड़ क्षेत्र नेहरू नगर भोपाल	42.41	भोपाल
14	शारदापुरी कालोनी मैहर जिला सतना	11.51	रीवा
15	नामतारा कालोनी नागोद जिला सतना	6.50	रीवा
16	जिला सतना ग्राम उमराही बिहारीराम तहसील अमरपाटन	44.24	रीवा
17	न्यू. बस स्टेण्ड बलपुरवा कालोनी शहडोल	19.94	रीवा
	योग	2236.77	

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग
(राज्य नगर नियोजन संस्थान)

भाग – एक

विभागीय संरचना

अध्यक्ष
महानिदेशक
कार्यपालन संचालक

2. **अधीनस्थ कार्यालय**–निरंक

3. **विभाग के अन्तर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओ का विवरण** –निरंक

4. **सदस्य संस्थाऐं**– प्रदेश में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत गठित –10 **विकास प्राधिकरण**– भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, ग्वालियर जबलपुर, रतलाम, कटनी, सिंगरौली तथा अमरकंटक 05–**विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण**–पचमढी, ग्वालियर काउन्टर मैग्नेट, खजुराहो, ओरछा एवं महेश्वर मण्डलेश्वर सदस्य संस्थायें हैं तथा 03 नगरीय निकाय खजुराहो, धनपुरी एवं गढ़ाकोटा कार्यालय की एसोसिएट सदस्य हैं।

5. **उद्देश्य एवं लक्ष्य**

5.1 मध्य प्रदेश शासन तथा नगर एवं ग्राम निवेश विभाग की शहरी/ग्रामीण नियोजन से संबंधित विषयों में सहायता तथा परामर्श प्रदान करना।

5.2 विकास योजनाओं, क्षेत्रीय योजनाओं, पारिक्षेत्रीय योजनाओं, नगर विकास योजनाओं तथा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संसाधनों के संग्रहण, अनुश्रवण तथा इनसे संबंधित क्रियान्वयन विषयों में योजनाऐ तैयार करना, सूक्ष्म परीक्षण तथा मूल्यांकन में सहायता

5.3 विभिन्न राज्यों के साथ–साथ देश के विकास प्राधिकरणों द्वारा अपनाई गई नगर नियोजन नीतियों तथा प्रक्रियाओं का तुलनात्मक विश्लेषण तैयार करना जिसके आधार पर नियोजित तथा एकीकृत नगर तथा निवेश विकास के माध्यम से पर्यावरण के क्षेत्र में अध्ययन तथा अनुसंधान तथा इन क्षेत्रों में परामर्शी सेवाऐं प्रदान करना।

5.4 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23 (ख) के अंतर्गत भूमि उपयोग परिवर्तन का परीक्षण।

5.5 डाटा बेस का सृजन तथा अद्यतन करना व ई–सुशासन।

5.6 मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट का परीक्षण ।

5.7 पुनर्सघनीकरण परियोजनाओं का परीक्षण।

5.8 क्रमांक 8(क) तथा (ख) के लिये नगर विकास प्राधिकरणों द्वारा हाथ में ली जा रही परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर पर्यावरणीय प्रभावी के आकलन का अध्ययन।

5.9 इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा क्षमता निर्माण हेतु प्रतिष्ठित संस्थाओं के सहयोग से आयोजन करना– (प्रशिक्षण, विचार गोष्ठियों कार्यशालाओं, विभिन्न विषयों पर व्याख्यान, प्रकाशन तथा प्रचार)।

5.10 हाल ही में सम्पन्न गतिविधियों से सदस्यों तथा अधिकारियों को अद्यतन रखे जाने के उद्देश्य से न्यूजलेटर जारी करना।

5.11 अपने मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थाओं से मेल–जोल विकसित करना।

5.12 तत्कालीन मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण संघ के जारी कार्यक्रमों तथा गतिविधियों का निष्पादन करना।

5.13 ऐसे समस्त दायित्वों तथा कृत्यों जैसा कि कार्यकारिणी समिति तथा साधारण सभा द्वारा विहित किया जाए,का निष्पादन करना।

5.14 राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आवश्यक सेवायें उपलब्ध कराना।

6. साधारण सभा

मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एण्ड रेग्यूलेशन के प्रावधानों के अनुसार संस्था के साधारण सभा का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष माननीय मंत्रीजी, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं अध्यक्ष, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग है। साधारण सभा में महानिदेशक एवं कार्यपालन संचालक सहित कुल 35 सदस्य शामिल है।

7. कार्यकारिणी समिति

मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एण्ड रेग्यूलेशन के प्रावधानों के अनुसार संस्था के दैनदिनीय कार्यो के निष्पादन हेतु एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं महानिदेशक, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग है। कार्यकारिणी समिति में कार्यपालन संचालक, सदस्य सचिव तथा अन्य 07 सदस्य शामिल हैं। वर्ष 2014–15 में कार्यकारिणी समिति की 02 बैठके आयोजित की गई।

8. विभाग से संबंधित जानकारी

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग, जिसका पूर्व नामम.प्र.विकास प्राधिकरण संघ था, प्रदेश की नगर विकास संस्थाओं का एक पंजीकृत संगठन है। वर्ष 2013 में म.प्र. विकास प्राधिकरण संघ के साधारण सभा द्वारा संस्था के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एण्ड रेग्युलेशन में व्यापक संशोधन किए गए तथा संस्था का नाम परिवर्तित कर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग किया गया। संस्था के नये नाम स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग का पंजीयन 1 मई, 2013 को म.प्र.सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अन्तर्गत किया गया है, जिसका मुख्य कार्य प्रदेश की विकास संस्थाओं/नगरीय निकायों संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश एवं अन्य संस्थाओं के कार्यो में सलाहकार की भूमिका निभाते हुये सहयोग प्रदान करना तथा नगरीय निकायों की योजनायें तैयार करने तथा तकनीकी सहयोग, प्रशासनिक एवं लेखा प्रबंधन आदि क्षेत्र में मार्गदर्शन व अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण तथा कार्यशालायें आयोजित की जाती है।

9. सामान्य या प्रमुख विशेषताऐं

(अ) भारत शासन द्वारा आई.डी.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत प्रसारित पुनरीक्षित मार्गदर्शिका अगस्त 1995 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ को नोडल ऐजेन्सी घोषित किया गया था। प्राधिकरण संघ द्वारा इन योजनाओं हेतु समन्वयक एवं परामर्शदाता के रूप में कार्य किया जा रहा है। राज्य नगर नियोजन संस्थान द्वारा अधिकतर तकनीकी परामर्श संबंधी कार्य 'इन हाउस' किया जा रहा है। साथ ही कार्यालय में वास्तुविदों, इंजीनियरों, नियोजकों का पेनल ऑफ कंसलटेंट बनाया गया है, जिनकी आवश्यकतानुसार सेवायें ली जाती है।

(ब) राज्य शासन के आदेश क्र.एफ–6–9/10/32 भोपाल दि. 18.02.10 द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश के सूचना प्राद्योगिकी कार्य को संपादित करने हेतु स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग, भोपाल को नोडल एजेन्सी घोषित किया गया है जिसके प्रथम चरण में 04 नगरों का जी.आई.एस. एप्लीकेशन का कार्य किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

भाग–दो

1. बजट विंहगावलोकन, आय के स्त्रोत

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग की आय के मुख्य स्त्रोत, सदस्य संस्थाओं से प्राप्त सदस्यता शुल्क तथा योजनाओं के वास्तुविदीय परामर्श कार्य/तकनीकी परीक्षण/सर्वेक्षण कार्यो से प्राप्त शुल्क ही है। शासन से वर्तमान में कार्यालय को कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है।

2. बजट प्रावधान, लक्ष्य/व्यय एव अंकेक्षण

वर्ष 2013–2014 के प्रस्तावित आय–व्यय क्रमशः रू. 705.71 लाख तथा रू. 700.40 लाख अनुमानित था। जिसके विरूद्ध वास्तविक आय व्यय क्रमशः रू. 732.76 लाख व 458.98 लाख रहा। वर्ष 2014–15 के आय व्यय क्रमशः रू. 786.52 लाख व रू. 776.40 लाख अनुमानित है। वर्ष 2015–16 के वार्षिक बजट तैयार करने की कार्यवाही प्रचलन में है।

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग के वर्ष 2013–14 तक के आय–व्यय का अंकेक्षण कार्य संपन्न हो चुका है। वर्ष 2014–15 के अंकेक्षण का कार्य प्रगति पर है। कार्यालय द्वारा लेखा/अंकेक्षण कार्यो हेतु पेनल ऑफ चाटर्ड अकाउंटेन्ट तैयार किया गया है। आवश्यकतानुसार निजी सलाहकार (चाटर्ड अकाउडटेंट) की सेवायें ली जाती है।

3. संसदीय कार्य, विधि विषय कार्य एवं न्यायालयीन कार्यः– निरंक

4. स्वीकृत सेट अप

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग के स्वीकृत सेटअप में विभिन्न श्रेणी के 80 पद स्वीकृत है। इनमे से 24 कर्मचारी तकनीकी संवर्ग तथा 56 गैर तकनीकी संवर्ग के है। कार्यालय में 02 सलाहकार, 04 कर्मचारी संविदा सेवा में तथा 01 कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्यरत है तथाशेष सभी अधिकारी/कर्मचारी नियमित सेवा में है। 05 अधिकारी/कर्मचारी विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है तथा 07 कर्मचारी मंत्रालय एवं अन्य कार्यालयों में संलग्नीकरण में पदस्थ है। कार्यालय में राज्य शासन के नियमानुसार कर्मचारियों के लिये समयमान वेतनमान योजना लागू है। रिक्त पदों पर पदोन्नति अथवा पात्र कर्मचारियों को समयमान वेतनमान हेतु विभागीय पदोन्नत समिति की बैठके नियमित अंतराल में आयोजित की जाती है।

भाग–तीन

(अ) एवं (ब)राज्य योजनाऐं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग को प्रदेश में संचालित दो प्रमुख योजनाओं हेतु नोडल एजेन्सी घोषित किया गया था। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग द्वारा इन योजनाओं मे से वर्तमान में आईडीएसएमटी योजना एवं सूचना प्राद्योगिकी योजना का संचालन किया जा रहा है।

(1) छोटे तथा मझोले नगरों की एकीकृत विकास योजना (आईडीएसएमटी) वर्ष 1995–96 में लागू की गई तथा वर्ष 2004–05 तक अनुदान योजनान्तर्गत 97 नगरों की योजनाऐं जिनकी स्वीकृति लागत रू. 14370.49 लाख है, का कियान्वयन किया जा रहा है।

इन 97 नगरों में संभागवार नगरों की संख्या हैः–(1)चंबल संभाग–3 नगर, (2)ग्वालियर संभाग–6 नगर, (3) उज्जैन संभाग–16 नगर,(4) इंदौर संभाग–9 नगर, (5) होशंगाबाद संभाग– 2 नगर, (6) सागर संभाग–15 नगर, (7) रीवा संभाग– 18 नगर, (8) जबलपुर संभाग– 12 नगर,(9) भोपाल संभाग –16 नगर

वर्ष 1995–96 से वर्तमान वित्त वर्ष तक कुल मुक्त राशि रू. 8614.81 लाख (केन्द्राश रू. 4501.19 लाख +राज्यांश 4133.62 लाख) है। वर्तमान वित्त वर्ष में अधूरे कार्य को पूर्ण करने हेतु बजट में कोई राशि प्रावधानित नहीं की गई है। योजनान्तर्गत नगरीय निकायों द्वारा 94 नगरों हेतु कुल सूचित व्यय रू. 8484.52 लाख है, जो कि 98.48 प्रतिशत है। वर्ष 2005 में आईडीएसएमटी योजना यूआईडीएसएसएमटी योजना में समाहित की गई है।

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग द्वारा आईडीएसएमटी योजनान्तर्गत स्वीकृत नगरों की योजना घटकों का विस्तृत वास्तुविदीय कार्य किया गया इसके अन्तर्गत वाणिज्यिक, बस स्टैण्ड, आवासीय, उद्यान, कम्यूनिटी हॉल, स्टेडियम, ऑफिस काम्पलेक्स, सब्जी मार्केट जैसे अन्य

विकास कार्य शामिल है। योजनानतर्गत विगत वर्षो में उपयोगिता केवल 94.59 प्रतिशत थी जो गत एक वर्ष में बढ़कर लगभग 98.48 प्रतिशत से अधिक हो गई है।

वर्ष 2014–15 में आईडीएसएमटी योजनान्तर्गत बैकुण्ठपुर, तराना, सिरोंज तथा नागौद नगरों की लगभग रू. 97.00 लाख आईडीएसएमटी योजना घटकों का वास्तुविदिय कार्य तथा रिवाल्विंग फंड के अंतर्गत आगर, मूंदी, रामपुर बाघेलान, शाजापुर, मैहर तथा जीरापुर नगरों की लगभग रू. 90.00 लाख योजनाओं का विस्तृत वास्तुविदिय कार्य संपादित किया गया। वर्ष 2014–15 में आईडीएसएमटी योजना के अंतर्गत रिवॉल्विंग फंड की कुल 8 नगरों के 15 योजना घटकों की रू. 839.00 लाख की योजनायें तैयार कर संस्थाओं को प्रेषित की गई।

5 नगरों के उपयोगिता प्रमाण पत्र कुल केन्द्रांश रू. 94.643 लाख तथा राज्यांश रू. 60.269 लाख कुल रू. 154.912 लाख के केन्द्र सरकार को भेजे गये एवं 3 नगरों के उपयोगिता प्रमाण पत्र रू. 130.99 लाख के तैयार किये गये।

(2) सूचना प्राद्योगिकी

म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग को नोडल एजेन्सी घोषित किये जाने के फलस्वरूप संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के लियेसूचना प्राद्योगिकी के अंतर्गतप्रथम चरण मे 04 नगरों को सम्मिलित किया गया है जो निम्नानुसार है :–

1. इंदौर, 2. ग्वालियर, 3. भोपाल, 4. जबलपुर,

संचालनालय द्वारा योजना के कियान्वयन हेतु वर्ष 2014–15 में कुल राशि **रू. 36.00 लाख** अभी तक उपलब्ध कराया गया है।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश कीweb based Applicationका कार्य मैसर्स वायमटेक प्रा. लि. को दिया गया है। उनके द्वारा एस आर एस प्रस्तुत किया गया है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन के साफ्टवेयर को विकसित कर कियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2014–15 में किये गये प्रमुख कार्य निम्नानुसार है :–

- भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर जिला कार्यालय में ऑनलाईन आवेदन (भू–उपयोग प्रमाण पत्र एवं विकास अनुज्ञा) लिया जाना प्रारंभ किया गया। (अल्पास साफ्टवेयर के द्वारा)।
- एम.पी.डी.सी. डाटा सेंटर में संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश का सर्वर स्थापित कर प्रारंभ किया गया।
- भोपाल में हुजूर तहसील तथा इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर नगर के निवेश क्षेत्र का डिजिटल खसरा मेप (मोजाइक तथा जियोरिफरेंस कर) तैयार कराया गया।
- भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर नगरों के जिला कार्यालय में वर्ष 1990 से मार्च, 2013 तक जारी की गई विकास अनुज्ञा के स्केनिंग का कार्य पूर्ण कर संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है
- इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर नगरों के डिजिटल भू–उपयोग मेप तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।
- भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर जिला कार्यालय (नगर तथा ग्राम निवेश) में जारी विकास अनुज्ञाओं को जियोरिफरेंस कर डिजिटल भू–उपयोग मेप में सुपर इम्पोज कराया जा रहा है।
- नगर तथा ग्राम निवेश के 2 मेप श्री डी साफ्टवेयर को अपग्रेड कराकर 1 सर्वर में तथा जिला कार्यालय भोपाल में स्थापित किया गया है।
- संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के आर्क जी.आई.एस. साफ्टवेयर को अपग्रेड कराकर संचालनालय में स्थापित किया गया।

(स) विश्व बैंक की सहायता से चलायी जाने वाली योजनाऐं :– निरंक

(द) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाऐं/परियोजनाऐं :– निरंक

(ई) अन्य योजनाऐं/राज्य शासन द्वारा सौपे गये कार्य :–

1. स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग द्वारा कई नगरीय निकायों की स्व वित्तीय योजनाऐं भी तैयार की जा रही है।
2. वर्ष 2013–14 में आईडीएसएमटी योजनान्तर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों की रिवाल्विंग फण्ड में जमा पूँजी से विभिन्न योजनाऐं तैयार करने का कार्य भी हाथ में लिया गया है, 29 नगरों द्वारा योजना तैयार करने के प्रस्ताव कार्यालय को प्राप्त हुये है।
3. योजनांतर्गत 14 नगरों के विभिन्न घटकों का कार्य 10 निजी वास्तुतिदों को दिया गया है योजना तैयार करने हेतु आवश्यक जानकारी/कार्यवाही की जा रही है।
4. वर्ष 2014–15 में संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा 4 नगरों क्रमशः चित्रकुट, झाबुआ, खरगोन व खजुराहों नगरों की विकास योजना तैयार करने का कार्य कार्यालय को सौपा गया है। इस हेतु संचालनालय द्वारा रू. 138.74 लाख कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। कार्यालय द्वारा विकास योजना का कार्य निजी सलाहकारों के माध्यम से कराया जा रहा है। चित्रकुट एवं खजुराहो का प्रारूप विकास योजना नगर तथा ग्राम निवेश को प्रेषित कर दिया गया है तथा खरगोन व झाबुआ नगरों के Inceptionरिपोर्ट प्राप्त हो गई है। कार्य प्रगति पर है।
5. राजधानी परियोजना प्रशासन डिवीजन क्रमांक–1, विधानसभा कंट्रोलर तथा खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग से प्राप्त विभिन्न योजनाओं के वास्तुविदिय कार्यो के संपादन हेतु अनुबंध किये जा चुके हैं। यह कार्य कार्यालय के पेनल ऑफ कंसलटेंट में शामिल निजी सलाहकारों के माध्यम से कराये जा रहे हैं। अभी तक लगभग रू.22.00 लाख के शुल्क कार्य संपन्न किये जा चुके हैं।
6. ग्वालियर चम्बल एग्रो रिजल प्लान तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।
7. राज्य शासन द्वारा स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग के कार्यकलापों/आय में वृद्धि के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कार्य कार्यालय को सौपे गये है :–

I प्रदेश के विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट का परीक्षण कर शासन को अग्रेषित करना तथा नवगठित विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट तैयार करना। वर्ष 2014–15 में कार्यालय द्वारा 11 विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट का परीक्षण कर राज्य शासन की ओर प्रेषित किये गये। वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान नवगठित विकास प्राधिकरणों को कार्य संचालन के लिये संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के माध्यम से राशि **रू. 544.00 लाख** सहायता अनुदान स्वीकृत कराया गया।

II विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की समस्त योजनाओं का तकनीकी परीक्षण कर शासन को प्रेषित करना। इसके अंतर्गत भोपाल विकास प्राधिकरण की एफोर्डेवल योजना का परीक्षण किया गया कुछ संस्थाओं की योजनाओं का परीक्षण किया जा रहा है। कटनी विकास प्राधिकरण की 8.5 हेक्टेयर योजना हेतु अभिन्यास तैयार किया गया। कई नवगठित विकास प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में आवासीय एवं वाणिज्यिक योजना तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।

III नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत उपरान्तरण की

A योजनाओं का परीक्षण करना। 31 जनवरी, 2015 तक कार्यालय में कुल प्राप्त प्रकरणों की संख्या 109 थी जिनमें से 46 प्रकरण वापिस किये गये, 13 प्रकरण विचाराधीन है तथा 50 प्रकरण माह जनवरी, 2015 तक राज्य शासन की ओर प्रेषित किये गये।

III राज्य शासन द्वारा विकास अनुज्ञा हेतु धारा 16 के अन्तर्गत प्रकरणों के परीक्षण

B का कार्य इस कार्यालय को सौंपा गया है। 31 जनवरी, 2015 तक कार्यालय में कुल प्राप्त प्रकरणों की संख्या 46 थी जिनमें से 20 प्रकरण प्रस्तुत किये गये, तथा 09 प्रकरणों में फीस अप्राप्त है तथा 17 प्रकरण विचाराधीन है।

IV विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों/म.प्र. गृह निर्माण मण्डल/राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा तैयार की गई योजनाओं केEnvironmental Impact Assessment का परीक्षण करना। इसके अंतर्गत ई.आई.ए. कंसलटेंट के इम्पेनलमेंट का पेनल बनाया गया है। अभी तक इंदौर विकास प्राधिकरण की 3 योजनाओं, भोपाल विकास प्राधिकरण की 2 योजनाओं म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की 6 योजनाओं तथा राजधानी परियोजना की योजनाओं हेतु सलाहकारों को नियुक्त करLoAजारी किये गये हैं।

भोपाल विकास प्राधिकरण की नवीबाग अर्फोडेबल हाउसिंग योजना कोSEACके समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यू एम.एल.ए. रेस्ट हाउस की योजना की रिपोर्टSEIAAमें जमा की गई, नवीन वन भवन की रिपोर्टSEIAAमें ऑनलाईन जमा की गई। साथ ही गृह निर्माण एवं अधोसरंचना विकास मंडल की 450 बिस्तरों का अस्पताल, उज्जैन एवं अयोध्या एक्सटेंशन योजना हेतु **एसेन्सों इन्वायरो** को कार्यादेश दिया गया।

V वर्ष 2014–15 में कार्यालय की 12 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान के अंतर्गत प्रथम/द्वितीय उच्चतर वेतनमान स्वीकृत करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन किया गया तथा समिति की अनुशंसाओं के अनुसार कर्मचारियों को पात्रता के दिनांक से समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया तथा 1 कर्मचारी की विभागीय जॉच का निराकरण किया गया तथा 1 कर्मचारी के पेंशन प्रकरण के निराकरण की कार्यवाही प्रचलन में है।

VI वर्ष 2014–15 में लोकसभा चुनाव तथा नगरीय निकायों के चुनावों के कार्य में कार्यालय के 25 कर्मचारियों द्वारा विगत 03 माह से चुनाव कार्य में सहयोग दिया जा रहा है।

VII नगर तथा ग्राम निवेश की नगर विकास योजनान्तर्गत नगरों की विकास योजना/जोनल प्लान तैयार करना।

VIII विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार करना तथा विभिन्न विषयों पर कार्यशालायें आयोजित करना।

कार्यालय द्वारा प्राप्त प्रस्तावों अनुसार उपरोक्त कार्यो का सम्पादन किया जा रहा है।

भाग–चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग द्वारा पूर्व में यू आई डी एस एस एम टी योजनान्तर्गत आयोजित किये गये विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन से यह अनुभव किया कि संस्थाओं के कुशल कार्य संचालन तथा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिये यह आवश्यक है कि विकास प्राधिकरणों में क्षमता निर्माण के लिये प्रतिवर्ष विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिये एक प्रशिक्षण मॉडयूल तैयार किया जाना अति आवश्यक है। इसी क्रम में स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग द्वारा विकास प्राधिकरणों के लिये विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण हेतु एक प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार किया गया है, जिसके अनुसार विगत वर्षो में विभिन्न विषयों पर कुल 09 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये तथा विकास प्राधिकरणों तथा संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये आगामी वर्ष में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना प्रस्तावित है।

भाग–पांच

अभिनव योजना :–स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश के लिये सलकनुपर विकास योजना तैयार करने का कार्य पूर्ण किया गया। इसके अलावा 4 नगरों की विकास योजना तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ग्वालियर काउंटर मेग्नेंट की योजना तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

भाग–छः

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग द्वारा सदस्य संस्थाओं को तकनीकी मार्गदर्शन व सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से EXECUTION, OPERATION & MAINTENANCE OF WATER SUPPLY पर मार्गदर्शिका मुद्रित कर नगरीय निकायों को उपलब्ध कराई गई है जो यू. आईडीएसएमटीयोजना के क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगी। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग द्वारा वर्ष 1977 से वर्ष 2012 तक विकास प्राधिकरणों के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों का संकलन किया जाकर राज्य शासन तथा सभी विकास प्राधिकरणों को उपलब्ध कराया गया है।

वर्ष 2014–15 में कार्यालय द्वारा **Land Pooling Scheme** विषय पर तथा **EASE OF DOING BUSINESS** विषय पर कार्यशालायें आयोजित की गई।

भाग–सात

राज्य महिला नीति एवं कार्य योजना

राज्य महिला नीति की कार्ययोजना के पालन में राज्य महिला आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं पर कार्यालय द्वारा अमल किया जा रहा है। महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिंक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 एवं नियम 2013 के क्रियान्वयन के संबंध में म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 11.2.2014 के परिपालन में कार्यालय द्वारा आदेश दिनांक 26.2.2014 द्वारा एक पॉच सदस्यीय ''**आतरिक परिवाद समिति''** का गठन किया गया है। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग में कार्यरत महिलाओं के लिये समुचित प्रसाधन व्यवस्था की गई है। उनके बैठने के लिये पर्याप्त एवं उपयुक्त स्थान निर्धारित है ।

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग में महिला उत्पीड़न से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं है। कार्यालय में महिला कर्मियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिये एक महिला अधिकारी श्रीमती वर्षा जैन, सहायक वास्तुविद को ''**आतरिक परिवाद समिति''** का पीठासीन अधिकारी नामांकित किया है। वर्तमान में कार्यालय में कुल– 13 महिला कर्मी कार्यरत है।

भाग–आठ

सारांश– आगामी वर्ष की योजनाऐं व कार्यकम

1. आगामी वर्ष में प्राधिकरण संघ द्वारा आईडीएसएमटी योजनान्तर्गत नगरों के शेष योजना घटकों के वास्तुविदीय कार्य पूर्ण करना।
2. नगरीय निकायों की स्वयं वित्तीय योजनाओं का वास्तुविदीय कार्य किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही 4 नगरों की सूचना प्रौद्योगिकी का कार्य।
3. प्रदेश के 10 विकास प्राधिकरणों तथा 5 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट का परीक्षण कर शासन को अग्रेषित करना तथा नवगठित विकास प्राधिकरणों के लिये वित्त प्रबंधन करना।
4. विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की समस्त योजनाओं का तकनीकी परीक्षण कर शासन को प्रेषित करना। इसके अन्तर्गत प्राधिकरणों को ई.डब्लू.एस./एल.आई.जी आवास बनाने के लिये रियायती दर पर शासकीय भूमि के संबंध में योजनाओं का परीक्षण करना तथा योजनाओं का ले–आउट तैयार करना।
5. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत उपरान्तरण हेतु प्राप्त होने वाले प्रस्तावों/योजनाओं का परीक्षण करना।

6. विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों/म.प्र. गृह निर्माण मण्डल/राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा तैयार की गई योजनाओं के Environmental Impact Assessment कापरीक्षण करना। इसके अंतर्गत इंदौर विकास प्राधिकरण की 5, भोपाल विकास प्राधिकरण की 2 योजनाओं, राजधानी परियोजना प्रशासन की 2 वन विभाग की 1 तथा म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसरंचना विकास मंडल की 6 योजनाओं का कार्य पूर्ण करना भी शामिल है।

7. नगर तथा ग्राम निवेश की नगर विकास योजनान्तर्गत नगरों की विकास योजना/जोनल प्लान तैयार करना। इसके अंतर्गत 4 नगरों जिनका कार्य प्रगति पर है, को पूर्ण करना भी शामिल है।

8. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा–16 के अंतर्गत प्रकरणों का परीक्षण किया जाना।

9. संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की वेब बेस्ड एप्लीकेशन के साफ्टवेयर का कार्य। इसके अंतर्गत भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर नगरों हेतु विकास अनुज्ञा/विकास अभिमत एवं भू–उपयोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन ऑनलाईन लेना, जारी करना एवं साफ्टवेयर से अभिन्यास का परीक्षण।

10. भोपाल,इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर जिला कार्यालयों के डिजिटल लैंडयूज में तैयार करने का कार्य।

11. भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर जिला कार्यालयों के वर्ष 1990 से 2013 तक जारी की गई विकास अनुज्ञा के स्केनिंग तथा कम्प्यूटरीकरण का कार्य।

12. विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण हेतु तैयार किये गये प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार करना तथा विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशाला आयोजित करना।

13. वर्ष 2012–13 में आईडीएसएमटी योजनान्तर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों की रिवाल्विंग फण्ड में जमा पूँजी से विभिन्न योजनाऐं तैयार करने का कार्य भी हाथ में लिया गया है, इसके अंतर्गत 30 नगरों की 40 योजना घटक तैयार करने का प्रस्ताव है।

आगामी वर्ष में नगरीय निकायों पर कार्यालय की विभिन्न मदों में देय बकाया राशि जो कि लगभग रू. 1.00 करोड़ है, की अधिकतम वसूली का लक्ष्य है।

कार्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार उपरोक्त कार्य के निष्पादन तथा योजनाओं को तैयार करने/परीक्षण हेतु निजी सलाहकारों की सेवायें ली जाना प्रस्तावित है। इस हेतु पैनल ऑफ कन्सल्टेंट बनाया गया है। सलाहकारों की नियुक्ति/चयन हेतु एक निश्चित प्रक्रिया तथा सुस्पष्ट नीति तैयार की गई है। कार्यालय का प्रयास यह है कि अधिकांश कार्य ''इन हाउस'' किये जाये।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा भू–उपयोग उपांतरण, विकास योजना, सूचना प्रौद्योगिकी के कार्य इस कार्यालय के माध्यम से कराये जा रहे हैं। विगत माहों में नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, भूमि विकास नियम 1984 में किये गये व्यापक संशोधनों के परिपेक्ष्य में कई कार्य स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग के माध्यम से कराये जाने का प्रस्ताव है। इससे संचालनालय को कार्य संचालन में सहायता तथा विकास प्राधिकरणों के मध्य समन्वय स्थापित हो सकेगा व स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग के कार्य संचालन में आ रही कठिनाईयों का निदान संभव हो सकेगा।

उक्त वर्णित स्थितियों के प्रकाश में स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग के मेमोरेन्डम में संस्था का नाम, पता, लक्ष्य तथा उद्देश्यों एवं विनियमों में परिभाषा, लक्ष्य व उद्देश्य, सदस्यता, एसोसिएशन के पदाधिकारी, साधारण सभा/कार्यकारिणी समिति के गठन संबंधी कण्डिकाओं में संशोधन किया गया है।

————————

मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम

भाग–एक

विभागीय संरचना

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम का पंजीयन मध्य प्रदेश समिति पंजीयन अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन किया गया है जिसका पंजीयन क्रमांक 18851 दिनांक 01 फरवरी, 1988 है। इस निगम का एकमात्र कार्यालय/मुख्यालय विन्ध्याचल भवन, भोपाल में स्थित है तथा इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश है। इसके अध्यक्ष, मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन एवं उपाध्यक्ष, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग हैं तथा अपर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग पदेन प्रबंध संचालक होते हैं। वर्तमान में प्रबंध संचालक पद का कार्य अपर आयुक्त स्तर के अधिकारी देख रहे हैं तथा निगम कार्यालय में 4 तृतीय श्रेणी एवं 3 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत हैं।

2. अधीनस्थ कार्यालय

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम का एकमात्र कार्यालय/मुख्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म. प्र.) में स्थित है तथा प्रदेश में इसका कोई अन्य अधीनस्थ कार्यालय नहीं है।

3. निगम के अन्तर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाएं

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवंपर्यावरण विभाग का एक प्रतिष्ठान है तथा इस निगम के अन्तर्गत अन्य कोई संस्था कार्यरत नहीं है।

4. निगम के दायित्व

राज्य शासन एवं उसके द्वारा स्थापित सहकारी उपक्रमों के कर्मचारियों की आवासीय समस्या के निदान के लिये इस निगम की स्थापना की गई है।

5. निगम से सम्बंधित सामान्य जानकारी

5.1 निगम द्वारा कर्मचारियों की आवासीय समस्या के निदान हेतु शासन से भूमि प्राप्त की जाती है तथा आवश्यकतानुसार भूमि अर्जन की कार्यवाही की जाती है।

5.2 वित्तीय संस्थाओं जैसे हाउसिंग डेव्हलपमेंट एवं फायनेंस कार्पोरेशन, जीवन बीमा निगम, नेशनल हाउसिंग बैंक आदि से आवश्यकतानुसार उक्त कार्य हेतु ऋण राशि प्राप्त कर, हितग्राहियों द्वारा उसके भुगतान के प्रबंधन का कार्य किया जाता है।

5.3 सामान्य रूप से एम. पी. हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों एवं अन्य शासकीय संस्थाओं के माध्यम से आवास निर्माण एवं भू–खण्डों के विकास का कार्य कराया जाता है।

6. सामान्य या प्रमुख विशेषताएं

निगम द्वारा प्रदेश के सम्भागायुक्तों एवं जिला कलेक्टर्स के माध्यम से राज्य शासन एवं उसके द्वारा स्थापित सहकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को उचित दरों पर आवासीय सुविधा सुलभ कराने का कार्य किया जाता है।

7. महत्वपूर्ण सांख्यकी :–

क्रमांक	उपलब्धियॉं	हिग्राहियों की संख्या
01.	निर्मित आवास उपलब्ध कराना	238
02.	विकसित भू–खण्ड उपलब्ध कराना	2,753

भाग–दो

बजट

निगम एक स्व वित्त पोषित संस्था है। संस्था की आय के स्त्रोत निगम की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित भू–खण्डों/भवनों से प्राप्त एक प्रतिशत स्थापना शुल्क एवं ऋण/जमा आदि पर प्राप्त ब्याज की राशि है।

मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा निगम की आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 1995–96 से एक निश्चित राशि धनवेष्ठन हेतु निगम को उपलब्ध कराई जा रही थी परन्तु मध्य प्रदेश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–2005 से कोई राशि इस निगम को धनवेष्ठन हेतु उपलब्ध नहीं कराई गई है। निगम द्वारा आगामी समय में प्रस्तावित आवासीय योजनाओं को दृष्टिगत रखते हुये आगामी वर्ष से प्रतिवर्ष रूपये 200.00 लाख धनवेष्ठन हेतु तथा निगम के स्थापना व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु भी प्रतिवर्ष आवश्यकतानुसार राशि इस निगम को उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।

निगम के वित्तीय वर्ष 2011–2012 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार आय रूपये 2,03,48,916.57 पैसे मात्र रही तथा व्यय रूपये 1,89,40,368.63 पैसे मात्र रहा। वर्तमान में निगम के वित्तीय वर्ष 2012–2013 से 2013–2014 तक का अकेंक्षण का कार्य किया जा रहा है।

भाग–तीन

राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

(अ) राज्य योजनाएं

निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–2015 के अन्तर्गत दिसम्बर, 2014 तक ग्वालियर, मन्दसौर, नीमच (भू–खण्डों का विकास एवं भवनों का निर्माण), धार, कटनी,रीवा,दमोह एवं रतलाम में लगभग रूपये 2,424.17 लाख लागत की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत भू–खण्डों के विकास एवं भवनों के निर्माण का कार्य गतिशील है तथा निगम द्वारा विगत तीन वर्षों में इन योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के 185 भू–खण्डों तथा विभिन्न श्रेणी के 46 भवनों का आवंटन किया गया तथा इस वर्ष विभिन्न श्रेणी के 168 आवासीय भू–खण्डों एवं विभिन्न श्रेणी के 00 आवासीय भवनों का आवंटन पात्र कर्मचारियों को किया गया है तथा शेष भू–खण्डों/भवनों के आवंटन की कार्यवाही प्रचलित है।

महामहिम राज्यपाल महोदय के विगत वर्षों के अभिभाषणों के संदर्भ में दिसम्बर, 2014 तक निगम द्वारा प्रदेश के 02 जिला मुख्यालयों में विभिन्न श्रेणी के 250 आवासीय भू–खण्डों की लगभग रूपये 505.70 लाख लागत की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत भू–खण्डों के आवंटन हेतु तथा 01 जिला मुख्यालय में विभिन्न श्रेणी के 46 आवासीय भवनों की लगभग रूपये377.14 लाख लागत की आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही की गई।

(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजना :– निरंक।
(स) विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं :– निरंक।
(द) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं/परियोजनाएं :– निरंक।

भाग–चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

(अ) जाँच समितियों द्वारा किये गये अध्ययनों, नियुक्तियों तथा स्थानान्तरणों के सम्बंध मे जानकारी निरंक है।

(ब) मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति), नियम, 2002 के क्रम में निगम कार्यालय में की गई पदोन्नतियों के सम्बंध में जानकारी निरंक है।

(स) जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के माध्यम से मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय से कुल 04 तारांकित प्रश्न, प्राप्त हुये। निगम द्वारा इन प्राप्त प्रश्नों के सम्बंध में वॉछित जानकारी समय–सीमा में विभाग को उपलब्ध कराई गई।

(द) इस निगम द्वारा मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के माध्यम से प्राप्त विधान सभा से सम्बंधित आश्वासनों, विभिन्न याचिकाओं, लोक लेखा समिति, याचिका समिति, प्रश्नोत्तर समिति, प्राक्कलन समिति आदि के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही कर, विभाग को अवगत कराया गया।

(इ) वर्ष 2014–2015 के अन्तर्गत माह जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक इस निगम के विरूद्ध कुल 28 न्यायालयीन प्रकरण दर्ज हुये। निगम द्वारा सभी प्रकरणों के जवाबदावे निर्धारित समय–सीमा में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।

भाग–पांच

अभिनव योजना :– **निरंक।**

भाग–छः

इस निगम द्वारा कोई प्रकाशन नहीं प्रकाशित किये जाते हैं। अतः जानकारी निरंक है।

भाग–सात

महिलाओं के लिये किये गये कार्यों के सम्बंध में जानकारी

निगम द्वारा अपनी आवासीय परियोजनाओं के अन्तर्गत अपनी स्थापना से लेकर वर्ष 2008 तक 353 तथा विगत चार वर्षों में विभिन्न श्रेणी के 15 आवासीय भू–खण्डों, 07 आवासीय भवनों एवं वर्ष 2014–15 में 16 आवासीय भू–खण्डों इस प्रकार कुल 385 पात्र महिला कर्मचारियों को आवासीय भू–खण्डों/भवनों का आवंटन किया गया है।

भाग–आठ

सारांश

इस निगम द्वारा शासकीय सेवकों को आवासीय सुविधा सुलभ कराने के परिप्रेक्ष्य में भोपाल एवं नीमच में विभिन्न श्रेणी के 238 निर्मित आवासों तथा ग्वालियर, मन्दसौर, नीमच, धार, कटनी, रीवा, दमोह एवं रतलाम में विभिन्न श्रेणी के 2753 आवासीय भू–खण्डों का आवंटन पात्र शासकीय सेवकों को किया गया है। निगम का लक्ष्य प्रदेश के समस्त आवासहीन शासकीय कर्मचारियों को आवासीय सुविधा सुविधा सुलभ कराना है। इसी परिप्रेक्ष्य में आगामी वर्ष में सम्बंधित सम्भागायुक्तों एवं जिला कलेक्टर्स द्वारा निर्धारित समयावधि में निगम की आवासीय योजनाओं हेतु प्रस्तावित भूमियों का आवंटन निगम के पक्ष में किया जाकर, आधिपत्य निगम को सौंप दिये जाने पर प्रदेश के चार जिला मुख्यालयों में अनुमानित लागत रूपये 1446.57 लाख की प्रस्तावित आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के 448 आवासीय भू–खण्डों के विकास का कार्य प्रारम्भ/पूर्ण किया जाकर, इनका आवंटन पात्र कर्मचारियों को किया गया है।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

भाग – एक

संरचना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा सितम्बर 1974 में राज्य में प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण की दृष्टि से केन्द्रीय अधिनियम जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। राज्य में कार्यरत् प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य उद्धेश्यों में जल स्त्रोतों एवं वायु गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखना व उसको स्वच्छ बनाये रखना है। अधिनियमों एवं नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु नीति निर्धारण, सामान्य प्रशासन तथा अन्य एजेन्सियों सामंजस्य बनाये रखते हुए पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित विषयों पर जनचेतना लाना आदि कार्य भी बोर्ड द्वारा संपादित किये जाते हैं। बोर्ड का प्रशासनिक ढॉचा निम्नानुसार है :–

मुख्यालय

↓

अध्यक्ष

↓

सदस्य सचिव

↓

एच.एस.एम.डी | आई.टी | तकनीकी | ई.आर.सी. | प्रशासन | जल उपकर | कय | वित्त | केन्द्रीय प्रयोगशाला | (वैज्ञानिक) मॉनिटरिंग

↓

क्षेत्रीय कार्यालय

क्षेत्रीय अधिकारी

↓

भोपाल | गुना | ग्वालियर | सागर | उज्जैन | इन्दौर | धार | रीवा | सतना | जबलपुर | शहडोल | सिंगरौली | कटनी

प्रयोगशाला संरचना

↓

मुख्यालय भोपाल केन्द्रीय प्रयोगशाला

↓

क्षेत्रीय प्रयोगशाला

↓

गुना | ग्वालियर | सागर | उज्जैन | इन्दौर | रीवा | सतना | जबलपुर | शहडोल | सिंगरौली

2. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निम्नलिखित अधिनियमों के तहत् प्रदत्त दायित्वों का निर्वहन करता है :–

2.1 जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974

2.2 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977

2.3 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981

2.4 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गतः–

(1) परिसंकटमय अपशिष्ठ (प्रबंधन,हथालनऔर सीमा पार संचलन) नियम,2008
(2) परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989
(3) जैव चिकित्सा अपशिष्ठ (प्रबंधन तथा हस्तन) नियम, 1998
(4) अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम, 2011
(5) नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन तथा हथालन) नियम, 2000
(6) बैटरी (प्रबंधन तथा हथालन) नियम, 2001
(7) ई– अपशिष्ठ (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2011

2.5 मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004.

(1) मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) नियम, 2006.

बोर्ड का मुख्य उद्देश्य राज्य में जल स्त्रोतों एवं वायु गुणवत्ता पर सतत् निगरानी रखना व उसको स्वच्छ बनाये रखना है। अधिनियमों एवं नियमों का प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु नीति निर्धारण, सामान्य प्रशासन तथा अन्य एजेन्सियों से सामंजस्य बनाये रखते हुये पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित विषयों पर जन–चेतना लाना आदि कार्य भी बोर्ड द्वारा सम्पादित किये जाते है।

पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में सतत् अनुसंधान हेतु बोर्ड मुख्यालय में विभिन्न आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित राज्य स्तरीय केन्द्रीय प्रयोगशाला है। क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ प्रयोगशालायें भी कार्यरत् हैं।

3. राज्य बोर्ड के कार्य

- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपमशन से संबंध विषय पर राज्य सरकार को सलाह देना।
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिये व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना तथा उसके निष्पादन को सुनिश्चित् करना।
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपश्मन से संबंधित जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार करना।
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपश्मन की समस्याओं से संबंधित अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देवा, उनका संचालन करना और उसमें भाग लेना।
- मल या व्यवसायिक बहिःस्त्राव की अभिक्रिया के लिये संकर्म एवं संयंत्रों का निरीक्षण करना।
- वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिये ऐसे अन्तरालों पर जैसे आवश्यक समझे ऐसे क्षेत्रों का निरीक्षण करना।
- बहिःस्त्रायों के निस्सारण के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो रहे जल की गुणवत्ता के लिये बहिःस्त्रायों मानक अधिकथित करना, उनमें उपान्तरण करना या उन्हें बातिल करना।
- केन्द्रीय बोर्ड से परामर्श करके तथा केन्द्रीय बोर्ड द्वारा वायु की गुणवत्ता के लिये अधिकथित मानकों को ध्यान में रखते हुये औद्योगिक संयंत्रों और मोटर गाड़ियों से वातावरण में वायु प्रदूषणकारी के उत्सर्जन अथवा अन्य किसी स्त्रोत से जो जहाज अथवा वायुयान न हो, वातावरण में वायु प्रदूषणकारी के निस्त्राव के लिये मानक अधिकथित करना।
- मल एवं व्यावसायिक बहिःस्त्राय की अभिक्रिया की मितव्ययी और विश्वसनीय पद्धतियां निकालना।
- कृषि में मल और उपयुक्त व्यावसायिक बहिःस्त्रायों के उपयोग की पद्धितियां विकसित करना ।
- भूमि पर मल और उपयुक्त व्यावसायिक बहिःस्त्रायों के व्ययन की दक्ष पद्धतियां विकसित करना।
- सरिताओं या कुओं में अपशिष्ट के निस्सारण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के आदेश करना, उसमें उपान्तरण करना या उसे वापस लेना।

- राज्य सरकार को किसी ऐसे उद्योग के परिसर अथवा अवस्थान के बारे में सलाह देना जिसके चलाये जाने से वायु प्रदूषण अथवा सरिता या कुएं का प्रदूषण संभाव्य है।
- सरिता या कुएं से जल के नमूनों का अथवा मूल या व्यावसायिक बहिःस्त्राव के नमूनों का विश्लेषण कराने के लिये प्रयोगशालाऐं स्थापित करना एवं ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो केन्द्रीय बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें या उसे समय–समय पर सौंपे जाये।

4. क्षेत्रीय कार्यालयों के दायित्व

- उद्योग एवं स्थानीय संस्थाओं के प्रदूषण/प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संबंधी निरीक्षण।
- क्षेत्र में स्थित उद्योगों के निस्त्राव एवं उत्सर्जन की मानिटरिंग।
- क्षेत्र की परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मानिटरिंग, ध्वनि स्तर, वाहन उत्सर्जन मापन कार्य।
- उद्योग स्थापित करने हेतु प्रस्तावित स्थल का पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्तता बावत् जॉच कार्य।
- प्राकृतिक जल स्त्रोतों, नदियों, तालाबों, नालों आदि की मानिटरिंग।
- पर्यावरण दृष्टि से संवेदनशील स्थलों पर राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम के अन्तर्गतमॉनिटरिंग।
- लघु श्रेणी के उद्योगों एवं नगर पालिका परिषदों को सम्मति जारी करना तथा सम्मति का नवीनीकरण करना।
- वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के सम्मति/सम्मति नवीनीकरण से संबंधित प्रतिवेदन अनुशंसा सहित मुख्यालय को प्रस्तुत करना। प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु कार्यवाही।

भाग–दो

बजट प्रावधान एवं आय

वर्ष 2013–2014 में बोर्ड को विभिन्न स्त्रोतों से कुल प्राप्त राशि रू. 5353.12 लाख है। जिसमें राज्य शासन से प्राप्त राशि रू 1145.00 लाख है । केन्द्र शासन से प्राप्त राशि रू. 325.72 लाख है।

वर्ष 2013–2014 में राज्य शासन के बजट में रू. 1145.00 लाख का प्रावधान किया गया था। जिसके विरूद्ध राज्य शासन से रू. 1145.00 लाख की राशि प्राप्त हुई है। वर्ष 2014–15 की वार्षिक योजना में प्रस्तावित योजना के लिये रू. 1798.02 लाख का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित योजनाओं का विवरण तालिका में दर्शाया गया है :–

क्र.	योजना का नाम	राशि (रूपये लाख में)
1	अनुसंधान एवं विकास	
	1.1 सर्वे एवं मानिटरिंग	275.00
	1.2 ई–वेस्ट इनवेंटराइजेशन	15.00
	1.4 अनुसंधान विकास केन्द्र	135.00
	कुल	425.00
2	संगठन का सुदृढीकरण	700.00
3.	राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार	13.00
4.	कार्यशाला,सेमिनार,प्रशिक्षण एवं जन जागरूकता	50.00
5.	ऑन लाईन एम्बीऐन्ट एयर मॉनिटरिंग सिस्टमों की सीापना (बैतूल, भोपाल, ग्वालियर, देवास, रायसेन)	610.00
6.	आई.टी./ ई–गवर्नेंस	0.01
7.	पॉलिसी रिफार्म इन्टरप्राईज रिसोर्स प्लानिंग विजन– 2018	0.01
	कुल योग – (लाख रू. में)	**1798.02**

उपरोक्त के विरूद्ध बोर्ड को दिसम्बर अंत तक रू. 954.968 लाख की राशि प्राप्त हुई है।

भाग–तीन

(अ.) राज्य योजनायें

प्रदेश में विकास को पर्यावरणीय अधिनियमों के परिपेक्ष्य में संतुलित रखने के अभिप्राय से पर्यावरण नीति बनाई गई है तथा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण की महत्वपूर्ण गतिविधियों में औद्यौगिक प्रदूषण नियंत्रण, घरेलू प्रदूषण नियंत्रण, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, वाहन प्रदूषण मापन, जल स्त्रोतों की गुणवत्ता मापन व निगरानी,जोनिंग एटलस,परिसंकटमय अपशिष्ठ प्रबंधन,नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन इत्यादि महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सतत् कार्यवाही की जा रही है।

वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत संपादित प्रमुख गतिविधियां एवं उपलब्धियों की अद्यतन जानकारी नीचे दी गई हैं :–

1. औद्यौगिक प्रदूषण नियंत्रणः–

प्रदेश को औद्यौगिक प्रदूषण के खतरे से बचाने के उद्देश्य से विशेष कदम उठाते हुये राज्य में आनेवाले सभी नये उद्योगों को पूर्ण प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था लगाने के उपरांत ही उत्पादन की अनुमति दी गई। भविष्य में सभी उद्योगों को अधिकाधिक वृक्षारोपण करना अनिवार्य शर्त के रूप में निर्देशित किया गया। इस वर्ष 2013–14 में पचास हजार वृक्षों का रोपण निम्नांकित उघोगों द्वारा किया गया।

कमांक	उद्योग का नाम
1	मे. ओरियंट पेपर मिल, अमलाई, जिला– शहडोल
2	मे. एस.ई.सी.एल. सोहागपुर एरिया, जिला– शहडोल
3	मे. ए.सी.सी. सीमेंट लिमि., सीमेंट वर्क्स, कैमोर, जिला– कटनी
4	मे. निगाही प्रोजेक्ट, नार्दन कोल फील्ड्स लिमि., सिंगरौली
5	मे. दुधिचुआ प्रोजेक्ट, नार्दन कोल फील्ड्स लिमि. सिंगरौली
6	मे. ब्लाक ''बी'' प्रोजेक्ट, नार्दन कोल फील्ड्स लिमि., सिंगरौली
7	मे. सासन पॉवर लिमि. सिंगरौली
8	मे. जे.पी. रीवा सीमेंट (यूनिट ऑफ जयप्रकाश एसोसियेट्स लिमि.) जिला–रीवा
9	मे. जी.पी. सीधी सीमेंट (यूनिट ऑफ जयप्रकाश एसोसियेट्स लिमि.) जिला–सीधी

पूर्व से स्थापित सभी जल एवं वायु प्रदूषणकारी उघोगों में प्रदूषणरोधी व्यवस्था लागू कराने के साथ–साथ 18 उघोगों द्वारा जल उपचार संयंत्र तथा 13 उघोगों द्वारा वायु प्रदूषणरोधी उघोग लगाये गये।

ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 की अनुसूची में उल्लेखित उद्योगों को नोटिफिकेशन के प्रावधानों के अनुरूप भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति के पश्चात् जल/वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियमों केअंतर्गत एवं उद्योगों से आवेदन प्राप्त होने पर सम्मति प्रदान की जाती है, जिससे अधिक प्रदूषणकारी प्रक्रियाओं का स्वीकृति के पूर्व ही गहन परीक्षण हो जाता है एवं इसमें जन–भागीदारी भी सुनिश्चित् होती है।

2. नगरीय प्रदूषण नियंत्रण

नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन तथा हथालन) नियम, 2000 की धारा 4 (1) के तहत् नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन एवं निपटान करने का दायित्व संबंधित नगरीय निकाय का है एवं नियमों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी धारा–5 के अंतर्गत संबंधित जिलाधीश की है।

उपरोक्त नियमों के अंतर्गत बोर्ड के दायित्वों में स्थानीय निकायों को प्राधिकार प्रदत्त करना एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित करना है । बोर्ड द्वारा नियमित रूप से प्रतिवर्ष केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट भेजी जा रही है एवं अभी तक 298 नगरीय निकायों को प्राधिकार दिये गये है। कुल 364 नगरीय निकायों में से 334 नगरीय निकायों द्वारा प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है तथा

117 निकायों द्वारा भूमि का आधिपत्य भी प्राप्त कर लिया गया है । प्रदेश में 299 नगरीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ठ संग्रहण हेतु 302 नगरीय निकायों द्वारा अपशिष्ठ परिवहन की तथा 144 नगरीय निकायों द्वारा अपशिष्ठ निस्तारण की आंशिक व्यवस्था की गई है। बोर्ड द्वारा किए प्रयासों से कई नगरीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गई है एवं ग्वालियर तथा इंदौर नगर–निगम द्वारा अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रसंस्करण एवं निस्सारण सुविधाऐं कियान्वित की गई है। नगर–निगम, जबलपुर द्वारा नियमों के प्रावधानों के अनुसार लैंड फिल स्थल का विकास किया जा रहा है। 4 नगरीय निकायों द्वारा कम्पोस्ट प्लांट भी संचालित किये जा रहे है। बोर्ड द्वारा समय–समय पर जन जागरूकता हेतु कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते है।

3. परिसंकटमय अपशिष्ठ प्रबंधन 2013 – 2014

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत परिसंकटमय अपशिष्ठ (प्रबंधन, हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 दिनांक 24.09.2008 से अधिसूचित किये गये है, जिसके तहत् कुल 1619 उघोगों को प्राधिकार दिये गये।

4. मध्यप्रदेश में कुल प्राधिकृत उद्योगों की संख्या (क्षेत्रीय कार्यालयवार) निम्नानुसार है :–

क.	क्षेत्रीय कार्यालय	उघोगों की संख्या
1.	भोपाल	140
2.	धार	243
3.	गुना	27
4.	उज्जैन	145
5.	रीवा	21
6.	सतना	33
7.	सागर	51
8.	ग्वालियर	161
9.	जबलपुर	232
10.	इन्दौर	426
11.	शहडोल	77
12.	कटनी	33
13.	सिंगरौली	30
	कुल संख्या	1619

मध्यप्रदेश में स्थित प्राधिकृत उद्योगों से जनित अपशिष्ठों का अपवहन निम्न विधियों से किया जाता हैः–

(अ) इंसीनरेबल अपशिष्ठ – 3029.504 मे. टन
(ब) लेण्डफिल – 59479.703 मे. टन
(स) पुर्नउपयोग/विक्रय हेतु – 391109.178 मे. टन
अपशिष्ठों की कुल मात्रा – 453618.385 मे. टन

प्रदेश के 15 उधोगों द्वारा स्वयं परिसर में भस्मक (Incinerator) लगाकर अपशिष्ठों के दहन की व्यवस्था की है एवं 10 उघोगों ने अपशिष्ठों को अपवहित करने हेतु स्वयं की डिस्पोजल साईट विकसित की है तथा उसमें अपशिष्ठों का अपवहन किया जा रहा है।

परिसंकटमय अपशिष्ठों के अपवहन हेतु मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर जिला–धार में स्थल चिन्हित कर मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम भोपाल द्वारा बिडिंग के माध्यम से फैसिलिटी ऑपरेटर के रूप में मेसर्स रामके इन्वायरों इंजीनियर लिमिटेड, हैदराबाद का चयन बिल्ड ऑन ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर के आधार (BOOT basis.)कॉमन ट्रीटमेंट, स्टोरेज, डिस्पोजल फैसीलिटी (टी.एस.डी.एफ.) विकसित करने हेतु किया गया था। मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ठों के अपवहन हेतु सुविधा के विकास हेतु लगभग 60 एकड़ भूमि प्लाट नं. 104 औद्योगिक क्षेत्र–2, पीथमपुर धार में आवंटित की है।

फैसिलिटी आपरेटर द्वारा स्थल की ई.आई.ए. तैयार करने के पश्चात् ईआईए नोटिफिकेशन 1994 के प्रावधानों के तहत् लोक सुनवाई की प्रक्रिया करवाई गई व तदूपरांत मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थल को अधिसूचित किया गया था। पीथमपुर, जिला–धार में कॉमन ट्रीटमेंट, स्टोरेज, डिस्पोजल फैसिलिटी की स्थापना मेसर्स एम.पी.वेस्ट मेनजमेंट फैसिलिटी, पीथमपुर के नाम से की गई है। इस डिस्पोजल साईट में निम्न सुविधाओं का विकास किया गया :–

- अपशिष्ठों के भडारंण हेतु व्यवस्था।
- अपशिष्ठों के सॉलिडीफिकेशन/स्टेबलाईजेशन हेतु व्यवस्था।
- सिक्योर्ड लेण्डफिल सेल।
- लेण्डफिल से उत्पन्न होने वाले लीचेट के उपचार हेतु सोलर एवापोरेशन पॉड।
- अपशिष्ठों के विश्लेषण कार्यो हेतु प्रयोगशाला।
- अन्य सुविधा जैसे वे ब्रिज, वॉशिंग वे इत्यादि।
- इंसिनरेटर की स्थापना की गई है, तथा वर्तमान में यह ट्रायल रन की स्थिति में है।

इस सुविधा में खतरनाक अपशिष्ठों के डायरेक्ट लेण्डफिल एवं उपचार उपरांत भूमि भराव (लेण्डफिल) करने की क्षमता निम्नानुसार है :–

1.	प्रथम सेल	–	60,000.00 मैट्रिक टन क्षमता
2.	द्वितीय सेल	–	60,000.00 मैट्रिक टन क्षमता

इस सुविधा द्वारा नवम्बर, 2006 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया गया है तथा मार्च, 2013 तक इसमें लगभग 92,000.00 मैट्रिक टन अपशिष्ठ का अपवहन भी किया जा चुका है। सुविधा द्वारा इंसीनरेबल वेस्ट हेतु भस्मक की स्थापना की गई है।

बोर्ड द्वारा उघोगों का समय–समय पर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि उद्योगों द्वारा नियमों का सुचारू रूप से पालन किया जाये तथा आवश्यकता के अनुरूप उघोगों को उचित मार्गदर्शन दिया जाता है। नियमों का पालन न करने वाले उघोगों को नियम अनुसार दिशा निर्देश जारी कर कार्यवाही की जाती है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 13/09/2010 के अनुसार परिसंकटमय अपशिष्ठ की री–साईक्लिींग हेतु उद्योगो का पंजीयन का कार्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौपा गया है। इस संबंध में नये उघोगों के पंजीयन हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

प्रदेश में ई–वेस्ट के प्रबंधन हेतु बोर्ड द्वारा प्रदेश के 4 प्रमुख शहर क्रमशः भोपाल, जबलपुर, इन्दौर तथा ग्वालियर में माइक्रोलेबल ई–वेस्ट इंवेटराईजेशन का कार्य क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से किया जा रहा है। तथा सूक्ष्य स्तर पर इन्वेटराईजेशन का कार्य मेसर्स आई.आर.जी. सिस्टम, दिल्ली की संस्था के माध्यम् से किया जा रहा है।

नेशनल हार्जाडस इंफार्मेशन सिस्टम के तहत् मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण पश्चात् डाटा एंट्री का कार्य सतत् रूप से किया जा रहा है।

5. आपात अनुक्रिया केन्द्र (इमरजेन्सी रिस्पांस सेन्टर)

रासायनिक दुर्घटनाओं एवं संबंधित परिस्थितियों में उद्योंगो, शासकीय संस्थाओं एवं अन्य ऐजेंसियों को तकनीकी मार्गदर्शन देने हेतु इमरजेंसी रिस्पांस सेन्टर की स्थापना भारत शासन द्वारा की गई है। जिसका संचालन प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। इस केन्द्र को मध्य प्रदेश शासन ने रसायनों से संबंधित जानकारी एवं रासायनिक आपदाओं के समय मार्गदर्शन देने हेतु 'नोडल एजेन्सी' घोषित किया है। केन्द्र, राज्य आपदा समूह के साथ समन्वय के अलावा भारत सरकार द्वारा बनाये गये सेन्ट्रल क्राइसिंस ग्रुप अलर्ट सिस्टम एवं

नेशनल रजिस्टर ऑफ पोटेंसियली टॉक्सिक केमिकल से सतत् सम्पर्क रखता है। इस केन्द्र द्वारा शासकीय–अर्ध शासकीय संस्थाओं के अतिरिक्त औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं सामान्य नागरिक जनों को भी तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाता है। वर्तमान में 348 उद्योग इस केन्द्र के सदस्य है।

वर्तमान में इस केन्द्र में निम्नलिखित व्यवस्थायें हैं, जिनका उपयोग आपात परिस्थितियों में किया जा सकता है–

- इस आपात केन्द्र द्वारा लगभग 200 विष पदार्थो से संबंधित मोनोग्राफ, 75 से अधिक खतरनाक पेस्टीसाईड़ के बारे में तकनीकी सूचना पत्रक 150 से अधिक परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों से बचाव संबंधी जानकारी एवं 500 से अधिक रसायनों कीNIOSHविश्लेषण विधियों का संकलन किया गया है । जिनका उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा सकता है ।
- इस केन्द्र द्वारा रसायनों की पहचान हेतु क्रेफ्ट(Creft) प्रणाली विकसित कि है, जिसके द्वारा संबंधित खतरनाक रसायन के मूल स्वरूप के बारे में जानकारी अविलंब प्राप्त की जा सकती है । केमिकल वीपन्स कन्वेंशन अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट भारत सरकार की जिम्मेदारियों के कियान्वयन हेतु इस केन्द्र द्वारा भारत शासन के रसायन मंत्रालय से समन्वय किया जा रहा है ।
- रसायनों के प्रभाव क्षेत्र (influence zone) की जानकारी भी इस केन्द्र द्वारा तैयार की गई है, जिससे दुर्घटनाओं व अन्य आपात स्थितियों में दुर्घटना स्थल के आसपास के संभावित प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी प्रशासन को दी जा सकें । जानकारी के आधार पर दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पुर्नस्थापित करने में सहायता होती है । प्रदेश में रीजनल रजिस्ट्रर फॉर पाटेंशियल टॉक्सिक केमिकल से संबंधित कार्य भी आपात अनुक्रिया केन्द्र द्वारा संपादित किया जा रहा है । यह भारत सरकार की योजना है ।
- आपात अनुक्रिया केन्द्र द्वारा स्टेट क्राइसिस ग्रुप से समन्वय संबंधित कार्य एवं खतरनाक रसायनों एवं दुर्घटनाओं से संबंधित नियमों को भी देखा जा रहा है । प्रदेश में स्टेट क्राइसिस ग्रुप के अतिरिक्त 45 जिलों में डिस्ट्रीक्ट क्राइसिस ग्रुप एवं चार औद्योगिक क्षेत्रों में लोकल क्राइसिस ग्रुप का गठन किया जा चुका है । प्रदेश के 24 जिलों में 74 मेजर एक्सीडेंट हेजॉर्ड उद्योग इकाइयों को चिन्हित किया गया है । प्रत्येक जिले द्वारा मेजर एक्सीडेंट हेजार्डस यूनिट्स (MAH) के ''ऑफ साइट इमरजेन्सी प्लान' भी तैयार किये जा चुके है ।
- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई–दिल्ली द्वारा खतरनाक रसायनों से संबंधित एक तकनीकी दस्तावेज तैयार किया गया है, जो कि रसायनों के उपयोग एवं प्रबंधनों में बहुत उपयोगी है । इस दस्तावेज में प्रमुखतः सभी खतरनाक रसायनों के तकनीकी पत्रक (Material Saftey Data Sheet) दिये गये है । इस महत्वपूर्ण कार्य में ई.आर.सी. के द्वारा तकनीकी योगदान संबंधित संस्थान को दिया गया है ।
- आपात अनुक्रिया केन्द्र द्वारा आपात परिस्थितियों में जानकारियों का त्वरित आदान–प्रदान हो सकें इस हेतु फोन, ई–मेल एवं फेक्स सुविधाऐं प्रदान की गई है । जन सामान्य, उद्योंगो एवं अन्य संबंधितों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु वेब साईट पोर्टलwww.ercmp.nic.inबनाया गया है, जिस पर महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी गई है। वेबसाईट को ओर अधिक जानकारीप्रद बनाने एवं सुविधाओं के विस्तार जैसे ऑन लाईन शुल्क की गणना एवं भुगतान का कार्य प्रगति पर है । केन्द्र से संपर्क हेतु दूरभाष क्र. 0755–2469180 एवं ई–मेल पताercmppcb@mp.nic.inका उपयोग किया जा सकता है ।

केन्द्र द्वारा इस वर्ष भी आउट–रीच कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न औघोगिक क्षेत्रों में जन–जागृति कार्यक्रम किये गये। ये कार्यक्रम औघोगिक क्षेत्र, इंदौर, पीथमपुर (धार), विजयपुर (गुना), एवं आगासोड तह. बीना (सागर) में किये गये। इन सभी कार्यक्रमों में प्रमुख रूप से विभिन्न औघोगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि–गण, जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस विभाग, दमकल विभाग, जिला उघोग केन्द्र, नगर निगम, नगरपालिका, औघोगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आदि विभागों के अधिकारियों ने सहभागिता की। उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 700 लोग लाभान्वित हुये। कार्यक्रमोंमें विषय–विशेषज्ञों के संबोधन के अतिरिक्त मॉकड्रिल का भी प्रदर्शन किया गया। सभी सहभागितों को लगभग 200 रसायनों एवं 75 से अधिक खतरनाक पेस्टीसाइडों के बारे में जानकारी, 500 से अधिक रसायनों की एन.आई.ओ.

एस.एच. विश्लेषण विधियों एवं रसायनों के प्रभाव क्षेत्र की जानकारी संकलन कर सी.डी. के रूप में प्रदान की गई। इन कार्यशालाओं के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि उद्योगों एवं विशेषज्ञों के बीच संपर्क स्थापित हो सके जिससे रासायनिक आपात परिस्थितियों एवं अन्य औद्योगिक दुर्घटनाओं के समय उनसे उचित मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकें। इस श्रंखला में आगामी कार्यक्रम भोपाल एवं जबलपुर क्षेत्र में प्रस्तावित है।

3 दिसम्बर, 2012 को मुख्यालय में डिजास्टर के विभिन्न तकनीकी पहलुओं एवं सुरक्षा की अवधारणा पर एक पॉवर पाइंट प्रस्तुतिकरण दिया गया ।

भोपाल स्थित बी.एच.ई.एल. उघोग में 10 अक्टूबर, 2012 को टेस्टिंग एरिया के ट्रान्सफार्मर ब्लाक नं. 3 में आग लगने की घटना घटित हुई। घटना पर शीघ्र काबू करने के उद्देश्य से आपात अनुक्रिया केन्द्र घटना स्थल पर पहुंचा एवं संभव मदद प्रदान की।

मान्नीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण प्रमुख ब्रान्च, नई दिल्ली द्वारा कोल्ड एवं आईस फैक्ट्री आदि उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली गैसों के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया था। इस विषय पर ई.आर. सी. शाखा द्वारा मुख्य भूमिका निभातें हुये विषय में अपनी राय दी, जिसे वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के ओजोन सेल एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा विचार कर आवश्यक निर्देश जारी किये गये। उल्लेखनीय हों कि उक्त निर्देशों को म.प्र. शासन द्वारा राजपत्र में प्रकाशन किया।

पर्यावरण परिसर स्थित बोर्ड ने पुरानें क्षेत्रीय कार्यालय में रिनोवेशन का कार्य कर राज्य स्तरीय एयर विजिलेन्स सेन्टर की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

6. जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 20 जुलाई 1998 को जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम 1998 प्रकाशित किये गये हैं जो उन सभी संस्थाओं पर लागू हैं जो किसी भी रूप में जीव चिकित्सा अपशिष्ट का जनन, संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन, उपचार, व्ययन (डिस्पोजल) करते हैं। इन अपशिष्टों को 10 श्रेणियों में बांटा गया है। इनके उपचार की विभिन्न पद्धतियां जैसे इन्सीरिनेशन, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, रसायनिक उपचार, कटिंग थ्रेडिंग तथा भूमि में गहरा गाढ़ना आदि विकल्प उल्लेखित हैं।

स्वास्थ्य सेवायें अति आवश्यक होने के कारण अधिकांश चिकित्सालय व निजी नर्सिंग होम आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित हैं एवं इनके कचरे के अपवहन व डिस्पोजल की पृथक से व्यवस्था न होने के कारण पूर्व में इनका अपवहन व डिस्पोजल नगरीय ठोस अपशिष्टों के साथ किया जाता था। जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम लागू होने के उपरांत इन संस्थानों से उत्पन्न अपशिष्टों के समुचित प्रबंधन हेतु विभिन्न स्तर पर समन्वित प्रयास जैसे–चिकित्सालय में कार्यरत् स्टॉफ को समुचित प्रशिक्षण ताकि वे विभिन्न श्रेणी की अपशिष्टों को नियमों में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार पृथक–पृथक डस्टबिन में रख सकें, प्रत्येक नगर में जीव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार हेतु संयुक्त उपचार व्यवस्था तथा उपचारित अपशिष्टों के डिस्पोजल हेतु डम्पिंग साईट हेतु स्थलों का चयन व विकास इत्यादि। इस हेतु स्थानीय प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नर्सिंग होम एसोसियेशन इत्यादि के साथ बैठकें आयोजित कर समन्वित उपचार व्यवस्था की स्थापना हेतु प्रयास किये गये तथा वर्ष 1998 से निरंतर सभी चिकित्सा संस्थानों अथवा इनके स्थानीय संगठनों व संबंधित शासकीय विभागों/चिकित्सालयों का पत्राचार, बैठकें इत्यादि आयोजित कर नियमों से अवगत कराया गया तथा अधिकांश चिकित्सालयों में स्टॉफ को अपशिष्टों के पृथककरण व सुरक्षित एकत्रीकरण से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया गया। इन प्रयासों के फलस्वरूप दिसम्बर 2012 की स्थिति में मध्यप्रदेश में विभिन्न बिस्तर क्षमता के अस्पतालों की संख्या निम्नानुसार है :–

1.	500 बिस्तर क्षमता से अधिक के अस्पताल	13
2.	200 बिस्तर से 500 बिस्तर क्षमता के अस्पताल	33
3.	50 बिस्तर से 200 बिस्तर क्षमता से अधिक के अस्पताल	175
4.	50 बिस्तर से कम क्षमता के अस्पताल	2079

जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में भस्मक विधि पर आधारित अपशिष्ट निपटान व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है। उपरोक्त नगरों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर स्थापित अस्पतालों में भी भस्मक स्थापित किये गये हैं। इस प्रकार कुल 5 अस्पतालों द्वारा स्वयं के भस्मक की स्थापना की गई है तथा इनमें से 01 अस्पतालों जे.ए.अस्पताल, ग्वालियर द्वारा अपने भस्मक में नगर के अन्य अस्पतालों को व्यवसायिक शर्तों पर अपशिष्ट दहन की सुविधा दी गई है।

निजी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा भी व्यवसायिक शर्तों पर भस्मक पद्धति पर आधारित संयंत्र स्थापित कर जीव चिकित्सा अपशिष्ट को संयुक्त उपचार की निम्नानुसार व्यवस्था की गई है जहां अस्पतालों से कचरा एकत्रित कर उपचार स्थल तक परिवहन किया जाता है एवं उसका विनष्टिकरण किया जाता हैः–

1	इन्दौर नगर	1
2	भोपाल नगर	2
3	जबलपुर नगर	1
4	सिवनी नगर	1
5	सतना नगर	1
6	रतलाम नगर	1
7	सीहोर	1
8	उमरिया	1

5 लाख से कम आबादी के नगरों में डीप बरियल (गहरा गाढ़ना) पद्धति पर आधारित उपचार व्यवस्था की जाने की नियमों में अनुमति है। निजी क्षेत्र के उद्यमियों/संस्थाओं द्वारा छिंदवाड़ा नगर में यह सुविधा प्रारंभ की गई है। जिसका उपयोग नगर एवं आसपास के चिकित्सा संस्थान करते हैं । इसके अतिरिक्त मेसर्स बुन्देलखण्ड मेडीकल कॉलेज, सागर द्वारा सागर में भस्मक आधारित संयंक्त उपचार व्यवस्था कराये जाने के प्रयास किये जा रहे है।

नियम धारा 14 के अनुसार प्रत्येक स्थानीय संस्था नगर निगम, नगर पालिका आदि का यह दायित्व है कि वे अपने क्षेत्रों में संयुक्त अपशिष्ट निपटान/भस्मक स्थापित करें।

7. जल, वायु एवं ध्वनि गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम

प्रदेश की पर्यावरण स्वच्छता बनाये रखने के लिये बोर्ड के द्वारा विभिन्न पर्यावरण प्रदूषकों की जांच हेतु जल, वायु, ध्वनि एवं वाहन मापन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किये गये :–

8. प्राकृतिक जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग

प्राकृतिक जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग के अंतर्गत प्रदेश की प्रमुख नदियों, उसकी सहायक नदियों, झीलो, बॉधो, तालाबों, भू–जल स्त्रोतों तथा नालों से वर्ष 2013–2014 में कुल 4682 तथा 2014–2015 में दिसम्बर तक 2836 जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किये गये। विश्लेषण परिणामों के आधार पर भारतीय मानक आई.एस. 2296 के आधार पर प्रदेश की नदियों का वर्गीकरण किया गया है।

9. औद्योगिक दूषित जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग एवं उद्योगो के चिमनियों के उत्सर्जन व परिवेशिय वायु की निगरानी

औद्योगिक दूषित जल स्त्रोतों की निगरानी के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों से वर्ष 2013–2014 में कुल 4141 तथा 2014–2015 में दिसम्बर तक 2733 औद्योगिक दूषित जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किये गये।

चिमनियों के उत्सर्जन एवं निकटवर्ती परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग के तहत चिमनियों से वर्ष 2013–2014 में कुल 997 तथा वर्ष 2014–2015 में दिसम्बर तक 495 एवं परिवेशीय वायु के वर्ष 2013–2014 में 3648 तथा 2014–2015 में दिसम्बर तक 1600 नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये। विश्लेषण परिणाम निर्धारित मानकों से अधिक होने पर बोर्ड द्वारा उद्योगों को दूषित जल उपचार व्यवस्था प्रभावी बनाये जाने के लिये कार्यवाही करता है।

10. वाहन उत्सर्जन मापन

बोर्ड द्वारा प्रदेश के प्रमुख नगरों में क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से वाहन उत्सर्जन मापन का कार्य किया जाता है। वर्ष 2013–2014 में कुल 16240 वाहनों का उत्सर्जन मापन किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2014–2015 में माह दिसम्बर तक 10502 वाहनों का उत्सर्जन मापन किया गया। जिसमे से 843 (8 प्रतिशत) वाहन निर्धारित मानक से अधिक उत्सर्जन करते पाये गये। जिसकी जानकारी परिवहन आयुक्त को कार्यवाही हेतु समय–समय पर भेजी जाती है।

11. ध्वनि स्तर मापन

बोर्ड द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख नगरों के आवासीय, वाणिज्यिक,शांत तथा औद्योगिक क्षेत्रों में ध्वनि स्तर मापन का कार्य किया जाता है। वर्ष 2013–2014 में प्रदेश में कुल 6019 ध्वनि स्तर मापन किया गया। जिसमें से 2874 (47.75 प्रतिशत) ध्वनि स्तर के ऑकड़े निर्धारित मानकों से अधिक पाये गये। वर्ष 2014–2015 में माह दिसम्बर तक कुल 3579 ध्वनि स्तर मापन कार्य किया गया। जिसमें से 1902 (53.14 प्रतिशत) ध्वनि स्तर के आंकड़े निर्धारित मानक से अधिक पाये गये। ध्वनि स्तर मापन की जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष को कार्यवाही हेतु समय–समय पर भेजी जाती है।

12. जल उपकर

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1974 के अंतर्गत गठित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वित्तीय संसाधनों की वृद्धि हेतु उद्योगों एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा की जा रही जल खपत पर जल उपकर अधिरोपित होती है।

नीचे दी गई तालिका में जल उपकर के निर्धारण, वसूली तथा आय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है :–

(लाख रूपयों में)

वर्ष 2014	निर्धारित उद्योगों की संख्या	निर्धारित स्थानीय संस्थाओं की संख्या	निर्धारित जल उपकर की राशि	एकत्रित उपकर / केन्द्र शासन को भेजी गई रशि	केन्द्र शासन से प्राप्त राशि
अप्रैल–14 से दिसम्बर–14 तक	903	312	688.69	448.09	निरंक

13. केन्द्रीय प्रयोगशाला

13.1 पर्यावरणीय अनुसंधान

बोर्ड के केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा वर्ष 2014–15 राज्य बोर्ड की योजनाओं के अंर्तगत केन्द्रीय प्रयोगशाला अध्ययन कार्य किये जा रहे है।

(1) म.प्र. के प्रमुख शहरों के शहरीय एवं औद्योगिक क्षेत्र की परिवेशीय वायु के संस्पेडेड पार्टीकुलेट मैटर विशेषतः रेस्पायरेवल सस्पेंडेड पर्टीकुलेट मैटर में पॉली ऐरोमेटिक हाईड्रोकार्बन की उपस्थिति पर अध्ययन :–

वर्तमान समय में परिवेशीय वायु प्राकृतिक एवं मनुष्य द्वारा निर्मित माध्यमों द्वारा लगातार प्रदूषित होती जा रही है। प्रदूषणकारी तत्वों का लगातार परिवेशीय वायु में उत्सर्जन सिर्फ मनुष्य ही नही वरन् वस्तुओं पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। वर्तमान में वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग के अंतर्गत सिर्फCriteria pollutants (SO2, Nox, SPM) के अतिरिक्त अन्य विषैले प्रदूषकों की जॉच भी मानव स्वास्थ्य के परिपेक्ष्य में आवश्यक है। अतः भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नागदा एवं देवास क्षेत्र की परिवेशीय वायु में पॉली ऐरोमेटिक हाईड्रोकार्बन की उपस्थिति पर अध्ययन किया जा रहा है।

(2) सागर शहर के पेयजल स्त्रोतों के क्लोरीनयुक्त जल में ट्राय हेलोमिथेन की उपस्थिति पर अध्ययनः–

मध्यप्रदेश के प्रमुख शहरों में स्थित विभिन्न जल शुद्विकरण संयंत्र पर क्लोरीन उपचार के पश्चात् उत्पन्न होने वाले ए.ओ.एक्स. यौगिकों का परीक्षण किया जाना प्रस्तावित है यह महत्वपूर्ण है कि कुछ ट्रायहेलोमियेन यौगिक कैंसर कारी होते है अतः ट्रायहैलेमिथेन यौगिकों की पहचान तथा मात्रा का आंकलन पर अध्ययन किया जा रहा हैं।

(3) नर्मदा नदी का जैव परीक्षण

जलीय पर्यावरण की गुणवत्ता का आंकलन जैविकीय प्रचालकों के द्वारा किये जाने की विधी जैव परीक्षण कहलाती है। जैव परीक्षण, रासायनिक परीक्षण की अपेक्षा एक कारगर एवं सस्ती तकनीक है। यह तकनीक जलीय पर्यावरण में होने वाले विभिन्न परिवर्तन के आंकलन में सहायक है। जलीय जीव जंतु जल में होने वाले प्रदूषण से प्रभावित होते है। अतः जलीय जीव–जंतुओं की प्रजातियों की उपलब्धता के आधार पर जल गुणवत्ता का आंकलन किया जा सकता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुये बोर्ड द्वारा वर्ष 2014–15 में मध्य प्रदेश में प्रवाहित नर्मदा नदी की जैव परीक्षण किया जा रहा है।

(4) कोल आधारित ताप विद्युत गृह के स्त्रोत एवं आसपास के परिवेशीय वायु में पार्टिकल बाउण्ड मर्करी की उपस्थित पर अध्ययन।

(5) रिछाई औद्योगिक क्षेत्र, जबलपुर के भूजल गुणवत्ता की जॉच।

(6) केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा आयोजित प्रशिक्षण।

14. राज्य बोर्ड की योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा वर्ष 2013–14 में निम्न प्रशिक्षण आयोजित किये गये –

14.1 Fire Safety Training Organized by All India Institute of Local Government on 07/07/2014

14.2 केमिकल सेफ्टी, एरगोनोमिक्स एवं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एवं सेफ्टी अवेरनेस पर कार्यशाला– दिनांक 17 जुलाई, 2014

14.3 नदियों की बायो– मॉनिटरिंक दिनांक :– 16–17 सितम्बर, 2014

(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजनायें

केन्द्र शासन द्वारा भी जल, वायु गुणवत्ता मापन हेतु योजनाये प्रायोजित की गई है जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. राष्ट्रीय वायु मॉनिटरिंग प्रोग्राम (एन.ए.एम.पी.)

योजना के अंतर्गत राज्य के 13 शहरों के 34 अलग–अलग स्थानों जिसमें आवासीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक स्थान सम्मिलित है, उक्त स्थानो पर सप्ताह में दो बार वायु मॉनिटरिंग का कार्य किया जाता है। इस दौरान सल्फर डाई आक्साइड, नाइट्रोजन के आक्साईड ,सस्पेडेंड पार्टीकुलेट मेटर एव रेस्पायरेबल संस्पेंडेड पार्टीकुलेट मेटर का परीक्षण परिवेशीय वायु में किया जाता है। एकत्रित एवं विश्लेषित किये गये नमूनों की सख्या निम्नानुसार है :–

कमांक	पैरामीटर	नमूनो की संख्या वर्ष 2013	नमुनो की संख्या वर्ष 2014
1	So2	9039	10478
2	Nox	9274	10527
3	RSPM	4839	5653
4	SPM	3865	3470
5	PM2.5	206	678

2. विश्व पर्यावरणीय प्रबोधन पद्वति (जेम्स)

यह परियोजना जल निगरानी प्रणाली को सुदृढ करने, जल, गुणवत्ता संबंधित आकॅडों की विश्वसनीयता बढाने तथा चुने हुये खतरनाक पदार्थो का जल गुणवत्ता पर प्रभाव के अध्ययन हेतु केन्द्रीय बोर्ड के सहयोग से राज्य में वर्ष 1976 से निरन्तर जारी है।

योजना के अंतर्गत प्रदेश के 5 सेम्पलिंग स्थानों से वर्ष 2013–14 में कुल 48 नमूने तथा वर्ष 2014–15 में दिसम्बर तक 53 नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किया गया। प्राप्त परिणाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये गये। विश्लेषित परिणामो के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राकृतिक जल स्त्रोतो के प्रदूषण स्तर का ऑकलन कर उनका वर्गीकरण किया जाता है।

3. भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबोधन पद्वति (मीनार्स)

यह योजना केन्द्रीय बोर्ड की सहायता से राज्य के प्राकृतिक जल स्त्रोतो की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के उददेश्य से प्रारम्भ की गई थी। जिसके अंतर्गत वर्ष 2013–14 में 100 सेम्पिलंग स्थानों से 1284 नमूने तथा वर्ष 2014–15 में दिसम्बर तक 1235 नमूने एकत्रित कर विश्लेषित परिणाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये गये विश्लेषण परिणामों के आधार पर केद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राकृतिक जल स्त्रोतो के प्रदूषण स्तर का आकलन कर उनका वर्गीकरण किया जाता है।

4. बोर्ड में सूचना प्रौद्योगिकीः विकास एवं क्रियान्वयन

प्रदेश में पर्यावरण से संबंधित अधिनियमों, नियमों, अधिसूचनाओं के अन्तर्गत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों को जन मानस तक पहुॅचाने की दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग अत्यंत कारगर साबित हुआ है। वेब साईट का अपडेशन, संधारण एवं संचालन विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से बोर्ड की आई.टी. शाखा द्वारा स्वयं के संसाधनों से प्रारंभ किया। वेब साईट के संचालन एवं अपडेशन से आवश्यकता अनुसार त्वरित रूप से जानकारियॉ सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ वेब साईट पर देना प्रारंभ किया गया। बोर्ड की वेब साईट राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, नई दिल्ली के सर्वर पर वर्तमान में www.mppcb.nic.in पर कार्यरत है।

सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बोर्ड के कार्यो में पारदर्शित लाने की दिशा में एक अनूठी पहल की गई। सर्वप्रथम वर्ष 2008 में वृहद एवं मध्यम श्रेणी उद्योगों को सम्मति आवेदन पत्र के

संबंध में तकनीकी प्रस्तुतीकरण हेतु प्रस्येक माह के प्रथम एवं तृतीय गुरूवार का दिन सुनिश्चित कर प्रस्तुतीकरण की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

तकनीकी प्रस्तुतीकरण के मॉडल को देश में ख्याति एवं मान्यता प्राप्त हुई है एवं केन्द्रीय शासन द्वारा इसे पूरे देश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में लागू करने की अनुशंसा की है। उद्योगों से आये प्रतिनिधि तकनीकी प्रस्तुतीकरण माईक्रोसॉफ्ट पॉवर पाईन्ट पर बोर्ड के उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करते है। उद्योग प्रतिनिधि सम्मति आवेदन पत्र के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, पर्यावरण पारिस्थितिकी के आंकड़ों/फोटोग्राफ के माध्यम से प्रस्तुतीकरण करता है। तकनीकी प्रस्तुतीकरण करने के उपरान्त बोर्ड के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत निष्कर्ष/निर्णय को उसी दिवस को बोर्ड की वेब साईट पर प्रदर्शित किया जाता है, जो के वेब साईट पर ओपन एक्सेस होता है। उद्योग उक्त विवरण को पढ़कर तद्नुसार जानकारी प्रस्तुत कर सकते है। जिससे प्रकरण का शीघ्र निराकरण होता है।

बोर्ड की वेब साईट पर वृहद एवं मध्यम श्रेणी उद्योगों को जारी सम्मति/सम्मति नवीनीकरण/प्राधिकार संबंध जानकारी प्रदर्शित करना प्रारंभ किया गया। इससे पत्र जारी होने के उपरान्त उद्योग स्वयं इंटरनेट के माध्यम से सम्मति/सम्मति नवीनीकरण/प्राधिकार की स्थिति ज्ञात कर पाता है।

इसी परिपेक्ष्य में पारदर्शिता की ओर कदम बढ़ाये गए एवं बोर्ड की वेब साईट पर जारी होने वाले सम्मति/सम्मति नवीनीकरण पत्रों के स्केन प्रति को दिया जाने लगा है। इससे उद्योग सम्मति/सम्मति नवीनीकरण की प्रति वेब साईट से सीधे डाउनलोड कर सकता है।

वर्तमान में बोर्ड द्वारा गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र गॉधीनगर के सहयोग से एक्स.जी.एन. सॉफ्टवेयर संचालित है। इस सॉफ्टवेयर में कुल 16 मॉडल्यूस् सम्मिलित है, जिसमें वर्तमान में 06 मॉडल्यूस् के अन्तर्गत तकनीकी शाखा, मॉनिटरिंग शाखा, जीव चिकित्सा अपशिष्ठ शाखा तथा खतरनाक अपशिष्ठ प्रबंधन शाखा से संबंधित कार्य प्रारंभ किया गया है। सॉफ्टवेयर के डाटाबेस में लगभग 17000 उद्योगों के आंकड़े शामिल है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किये जा रहे है।

भाग–चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

1.	नियुक्ति	:–	निरंक
2.	समयमान–वेतनमान	:–	10
3.	विभागीय जॉच	:–	02
4.	न्यायालयीन प्रकरण	:–	निरंक

भाग–पांच

अभिनव योजना

1. पर्यावरण हितैषी पहल

गणेश उत्सव एवं दुर्गा पूजा उत्सव पर निर्मित प्रतिमाओं में प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ–साथ रासायनिक रंगों का उपयोग होता है जो कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा मूर्ति विसर्जन से होने वाले प्रदूषण एवं इसके नियंत्रण हेतु जारी दिशा–निर्देशों को मैदानी स्तर पर लागू करने हेतु बोर्ड के समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों ने अपने–अपने क्षेत्रों में प्रतिमाओं के निर्माण व इसके विसर्जन से होने वाले प्रदूषण के प्रति मूर्तिकारों, गणेश व दुर्गा उत्सव समितियों के पदाधिकारियों, स्थानीय संस्थाओं एवं जन–साधारण में जन–जागरूकता हेतु वृहद स्तर पर कार्यशालाओं एवं जन–जागृति कार्यक्रमों का आयोजन किया।

2. उद्योगों को राज्य पर्यावरण मित्र पुरस्कार

प्रदूषण पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण पाने वाले प्रदेश के 04 उद्योगों को राज्य पर्यावरण मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

कमांक	उद्योगों के प्रकार	उद्योगों के नाम	पुरस्कार राशि
1.	अत्यन्त प्रदूषणकारी उद्योग	मेसर्स विक्रम सीमेंट वर्क्स 2x23 मे.वा. थर्मल पॉवर प्लांट, पो.–खोर, तहसील–जावत, जिला–नीमच (म.प्र.)	1,50,000/–
2.	सामान्य प्रदूषणकारी उद्योग	मेसर्स सिपला लि., प्लांट नं. 09/10/एस.ई.जेड., फेस–2, फार्मा जोन सेक्टर–।।।, पीथमपुर, जिला– धार (म.प्र.)	1,00,000/–
3.	उत्खननरत् खदानें	मेसर्स कुर्जा सीतल धारा, यू.जी. माईन, 8, एस.ई.सी.एल., पो.ओ. –बिजुरी, जिला– अनूपपुर (म.प्र.)	1,00,000/–
4.	लघु उघोग श्रेणी	मेसर्स करसोमा बायोकेम प्रा.लि. प्लाट नं. 254, सेक्टर–3, इण्डस्ट्रीयल एरिया, पीथमुपर, जिला– धार (म.प्र.)	1,00,000/–

3. पर्यावरण जागरूकता रैली

पवित्र नदी नर्मदा को संरक्षित एवं प्रदूषण मुक्त रखने हेतु मण्डला, होशंगाबाद एवं ओकारेश्वर में पर्यावरण जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में स्थानीय विभिन्न संस्थानों, नगरपालिकाओं के अधिकारियों/ कर्मचारियों, अशासकीय संगठनों के साथ, गणमान्य नागरिकों, विभिन्न स्कूलों के छात्रों तथा संतों आदि द्वारा भाग लिया गया।

भाग–छः

प्रकाशन

बोर्ड द्वारा समय समय पर विभिन्न ब्रोसर, पेम्पलेट, न्यूज लेटर आदि प्रकाशन कर उसमें पर्यावरण की वर्तमान स्थिति, उनको हानि पहुंचाने वाली तत्वों तथा पर्यावरण सुधार के लिये वांछित जन अपेक्षाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जाता है।

भाग–सात

राज्य की महिला नीति

राज्य की महिला नीति व कार्य योजना के कियान्वयन हेतु सुश्री रीता तिवारी, मुख्य रसायनज्ञ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

भाग–आठ

सारांश

बोर्ड का मुख्य कार्य राज्य में जल एवं वायु गुणवत्ता प्रबोधन तन्त्र के अन्तर्गत विभिन्न जल स्रोतों, प्रदूषणकारी उद्योगों के निस्सारण बिन्दुओं व परिवेशीय वायु के नमूने एकत्र कर उनका विश्लेशण करना है। वाहनों से होने वाले उत्सर्जनों एवं ध्वनि प्रदूषण की भी जांच की जाती है। प्रदेश में स्थापित उद्योगों को उनके द्वारा किये जा रहे उत्सर्जनों/निस्रावों की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुसार रखने के निर्देश भी दिये जाते हैं। इसके अन्तर्गत उद्योगों को सक्षम जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाना आवश्यक है।

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)

भाग – एक

1. संरचना

मध्यप्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) की स्थापना पर्यावरण क्षेत्र में राज्य सरकार की परामर्शदात्री संस्था के रूप में 5 जून, 1981 को की गयी। एप्को सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्था है, जिसके अध्यक्ष, महामहिम राज्यपाल तथा उपाध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री तथा माननीय पर्यावरण मंत्री, मध्यप्रदेश शासन हैं। नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत पर्यावरण नीति के क्रियान्वयन में संस्था एक परामर्शी की भूमिका निभाती है। संस्था का प्रबंधन शासी परिषद द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष महानिदेशक एप्को हैं। राज्य शासन के वित्त विभाग एवं वन विभाग के सचिव, पर्यावरण मंत्रालय, भारत शासन के प्रतिनिधि, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कुलपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के साथ ही एक विख्यात पर्यावरणविद् भी शासी परिषद के सदस्य हैं। कार्यपालन संचालक, एप्को इसके सदस्य सचिव हैं।

2. उद्देश्य

1 राज्य की पर्यावरणीय वस्तुस्थिति प्रतिवेदन तैयार करना
2 प्रदेश में पर्यावरण के प्रति जनजागृति पैदा करना
3 राज्य की पर्यावरण नीति निर्धारण में राज्य शासन को परामर्श देना
4 पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भवन निर्माण आकल्पन करना
5 जैव विविधता से संपन्न क्षेत्रों की पहचान कर परियोजना दस्तावेज तैयार करना

3. अधीनस्थ कार्यालय

संगठन का मुख्यालय भोपाल में है। इसकी एक शाखा एप्को–ग्रामीण, पर्यावरण के ग्रामीण पहलुओं पर कार्य करने के उद्देश्य से अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय परिसर, रीवा में स्थित है।

भाग – दो

बजट विहंगावलोकन

(रू. लाख में)

अन्य शहरी विकास योजनाएं	2014–15 (राज्यांश)	2014–15 (केन्द्रांश)
पर्यावरणीय अनुसंधान प्रशिक्षण, शिक्षण राज्य आयोजना (सामान्य)	600.00	
जल प्रदाय निकायों का पर्यावरण सुधार राज्य आयोजना (सामान्य)	240.00	
इंदिरा गांधी फैलोशिप	6.50	
राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (शिवपुरी) (केन्द्र प्रवर्तित योजना)	703.00	
राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (मंदाकिनी नदी, चित्रकूट) (केन्द्र प्रवर्तित योजना)	530.00	
राज्य पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना	95.00	
राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान		90.00
राष्ट्रीय हरित कोर योजना		341.25
पचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व प्रबंधन योजना		50.00
स्वच्छ पर्यावरण प्रबंधन (कार्बन रेटिंग)	125.00	
वन संरक्षण अधिनियम के तहत आदिम जाति समुदायों को प्रशिक्षण	100.00	
सिरपुर तालाब	0.00	
योग – सामान्य योजना मांग संख्या –21–2217	**2399.50**	**481.25**

भाग – तीन

1. राज्य योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

एप्को, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की एक स्वशासी सलाहकारी संस्था है। संस्था द्वारा पर्यावरणीय शोध, योजना एवं आकल्पन संबंधी प्रतिवेदन तैयार करने हेतु परामर्शी सेवाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। संगठन को राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा नियमित रूप से धन राशि उपलब्ध नहीं करायी जाती है अपितु आर्थिक सहयोग के रूप में गतिविधि आधारित आंशिक अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस अनुदान राशि एवं परामर्शी सेवा द्वारा स्वअर्जित राशि से संचालित गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है :–

2. प्रमुख रूपांकन सेवाएं

2.1 वल्लभ भवन विस्तार योजना

वर्तमान सचिवालय वल्लभ भवन का निर्माण लगभग 50 वर्ष तत्तसमय की आवश्यकताओं अनुसार हुआ था। कालांतर में माननीय मंत्रीगणों एवं विभागों की संख्या में वृद्धि होने से, स्थान का अभाव कई वर्षों से महसूस किया जा रहा था। शासन द्वारा नवीन विस्तार परियोजना के क्रियान्वयन का निर्णय लेते हुए, एप्को को वास्तुविद् चयन करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। एप्को द्वारा अपनी आंतरिक प्रक्रिया अनुसार 6 वास्तुविदीय फर्मों की सूची, शासन द्वारा गठित वरिष्ठ अधिकारियों की समिति को प्रस्तुत की गई जिसमें से तीन वास्तुविदीय फर्मों को कॉन्सेप्ट डिज़ाइन हेतु आमंत्रित किया गया। चार सदस्यीय ज्यूरी द्वारा तीनों फर्मों के प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण के पश्चात नई दिल्ली स्थित मेसर्स सी.पी. कुकरेजा एसोसियेट्स का चयन किया गया। वास्तुविद् द्वारा प्रस्तुत कान्सेप्ट डिजाइन को कई चरणों की चर्चा उपरांत केबीनेट द्वारा मान्य कर लिया गया हैऔर राशि रू. 346 करोड़ की डी.पी.आर. का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। योजना का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्रजी द्वारा 1 नवम्बर 2014 को किया गया है। राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य हेतु मेसर्स शापोरजी पालोनजी कम्पनी प्रा.लि. को कार्यादेश दिया जा रहा है।

2.2 राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, भौंरी–भोपाल

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा भोपाल गैस त्रासदी के प्रभाव के बाद के अध्ययन हेतु नवीन राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान की स्थापना अक्टूबर 2010 में की गई है। संस्थान के नवीन परिसर हेतु राज्य शासन द्वारा ग्राम भौंरी तहसील हुजूर (भोपाल) में 20 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस कार्य की वास्तुविदीय सलाहकारी सेवाये एप्को में एम्पेनल्ड सूची में से चयनित वास्तुविद् मेसर्स ऑरकान्स, भोपाल के माध्यम से प्रदाय की जा रही है। योजना की अनुमानित लागत लगभग रू. 96 करोड़ है इसके तहत अनुसंधान कार्य हेतु बायों सेफ्टी मेन्यूल अनुसार विभिन्न प्रयोगशाला एवं संस्थान परिसर का निर्माण किया जाना है।कॉन्सेप्ट डिजाइन के अनुमोदन पश्चात विस्तृत नक्शे एवं डी.पी.आर. प्रशासकीय अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर दिये गये है।

2.3 राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलोजी संस्थान भौंरी–भोपाल

राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान के भोपाल सेंटर की स्थापना म.प्र. शासन के संयुक्त तत्वाधान में की गई, जिसमें वर्ष 2008–09 से अकादमिक सत्र प्रारंभ किये जा चुके हैं। संस्थान के नवीन परिसर हेतु राज्य शासन द्वारा 29.0 एकड़ भूमि ग्राम भौंरी तहसील हुजूर (भोपाल) में आवंटित की गई है। योजना का वास्तुविदीय आकल्पन कार्य एप्को के माध्यम से नई दिल्ली के वास्तुविद् मेसर्स सुरेश गोयल एंड एसोसिएट्स को सौंपा गया है। योजना की परिकल्पना कर कान्सेप्ट डिज़ाइन एवं डी.पी.आर. प्रस्तुत की जा चुकी है। संस्थान द्वारा योजना की कुल लागत लगभग रूपये 120 करोड़ आंकलित की गई है, जिसमें से प्रथम चरण में लगभग 40 करोड़ के कार्य प्रस्तावित है। स्थल पर कार्य प्रगति पर है।

2.4 लोकायुक्त संगठन कार्यालय हेतु विस्तार भवन, भोपाल

लोकायुक्त संगठन कार्यालय के सुचारू क्रियान्वयन में स्थान की कमी परिलिक्षित हो रही थी। इस हेतु वर्तमान कार्यालय परिसर में रिक्त भूमि पर विस्तार भवन का निर्णय लिया गया और संगठन हेतु गरिमापूर्ण डिज़ाइन का कार्य एप्को को सौंपा गया। एप्को द्वारा प्रस्तावित भवन ग्रीन बिल्डिंग मापदंड अनुसार तैयार करते हुये वर्तमान भवन की एतिहासिक वास्तुकला का समावेश किया गया है। योजना की अनुमानित लागत रूपये 9.50 करोड़ आंकलित है, भवन का सिविल निर्माण कार्य एवं आंतरिक सज्जा/फिनिशिंग का कार्य निर्धारित समय के पूर्व पूर्ण कर 11 जुलाई 2014 को भवन का लोकार्पण हो चुका है।

2.5 भोपाल में प्रस्तावित 'नवीन मंत्री–मंडल के शासकीय आवास गृह'

म.प्र. के माननीय मंत्रीगणों के शासकीय आवास गृहों हेतु भोपाल में 31.3 एकड़ भूमि पर 35, बंगलों का वास्तुविदीय आकल्पन कार्य एप्को को सौंपा गया है। यह कार्य विशिष्ट होने के कारण संगठन द्वारा प्रयास किया गया है कि योजना का कॉन्सेप्ट ग्रीन बिल्डिंग तथा एनर्जी एफिशिएंट जैसी ज्वलंत शैलियों पर आधारित हो, साथ ही सम्पूर्ण कॉम्पलेक्स के आकल्पन में मध्यप्रदेश की झलक विदित हो। भूदृश्यीकरण पर अत्यधिक ध्यान केन्द्रित हो, ऐसी कल्पना की गई है ताकि सम्पूर्ण कॉम्पलेक्स आकर्षक व मनोरम लगे। चूँकि इस योजना की परिकल्पना को लगभग तीन वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, अतः अंतर्विभागीय सचिव समिति के समक्ष, चयनित वास्तुविद् द्वारा पुनः प्रस्तुतीकरण हेतु बैठक प्रस्तावित है। तत्पश्चात नए मंत्री परिषद की उप समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा जाएगा।

2.6 लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों (PIU) द्वारा निर्मित किये जाने वाले विभिन्न शासकीय भवनों का निर्माण कार्य

शासकीय भवन निर्माण कार्यों को गुणवत्ता पूर्वक एवं समय सीमा में पूर्ण करने हेतु लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों को ट्रायबल विभाग व स्वास्थ्य विभाग के अनेक कार्य सौंपे गए हैं तथा इन भवनों का वास्तुविदीय रूपांकन कार्य एप्को को सौंपा गया है। इनमें से ट्रायबल विभाग के लिए कुल 11 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स का निर्माण लगभग रू. 140 करोड़ की लागत से किया जाना है तथा स्वास्थ्य विभाग के लिए 50 जिलों में जिला अस्पतालों का निर्माण लगभग रू. 250 करोड़ में किया जाना है। इसी के साथ 8 जिलों में अतिरिक्त एम.सी.एच. भवनों का निर्माण (100–बिस्तरीय एवं 60–बिस्तरीय) को उक्त जिला अस्पतालों के साथ एकीकृत कर प्रस्ताव तैयार किये जाने का कार्य भी प्रगति पर है। योजना की लागत लगभग रू. 68.00 करोड़ है।

2.7 भोपाल में प्रस्तावित शौर्य स्मारक

भोपाल में चिनार पार्क के समीप बारह एकड़ भूमि पर शौर्य स्मारक के निर्माण हेतु देशभर के वास्तुविदों से एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट आमंत्रित किये गए। एक उच्च स्तरीय ज्यूरी द्वारा शॉर्ट लिस्टिंग के उपरान्त एक सीमित प्रतिस्पर्धा के आधार पर स्मारक हेतु कॉन्सेप्टस तैयार करवाये गये तथा ज्यूरी द्वारा सबसे उपयुक्त डिजाइन मेसर्स यू.सी. जैन, आर्किटेक्चर एंड एनवायरमेंट, मुम्बई का चयन किया गया। वर्तमान में स्थल पर कार्य लगभग पूर्ण है। केवल आंतरिक साज–सज्जा का कार्य शेष है। योजना की लागत लगभग रू. 13.83 करोड़ है। शौर्य स्मारक के भ्रमण के दौरान हाल ही में वर्तमान मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिये गए निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त साइनेज ऑडियो/विजुयल (2 ones+amphitheatre) तथा इनके विस्तृत प्राक्कलन व मानचित्र, टेण्डर आमंत्रित करने हेतु निर्माण एजेन्सी को प्रदाय किए जा चुके है। माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा दिनांक 29.07.2014 को शौर्य स्मारक के भ्रमण के दौरान दिए गए निर्देशों के परिपालन में स्कल्पचर को रीलोकेट करते हुए उसके स्थान पर स्तम्भ निर्माण एवं अमर ज्योत प्रस्तावित है। उक्त स्तंभ के दो विकल्पों का प्रस्तुतीकरण दिनांक 26.12.2014 को माननीय मुख्यमंत्रीजी के समक्ष कन्सलटेंट द्वारा किया गया एवं अनुमोदित विकल्प पर कन्सलटेंट द्वारा विस्तृत डिजाइन, BOQ एवं डी.पी.आर., आदि का कार्य किया जा रहा है।

2.8 भोपाल में प्रस्तावित नवीन वन भवन का निर्माण

मध्यप्रदेश, भारतवर्ष का सर्वाधिक वन क्षेत्र से आच्छादित राज्य है तथा प्रदेश के वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु कार्यरत वन विभाग, अन्य प्रदेशों के वन विभाग से बड़ा है। प्रदेश के इस महत्वपूर्ण एवं वृहद विभाग के विभिन्न संस्थानों के मुख्यालयीन कार्यालयों को सर्व सुविधाओं से परिपूर्ण एक भवन में स्थापित करने की परिकल्पना को एप्को के माध्यम से बंगलौर के वास्तुविद द्वारा मूर्त रूप प्रदान किया जा रहा है। यह परिकल्पना लिंक रोड नंबर–2, तुलसी नगर, भोपाल स्थित वन विभाग के पुराने परिसर में वन भवन के नाम से लगभग 4.72 हेक्टेयर क्षेत्रफल की भूमि पर निर्मित होगी। योजना की कुल पुनरीक्षित अनुमानित लागत लगभग रू. 49.00 करोड़ का अनुमोदन शासन से प्राप्त हुआ था। वर्ष 2008 से 2013 तक अनुमानित लागत में वृद्धि के कारण वन भवन की पुनरीक्षित लागत लगभग रू. 87.00 करोड़ का अनुमोदन भी शासन से प्राप्त हो चुका है तथा टेन्डर की प्रक्रिया पूर्ण की जाकर कॉन्ट्रेक्टर को कार्य आवंटित कर दिया गया है। स्थल पर कार्य प्रगति पर है। EnvironmentalClearance हेतु SITOP द्वारा कन्सलटेंट का चयन किया जा चुका है GRIHA Consultantके चयन हेतु, कार्यवाही प्रचलित है।

2.9 बड़वानी जिले में भीमा नायक की स्मृति में ''भीमा नायक प्रेरणा केन्द्र'' की स्थापना

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आदिवासी जननायक ''भीमा नायक'' की स्मृति में बड़वानी जिले के ग्राम धावाबावड़ी में भीमा नायक प्रेरणा केन्द्र की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा को मूर्त रूप प्रदान करने के उद्देश्य से स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा यह कार्य एप्को को सौंपा गया। उक्त भवन की परिकल्पना की जाकर कॉन्सेप्ट प्रस्ताव एवं प्राक्कलन प्रस्तुत किए गए, जिसके अनुसार योजना लागत लगभग रू. 1. 48 करोड़ आंकी गई थी। तद्नुसार भवन निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं भूदृश्यीकरण का कार्य प्रगति पर है भवन के चारों ओर पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण भूदृश्यीकरण विकास एवं चारदीवारी के अतिरिक्त निर्माण कार्य से योजना लागत में वृद्धि हुई है और अब इस योजना की लागत रू. 2.36 करोड़ रूपये हो गई है।

2.10 खण्डवा जिले के ग्राम बड़ोदा अहीर में टण्ट्या भील स्मारक का निर्माण

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ग्राम बड़ोदा अहीर में आदिवासी जननायक टण्ट्या भील की स्मृति में रू. 2.00 करोड़ की लागत से विशाल स्मारक निर्माण किए जाने की घोषणा की गई। इस परिप्रेक्ष्य में स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा यह कार्य एप्को के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार योजना में कान्सेप्ट डिजाइन के अनुमोदन पश्चात विस्तृत प्राक्कलन प्रस्तुत किए गए, इसी के अनुरूप भवन निर्माण कार्य लगभग पूर्ण तथा भवन handover किया जा चुका है। भूदृश्यीकरण का कार्य प्रगतिरत है।

2.11 अशोकनगर, होशंगाबाद, गुना, बेतूल एवं अलीराजपुर में संयुक्त जिला कलेक्टर कार्यालय भवन निर्माण

लोक निर्माण विभाग अंतर्गत गठित परियोजना क्रियान्वयन ईकाईयों के माध्यम से अशोकनगर, होशंगाबाद, गुना बेतूल एवं अलीराजपुर में संयुक्त जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय भवनों के रूपांकन का कार्य एप्को द्वारा कराया जा रहा है। इस हेतु गठित वास्तुविद् चयन समिति द्वारा वास्तुविदों का चयन कर पॉचों जिलों के कार्य आवंटित कर दिये गये हैं। सभी जिलों में रूपांकन/आक्लपन का कार्य पूर्ण हो चुका है और डिजाइन अनुमोदित हो चुके हैं। चार जिलो के डी.पी.आर. स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये थे, जिसमें से अशोकनगर का कार्य स्थल पर प्रारंभ हो चुका है। बैतूल एवं होशंगाबाद की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति और गुना की प्रथम प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलित है। जिला अलीराजपुर की डी.पी.आर. जनवरी 2014 में प्रेषित की जा चुकी है तथा प्रशासकीय एवं टेक्निकल स्वीकृति अपेक्षित है।

2.12 जिला अलीराजपुर में चन्द्रशेखर आजाद नगर (भाबरा) में नवीन शासकीय महाविद्यालय

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत गठित परियोजना क्रियान्वयन इकाई के माध्यम से निर्मित होने जा रहे नवीन शासकीय महाविद्यालय हेतु वास्तुविद चयन कर कॉन्सेप्ट मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जा चुके है। योजना की अनुमानित लागत लगभग रू. 13.00 करोड़ थी किन्तु प्रस्तावित अधोसंरचना को कम करते हुए राशि रू. 3.25 में नवीन प्राक्कलन चाहा गया था। एप्को द्वारा कन्सलटेंट के माध्यम से रू. 3.35 करोड़ का नवीन प्राक्कलन तैयार कर 11/03/2014 को मेल द्वारा भेज दिया गया था। अनुमोदन अपेक्षित है।

2.13 राज्य अतिथि गृह

प्रदेश की राजधानी भोपाल में राज्य अतिथि गृह के निर्माण हेतु वास्तुविद् सेवाएं एप्को द्वारा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के माध्यम से नियुक्त नई दिल्ली के वास्तुविद् अरिनेम कन्सलटेन्सी द्वारा प्रदान की जा रही है। विषयांकित कार्य हेतु भोपाल के लिंक रोड क्र. 3 पर लोक निर्माण विभागीय कर्मशाला के पास करीब 3.0 एकड़ की भूमि शासन द्वारा आवंटित की गई है। प्रस्तावित अतिथि गृह राज्य के अतिथियों के ठहरने हेतु सर्व–सुविधा–युक्त बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसमें करीब 4 वी.वी.आई.पी., 6 वी.आई.पी. एवं 40 अधिकारियों का ठहरने की व्यवस्था रहेगी। साथ ही विभिन्न सुविधाऍं जैसे कॉफ्रेन्स हाल, बैठक हाल, डायनिंग किचन, स्टाफ क्वार्टस आदि की भी व्यवस्था की गई है। प्रस्तावित भवन ग्रीन बिल्डिंग के मापदंड का समावेश कर बनाया जायेगा। योजना की लागत रू. 43.193 करोड़ प्रस्तावित है। सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 18/03/2014 को नक्शों का अनुमोदन पश्चात् डी.पी.आर. प्रस्तुत की गई। साथ ही योजना अंतर्गत Statutory Approval drawings लोक निर्माण विभागको प्रदाय की जा चुकी है।

2.14 चिकित्सा महाविद्यालय

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में वार्ड निर्माण एवं स्नातक तथा स्नातकोत्तर सीटों में हुई वृद्वि के कारण महाविद्यालयों का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य एप्को को सौपा गया है। उक्त कार्य निम्नलिखित महाविद्यलयों में चल रहा हैं:–

1. महात्मा गॉधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर
2. महाराजा तुकोजीराव होल्कर चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर
3. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर
4. टी.बी. एवं चेस्ट वार्ड का निर्माण, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर।
5. गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल परिसर में वायरोलोजी लेब का निर्माण।

उपरोक्त सभी योजनाओं हेतु वास्तुविद् सेवाऍं एप्को द्वारा एमपेनल्ड वास्तुविदीय सलाहकारों द्वारा प्रदाय की जा रही हैं जिसमें यह ध्यान रखा गया है कि वर्तमान भवन की ऐतिहासिक वास्तुकला के अनुरूप नए भवन का भी स्वरूप हो। उपरोक्त सभी योजनाओं की सम्मिलित लागत लगभग 60.00 करोड़ है तथा इन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन कार्य प्रगति पर है।

2.15 वृहद आडिटोरियम एवं विनिमानक आयोग कार्यालय भवन

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनिमानक आयोग भोपाल की प्रस्तावित वृहद आडिटोरियम कार्यालय भवन एवं स्टाफ क्वार्टरस के लिए उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल के परिसर में चिन्हांकित 1.16 एकड़ भूमि आवंटन की गई। योजना का अधोसंरचना का निर्माण कार्य एप्को को सौंपा गया। एप्को ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता कर न्यू दिल्ली के वास्तुविद् ''माथुर एण्ड कापरे एसोसियेट्स'' का चयन कर कान्सेप्ट ड्रांइग तैयार कर प्रस्तुतीकरण किया। योजना को रू. 9.82 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति कार्यालय भवन एवं स्टाफ क्वार्टर के लिए प्राप्त हो गई है, तथा आडिटोरियम कार्य द्वितीय चरण में प्रस्तावित है। प्रास्तावित डिज़ाइन में वर्षा जलीय संग्रहण, निःशक्त सुलभ, सौर ऊर्जा उपमांग प्राकृतिक रोशनी तथा मटेरियल चयन

आदि का समावेश कर ग्रीन बिल्डिंग तकनीक का प्रावधान किया गया है। योजना अर्न्तगत B.O.Q.एवं टेण्डर ड्राईंग बनाने का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं वर्किंग ड्राइंग्स प्रगति पर है।

3. पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण (एस.क्यू.सी.)

मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग के परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा म.प्र. के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत शाला भवन एवं छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। इस हेतु इन भवनों के पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य एप्को द्वारा किया जा रहा है। निर्माणाधीनभवन 13 पी.आई.यू. में हैं जिसके अंतर्गत लगभग 1000 भवनों का निर्माण प्रस्तावित है जिसकी अनुमानित लागत लगभग रूपये 785 करोड़ है। निविदा प्रक्रिया आरम्भ कर दी गयी है।

4. सिंहस्थ 2016

उज्जैन में वर्ष 2016 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ मेले को दृष्टिगत रखते हुए काम्प्रहेन्सिव मेला प्लान तैयार करने का दायित्व राज्य शासन द्वारा एप्को को सौंपा गया था। नगर निगम, उज्जैन व एप्को के मध्य संपादित अनुबंधानुसार एप्को द्वारा मेला प्लान को अंतिम रूप दिया जाकर दिनांक 26 दिसम्बर 2013 नगर निगम, उज्जैन को सौंपा जा चुका है।

5. परियोजना प्रबंधकीय सलाहकार (PMC)

एप्को द्वारा वर्तमान में वल्लभ भवन विस्तार परियोजना, नवीन विधायक विश्राम गृह एवं विकास भवन हेतु परियोजना प्रबंधकीय सलाहकारी सेवाओं का कार्य किया जा रहा है।

6. ग्रीन बिल्डिंग कार्य

एप्को द्वारा वर्तमान में नवीन विधायक विश्राम गृह एवं वन भवन परियोजनाओ को ग्रीन कान्सेप्ट पर तैयार करने हेतु भी कार्य किया जा रहा है। इस हेतु सलाहकार के चयन की प्रक्रिया जारी है।

7. डेव्लपमेंट प्लान

एप्को द्वारा पचमढ़ी स्थित चौरागढ़ एवं महादेव के विकास हेतु योजना तैयार की जा रही है।

8. बायोस्फियर रिजर्व प्रबंधन कार्य योजना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मानव एवं बायोस्फियर रिजर्व कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के जैवविविधिता से सम्पन्न क्षेत्रों की पहचान कर उनके संरक्षण हेतु बायोस्फियर रिजर्व स्थापित किये जा रहे है। इस योजना का मुख्य उददेश्य जैवविविधिता का संरक्षण करना, स्थानीय रहवासियों से जुड़ी अजीविका एवं उनके विकास की योंजनाओं तथा शोधशिक्षणएवं प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है।

मध्यप्रदेश के बायोस्फियर रिजर्व क्षेत्रों के लिए प्रबंधन कार्य योजना तैयार करने, समन्वय एवं क्रियान्वयन हेतु नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को नोडल विभाग एवं एप्को को नोडल एजेन्सी नामांकित गया है। मुख्य सचिव, म.प्र. शासन की अध्यक्षता में बायोस्फियर रिजर्व क्षेत्रों के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यो के मूल्याकंन एवं समीक्षा हेतु राज्यस्तरीय स्टेयरिंग समिति का गठन किया गया हैं। इसी प्रकार प्रबंधन कार्य योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित कार्यो के आंकलन हेतु प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के अध्यक्षता में मानटरिंग समिति का भी गठन किया गया है। जिला स्तर पर कार्य योजना बनाने, समन्वय एवं क्रियान्वयन हेतु संबधित जिलों में जिला स्तरीय क्षेत्र समन्वय समिति का गठन किया गया है। इन समितियों के अध्यक्ष संबंधित जिलो के जिला कलेक्टर को बनाया गया है।

9. पचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व प्रबंधन कार्य योजना

सतपुड़ा पहाडियों की जैव विविधता एवं अन्य प्राकुतिक संसाधनों के संरक्षण की दृष्टि एवं अंतराष्ट्रीय महत्व को देखते हुए भारत शासन द्वारा वर्ष 1999 में पचमढ़ी क्षेत्र को बायोस्फियर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है।पचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व का कुल क्षेत्र 4981.72

वर्ग किमी. है, जो कि 22''11' से 22''50' उत्तरी अक्षांश और 77''47' से 78''52' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। यह होशंगाबाद, बैतूल एवं छिन्दवाड़ा जिलों फैला हुआ है।

पचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व के पर्यावरणीय संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु एप्को द्वारा भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुरूप संबधित जिलों में जिला स्तरीय क्षेत्र समन्वय समिति में विचार विमर्श उपरांत राशि रू. 1220.33 लाख का पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव तैयार किया गया। राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति के द्वारा उक्त योजना प्रस्तावों के अनुमोदन उपरांत स्वीकृति हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा।

10. अचानकमार–अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व प्रबंधन कार्य योजना

अचानकमार–अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व, मार्च 2005 में घोषित किया गया, यह मध्यप्रदेश के अनूपपुर और डिंडौरी जिले एवं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले (उत्तरी अक्षांशः 22''15' से 22''58 पूर्व देशांतरः 81''25' से 82''50') तक फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 3835.51 वर्ग किमी. है, जिसमे से छत्तीसगढ़ (बिलासपुर) के अन्तर्गत 68.1 प्रतिशत एवं मध्यप्रदेश के अन्तर्गत 31.9 प्रतिशत (डिंडौरी 15.7 प्रतिशत अनूपपुर 16.2 प्रतिशत) भाग आता है।

अचानकमार–अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व के पर्यावरणीय संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु एप्को द्वारा भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुरूपसंबधित जिलों में जिला स्तरीय क्षेत्र समन्वय समिति में विचार विमर्श उपरांत राशि रू 741.57 लाख का पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव तैयार किया गया। राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति के द्वारा उक्त योजना प्रस्तावों के अनुमोदन उपरांत स्वीकृति हेतु पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा।

11. पन्ना बायोस्फियर रिजर्व प्रबंधन कार्य योजना

पन्ना बायोस्फियर रिजर्व, अगस्त 2011 में घोषित किया गया, यह मध्यप्रदेश के पन्नाएवं छतरपुर जिले (उत्तरी अक्षांशः $24^0$15'से $25^0$00'पूर्व देशांतरः 79''30' से 80''30') तक फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल2998.98 वर्ग किमी. है।

पन्ना बायोस्फियर रिजर्व के पर्यावरणीय संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु एप्को द्वारा भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुरूपसंबधित जिलों में जिला स्तरीय क्षेत्र समन्वय समिति में विचार विमर्श उपरांत राशि रू 693.001 लाख का पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव तैयार किया गया। राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति के द्वारा उक्त योजना प्रस्तावों के अनुमोदन उपरांत स्वीकृति हेतु पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा।

12. बायोस्फियर रिजर्व राज्य शासन मद

एप्को द्वारा राज्य शासन के बजट से पचमढ़ी, अचानकमार–अमरकंटक एवं पन्ना बायोस्फियर रिजर्व के अंतर्गत जैवविविधिता संरक्षण एवं प्रबंधन कार्यो हेतु राशि रू. 59.85 लाख स्वीकृति कर राशि रू. 19.48 लाख क्रियान्वयन संस्थाओं को मुक्त किया गया है। योजनान्तर्गत मुक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात शेष राशि क्रियान्वयन संस्थाओं को मुक्त की जाएगी।

13. पर्यावरण के क्षेत्र में सलाहकारिता सेवायें प्रदान करना

एप्को के कार्यकलापों को सतत् गति प्रदान करने एवं स्वपोषी बनाने के लिये सलाहकारिता सेवायें प्रदान करने हेतु एप्को में व्यावसायिक अध्ययन एवं सलाहकारिता प्रकोष्ठ का गठन कर प्रतिष्ठित 57 व्यावसायिक/सलाहकारी संस्थाओं को सूचीबद्ध किया गया। सलाहकारिता प्रकोष्ठ द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 05 परियोजनायें संचालित की जा रही है।

14. सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना

मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां नल जल प्रदाय योजना नहीं है एवं जल की गुणवत्ता भी उपयुक्त नहीं है ऐसे क्षेत्रों में नवीन तकनीक पर आधारित सामुदायिक जल शुद्धिकरण/उपचार संयत्र की स्थापना पीपीपी मोड पर की जा रही है। इसहेतु प्रदेश के धार

जिले में 4 गांव लेबड़, बंददेदी, जाजमखेड़ी एवं बदग्यार, दमोह जिले के 3 गांव किशनगंज, जैरठ एवं बंदकपुर तथा मण्डला जिले के 3 गांव मोगांव, सेमरखापा एवं पोंडीमहाराजपुर का चयन, जिला प्रशासन के माध्यम से कर, प्रायोगिक तौर पर कुल 10 सामुदायिक जल उपचार संयंत्रों की स्थापना हेतु फर्म का चयन कर उक्त संयंत्र ग्राम की जनसंख्या के अनुसार 500 लीटर प्रति घंटा की क्षमता के इस वित्तीय वर्ष में 10 वर्षों के लिये पीपीपी मोड पर स्थापित किये गये। योजना का क्रियान्वयन स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत/जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया है।

15. जलवायु परिवर्तन विषय पर एप्को की भूमिका

राज्य शासन ने जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को रेखांकित करते हुये प्रादेशिक स्तर पर कार्य करने हेतु एप्को को भस्टेट डेसिगनेटेड एजेंसी का दायित्व सौंपा है। जलवायु परिवर्तन विषय पर वैज्ञानिक अध्ययन, मैदानी परियोजनाऐं एवं विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमो के माध्यम से जनचेतना लाने का प्रयास किया जा रहा है।

म.प्र.दृष्टिपत्र के मंशा अनुरूप ज्ञान प्रबंधन केन्द्र की स्थापना की गई है, इस ज्ञान प्रबंधन केन्द्र का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 6 एवं 7 सितम्बर 2014 को आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान किया गया। राज्य शासन ने जलवायु परिवर्तन विषय से संबंधित ज्ञान के प्रबंधन हेतु एप्को को राज्य जलवायु ज्ञान प्रबंधन नोडल ऐजेंसी का दायित्व भी सौंपा है। केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलवायु ज्ञान प्रबंधन मिशन के अन्तर्गत एप्को को राज्य इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की है तथा इस हेतु अनुदान स्वीकृत किया है।

प्रदेश स्तर पर राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना के अनुसार राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना(SAPCC)तैयार की गयी है, जिसका अनुमोदन भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया गया है।SAPCCके दस्तावेज को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विमोचित किया गया।

जलवायु ज्ञान प्रबंधन केन्द्र की संरचनाHUB & Spokeआधारित है।Hubभोपाल स्थित एप्को कार्यालय में होगा तथा प्रदेश के 11 कृषि जलवायु क्षेत्रो में संभागीय मुख्यालय स्तर पर एक सामुदायिक संस्था का चिन्हांकन UNDPद्वारा किया गया। इन्हें एक निश्चित मॉडल कार्यक्रम सौंपा गया। राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केन्द्र की गतिविधियों पर आधारित एक नालेज पोर्टल भी बनाया गया है। यहwww.skmccc.netपर उपलब्ध है।

शासकीय अधिकारियों को जलवायु परिवर्तन संबंधी गतिविधियों से अवगत कराने हेतु प्रशासन अकादमी भोपाल के सहयोग से एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमClimate Change Appreciation Courseचलाया जा रहा है। इसी तरह में प्रदेश के पांच जिलो रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर विदिशा, बुरहानपुर में कृषि तकनीकी प्रबंधन अभिकरण(ATMA) में भी प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम हेतु तकनीकी एवं आर्थिक अनुदान दिया गया है।

के क्षेत्रों में जल विभागों को प्रेषित किया गया। MoEF-GIZ परियोजना सफलता पूर्वक दिनांक 31.12.2014 को सम्पन्न हो गयी।

छह राज्यों में जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना के परिपालन हेतु संस्थागत मूल्यांकन तथा जलवायु परिवर्तन संबंधी डेटा की आवश्यकता – गुणवत्ता मूल्यांकन संबंधी कार्य DFID द्वारा एप्को को सौंपा गया है। यह कार्य भी सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है।

16. अनुपयोगी कागज पुनर्चक्रीकरण ईकाई

कार्यालय द्वारा स्थापित अनुपयोगी पुनर्चक्रीकरण ईकाई का कार्य सुचारू रूप से चालू है। ईकाई द्वारा परिसर स्थित कार्यालयों से निकलने वाले कागज अपशिष्ट का पुनर्चक्रकरण कर कार्यालय उपयोगी स्टेशनरी का उत्पादन किया जा रहा है। उत्पादित स्टेशनरी एप्को, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, आपदा प्रबंध संस्थान में उत्पादन लागत पर प्रदान की जा रही है। साथ ही मंडी बोर्ड को भी स्टेशनरी प्रदान की गई है। इसके साथ ही भोपाल विकास प्राधिकरण, इंदौर विकास प्राधिकरण, म.प्र. हाउसिंग बोर्ड से भी आदेश प्राप्त हुए हैं।

17. राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA))

भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 1533 दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) का गठन किया गया था जिसका कार्यकाल दिनांक 11.11.2013 पूर्ण हो गया था तथा भारत सरकार द्वारा दिनांक 30.06.2014 को SEIAA एवं SEAC का पुर्नगठन किया गया है। उक्त प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना के शेड्यूल अनुसार प्रदेश में प्रस्तावित विभिन्न परियोजनाओं को पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्रदान की जाती है। प्राधिकरण में अध्यक्ष, सदस्य एवं सदस्य सचिव का नामांकन होता है। एप्को के कार्यपालन संचालक को इस प्राधिकरण का सदस्य सचिव नामांकित किया गया है। यह प्राधिकरण राज्य स्तर पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्यरत है। इस प्राधिकरण का बजट का प्रावधान राज्य शासन द्वारा किया जाता है।

इसी तरह भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उपरोक्त अधिसूचना के तहत राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) का पूर्व में गठन किया गया था। इस समिति में अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के अतिरिक्त कुल 10 विषय विशेषज्ञ हैं। म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को इस समिति का सचिव नामांकित किया गया है। पूर्व पर्यावरण

स्वीकृति हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं का तकनीकी परीक्षण इस समिति द्वारा किया जाता है तदोपरान्त समिति की अनुशंसायें राज्य स्तरीय पर्यावरण निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) को भेजी जाती है। प्रकरण का अंतिम निर्णय प्राधिकरण की बैठक में लिया जाता है।

MPSEIAA के गठन से दिनांक 31.12.14 तक कुल 2327 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं। पुर्नगठन उपरांत वर्ष 2014 में कुल 586 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं, MPSEIAA की 18 बैठकें तथा MPSEAC की 17 बैठकें की गई। कुल 145 प्रकरणों में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई और 19 प्रकरणों (delist/reject) का निपटारा किया गया।

18. केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजनान्तर्गत दसवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश की तीन नदियों नर्मदा नदी, होशंगाबाद, बेहर नदी, रीवा एवं मंदाकिनी नदी, सतना के संरक्षण एवं उन्नयन की परियोजना स्वीकृत की है। इस परियोजना में जल–मल निकासी तंत्र, कम लागत की स्वच्छता, शवदाह, नान पाइंट प्रदूषण के स्रोत, घाट निर्माण, सौन्दर्यीकरण, जल ग्रहण क्षेत्र का ट्रीटमेंट एवं वृक्षारोपण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, मानव संसाधन विकास एवं संस्थागत सुदृढ़ीकरण शामिल है। उक्त तीनों परियोजनाओं की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

नर्मदा नदी, होशंगाबाद– परियोजना की कुल संशोधित पुनरिक्षित स्वीकृत लागत लगभग रू. 20.06 करोड़ है। परियोजना हेतु केद्रांश रू. 9.09 करोड़ में से रू. 5.30 करोड़ तथा राज्यांश रू. 11.00 करोड़ है, में से रू. 6.70 प्राप्त हो चुके है। योजना अंतर्गत नॉनकोर घटक कार्यों के अंतर्गत कम स्वच्छता लागत सुलभ शौचालयो, धोबी घाट, शवदाह गृह, जलग्रहण क्षेत्र में वृक्षारोपण, तटीय क्षेत्र का विकास, व्यूपांईट/राजघाट का विकास आदि कार्य नगर पालिका परिषद होशंगाबाद द्वारा कराये गये। योजना अंतर्गत कोर घटक का पुनरिक्षित प्रस्ताव के कार्य क्रियान्वयन हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र. शासन को सौंपा गया है। योजना में अतिरिक्त आवश्यक राशि (राज्याशं) रू. 7.07 करोड़ की राज्य वित्तीय समिति द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। अतिरिक्त आवश्यक राशि का प्रावधान 12वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया है। पुनरिक्षित योजना पूर्ण करने की समय सीमा 02 वर्ष (2013 से 2015 तक) निर्धारित की गई है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रथम चरण, वर्ष 2014–15 में 04 एमएलडी क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 1 पम्पिंग स्टेशन, 19 एलपीएस, 28 मी. हेड, 500 मी. सीआई पाईप लाइन एवं ट्रंक सीवर लाइन प्रस्तावित की गई है। कार्य की निविदाये ऑनलाइन आमंत्रित की गई है। जो कि प्रगति पर है। 04 एमएलडी क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिये प्रस्तावित 7.7 हेक्टेयर की भूमि भीलपुरा में निर्धारित की गई है। द्वितीय चरण में (वर्ष 2014–15) 12 एमएलडी क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिये स्थल का चयन ग्राम डोंगरबाड़ा के पास किया गया है।

बीहर नदी, रीवा– परियोजना की कुल संशोधित पुनरिक्षित स्वीकृत लागत रू. 29.10 करोड़ है। परियोजना हेतु रू. 13.61 करोड़ केन्द्रांश में से रू. 2.80 करोड़ तथा रू. 15.49 करोड़ राज्यांश में से रू. 11.22 करोड़ प्राप्त हो चुके है।नॉनकोर घटक कार्यों के अंतर्गत कम स्वच्छता लागत सुलभ शौचालयो, धोबी घाट, शवदाह गृह, जलग्रहण क्षेत्र में वृक्षारोपण, तटीय क्षेत्र का विकास आदि कार्य नगर पालिका परिषद, रीवा द्वारा कराये गये। योजना अंतर्गत कोर घटक का पुनरिक्षित प्रस्ताव के कार्य क्रियान्वयन हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र. शासन को सौंपा गया है। योजना में अतिरिक्त आवश्यक राशि (राज्याशं) रू. 9.49 करोड़ की राज्य वित्तीय समिति द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। अतिरिक्त आवश्यक राशि का प्रावधान 12वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया है। पुनरिक्षित योजना पूर्ण करने की समय सीमा 03 वर्ष (2012 से 2015 तक) निर्धारित की गई है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा वर्ष 2014–15 में 12 एमएलडी क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं मेन पम्पिंग स्टेशन, नाला ट्रेपिंग, इंटर सेप्सन सीवेज पाइप लाइन एवं इंटर मीडियेट पंम्पिग स्टेशन के कार्य की निविदाये स्वीकृत कर कार्य आदेश जारी किये जा चुके है। कार्य प्रगति पर हैं।

मंदाकिनी नदी, चित्रकूट–राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना अंतर्गत सतना जिले के चित्रकुट में मंदाकिनी नदी के संरक्षण हेतु भारत शासन द्वारा योजना स्वीकृत की गई थी। परियोजना की कुल संशोधित पुनरिक्षित स्वीकृत लागत रू. 7.11 करोड़ है। परियोजना हेतु रू. 4.34 करोड़

केन्द्रांश में से रू. 0.90 करोड़ तथा रू. 2.77 करोड़ राज्यांश में से रू. 2.15 करोड़ प्राप्त हो चुके है।नॉनकोर घटक कार्यों के अंतर्गत कम स्वच्छता लागत सुलभ शौचालयो, धोबी घाट, शवदाह गृह, जलग्रहण क्षेत्र में वृक्षारोपण आदि कार्य नगर पालिका परिषद, चित्रकुट द्वारा कराये जायेंगे। योजना अंतर्गत कोर घटक का पुनरिक्षित प्रस्ताव के कार्य क्रियान्वयन हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र. शासन को सौंपा गया है। योजना में अतिरिक्त आवश्यक राशि (राज्याशं) रू. 0.91 करोड़ की राज्य वित्तीय समिति द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। अतिरिक्त आवश्यक राशि का प्रावधान 12वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया है। पुनरिक्षित योजना पूर्ण करने की समय सीमा 01 वर्ष (2013 से 2014 तक) निर्धारित की गई है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा वर्ष 2014–15 में 4.70 एमएलडी क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं मेन पम्पिंग स्टेशन एवं सीवरेज पाइप लाइन प्रस्तावित कि गई है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिये प्रस्तावित भूमि का चयन किया जा चुका है। कार्य की निविदाये स्वीकृत कर कार्य आदेश जारी किये जा चुके हैं। कार्य प्रगति पर है।

19. केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना

शिवपुरी झील

राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना अन्तर्गतशिवपुरी तालाबों के पर्यावरणीय उन्नयन एवं संरक्षण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा योजना को स्वीकृति प्रदान की गयी थी। योजना की कुल संशोधित पुनरिक्षित स्वीकृत लागत रूपये 69.51 करोड़ है। परियोजना हेतु रू. 31.19 करोड़केन्द्रांश में से रू. 7.75 करोड़ तथा राज्यांश रू. 38.32 करोड़ में से रू. 20.14 करोड़ प्राप्त हो चुके है। परियोजना अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, शिवपुरी द्वारा सुलभ शौचालय व धोबी घाट, फ्लोटिंग फाऊटेंन, वृक्षारोपण परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका हैं।योजना अंतर्गत कोर घटक का पुनरिक्षित प्रस्ताव के कार्य क्रियान्वयन हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र. शासन को सौंपा गया है। योजना में अतिरिक्त आवश्यक राशि (राज्याशं) रू. 17.51 करोड़ की राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। अतिरिक्त आवश्यक राशि का प्रावधान 12वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया है। पुनरिक्षित योजना पूर्ण करने की समय सीमा 02 वर्ष (2013 से 2015 तक) निर्धारित की गई है। कार्य की निविदाये स्वीकृत कर कार्य आदेश जारी किये जा चुके हैं। कार्य प्रगति पर है।

20. एप्को पर्यावरण अध्ययन संस्थान (EPCO-Institute of Environmental Studies)

पर्यावरण शिक्षण एवं प्रशिक्षण के दायित्व की पूर्ति हेतु एप्को पर्यावरण अध्ययन संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इनवायरमेंट स्टडीज (EIES) की शुरूआत की गई। जिसके तहत वर्ष 2014–15 में पी.जी. डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कोर्स, दूरवर्ती शिक्षा के स्वरूप में संचालित किये जा रहे पी.जी.डी.ई.एम. पाठ्यक्रम को दो कॉनटेक्ट सेशन एवं एक स्पेशल कॉन्टेक्ट सेशन में आयोजित किया गया। विद्यार्थियों द्वारा assignment जमा किये गए तथा छात्रों द्वारा प्रोजेक्ट कार्य किया जा रहा है।

इसके अलावा इंस्टीट्यूट द्वारा 6 दिवसीय प्रशिक्षण के दो कार्यक्रम, तीन दिवसीय कोर्स के 6 कार्यक्रम, आयोजित किए गए। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न आयु तथा शैक्षणिक योग्यता रखने वाले नागरिकों ने भाग लिया। इन लोकप्रिय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समाज के विभिन्न वर्ग जिनमें प्रोफेशनल्स, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मीड़िया से जुड़े लोगों के अलावा समाजसेवी, स्वयंसेवी संस्था में कार्य करने वाले लोगों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्यतः पर्यावरण के प्रबंधन, तालाब संरक्षण, पर्यावरण शिक्षा, जैव विविधता, जल एवं वायु प्रदूषण की चुनौतियां, पर्यावरण प्रदूषण एवं उसका प्रबंधन, पर्यावरण के कानूनी पहलू, जलवायु परिवर्तन, सेनिटेशन जैसे मुद्दों पर केन्द्रित थे।

21. इंदिरा गांधी फैलोशिप

राज्य शासन द्वारा एप्को के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में शोध अध्ययन हेतु प्रदेश के निवासियों के लिये इंदिरा गांधी फैलोशिप प्रदान की जाती है। इंदिरा गांधी फैलोशिप के अंतर्गत चयनित व्यक्ति को दो वर्ष के लिये प्रतिमाह रू. 10000/– फैलोशिप तथा यात्रा,

पुस्तक तथा स्टेशनरी आदि जैसे–कंटीजेन्सी व्यय के लिये अधिकतम रू. 1.00 लाख प्रतिवर्ष की राशि प्रदान की जाती है। इंदिरा गांधी फैलोशिप के लिये प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन शोध अध्ययन के प्रस्ताव सहित आमंत्रित किये गये। इंदिरा गांधी फैलोशिप के चयन के लिये राज्य शासन द्वारा गठित ज्यूरी समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गई। शासन स्तर परअनुमोदन प्रकिया प्रचलन में है।

22. राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान, पर्यावरण, वन, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का महत्वाकांक्षी अभियान है, जिसके अंतर्गत पर्यावरण क्षेत्र में रूचि रखने वाली स्वयं सेवी/शैक्षणिक संस्थाओं की सहभागिता रहती है ।

अभियान के अतंर्गत वर्ष 2013–14 के लिए क्षेत्रीय उन्मुखीकरण कार्यशालाए राज्य के 8 जिलों होशंगाबाद, गुना, ग्वालियर, भोपाल, नरसिंहपुर, सागर एवं देवास में आयोजित की गई तथा सभी प्रतिभागियों को जैव विविधता संरक्षण विषय पर संसाधन सामग्री तैयार कर उपलब्ध करायी गई एवं वर्ष 2014–15 के लिए 5 जिलों में प्री प्रपोजल कार्यशालाए इंदौर, होशंगाबाद, गुना, ग्वालियर एवं भोपाल में आयोजित की गई ।

माह जुलाई में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत शासन द्वारा राष्ट्रीय एवं स्थानीय अखबारों में विज्ञापन जारी कर अभियान में भाग लेने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये गये । अंतिम तिथि तक कुल 1427 प्रस्ताव प्राप्त हुये। समस्त प्रस्तावों की स्क्रूटनी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के दिशा–निर्देश अनुसार की गई। प्रस्तावों पर अनुदान की स्वीकृति हेतु भारत सरकार द्वारा गठित चयन समिति की बैठक में सभी 1427 प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया, जिसमें 902 प्रस्तावों को लगभग 81.28 लाख अनुदान के रूप में स्वीकृत होना संभावित है। अनुदान प्राप्त होते ही कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा ।

23. राष्ट्रीय हरित कोर योजना

राष्ट्रीय हरित कोर योजना (एन.जी.सी.) विद्यालयीन छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करने की एक अभिनव कारी योजना है। योजनांतर्गत प्रदेश के 50 जिलों में 250 प्रति जिला के मान से 12500 इको क्लबों का गठन किया गया है। विद्यालय का शिक्षक ही इको क्लब का प्रभारी होता है इन शिक्षकों को योजना के प्रारंभ से अब तक दो बार प्रशिक्षण दिया जा चुका है। कार्यक्रम का सुचारू संचालन एवं समन्वय हेतु प्रत्येक जिले से दो–दो मास्टर ट्रेनर्स का चयन कर उनके प्रशिक्षण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

विद्यालयीन छात्रों में प्रकृति व पर्यावरण के संबंध में ज्ञान विकसित करने के उद्देश्य से विगत वर्ष की भॉति इस वर्ष भी मोगली बाल उत्सव का आयोजन दिनांक 21 से 23 दिसम्बर 2014 को पेंच राष्ट्रीय उद्यान जिला सिवनी में किया गया। यह कार्यक्रम एफ्को, लोक शिक्षण संचनालय, जैव विविधता बोर्ड, वन विभाग एवं जिला प्रशासन सिवनी के समन्वयन से आयोजित होता है। मोगली बाल उत्सव के दौरान समस्त जिलों से आये माहिला शिक्षकों एवं छात्रों के लिये पर्यावरण प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन संगठन द्वारा विशेष रूप से आयोजित किया जा कर विजयी प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरित किये गये। आयोजन के पूर्व क्विज मास्टर एवं मास्टर ट्रेनर्स का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एफ्को द्वारा दिनांक 13–14 अक्टूबर 2014 को भोपाल में संपन्न किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न पर्यावरण दिवसों जैसे विश्व वसुन्धरा दिवस, जैव विविधिता दिवस, पर्यावरण दिवस, विश्व मरूस्थलीय करण दिवस एवं ओजोन क्षरण दिवस, जैवविविधिता संरक्षण अभियान एवं जैवविधिता विशेष ट्रेन पर जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर पर्यावरण से संबंधित जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन इको क्लब विद्यालयों द्वारा किया गया।

24. वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम – 2006 के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम

वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम–2006 के अन्तर्गत हितग्राही समुदायों एवं वन अधिकार समिति के अध्यक्ष, सचिव तथा संबंधित ग्रामों के पंचायत सचिवों के लिये पर्यावरणीय मुददों पर क्षमता विकास हेतु विकासखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये मप्र शासन द्वारा एप्को के लिये रु 70.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

योजनान्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में 10 जिलों के लगभग 50 विकासखण्डों के लिए 30 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाऐंगे।

25. वेबसाइट

संस्था की वेबसाइट www.epco.in में पर्यावरण संबंधी जानकारी के अतिरिक्त संस्था के कार्यकलापों की जानकारी भी उपलब्ध है।

26. पर्यावरणीय सूचना केन्द्र का विकास

संगठन द्वारा पर्यावरणीय विषयों पर उपलब्ध सूचनाओं को व्यवस्थित कर पर्यावरणीय सूचना केन्द्र का विकास किया गया है। इस सूचना केन्द्र में उत्कृष्ट पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं, रिपोर्ट आदि का लगभग 5000 प्रलेखों का संकलन है। पुस्तकालय का उपयोग संगठन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य शोध संस्थानों, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शोधार्थी भी करते हैं।

भाग – चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत संगठन द्वारा सूचना अधिकार मैनुअल तैयार कर संगठन की बेवसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। इस मैनुअल के माध्यम से जन सामान्य को संगठन के क्रियाकलापों की जानकारी सुगमता से उपलब्ध रहती है। अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों द्वारा भी आवश्यक जानकारी जन सामान्य को उपलब्ध करायी जाती है।

1.	नियुक्ति	–	निरंक
2.	समयमान वेतनमान	–	60
3.	विभागीय जांच	–	निरंक
4.	न्यायालयीन प्रकरण	–	5

भाग – पाँच

अभिनव योजना

जलवायु परिवर्तन विषय पर एप्को की भूमिका

म.प्र. दृष्टिपत्र के मंशा अनुरूप ज्ञान प्रबंधन केन्द्र की स्थापना की गई है, इस ज्ञान प्रबंधन केन्द्र का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 6 एवं 7 सितम्बर 2014 को आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान किया गया। राज्य शासन ने जलवायु परिवर्तन विषय से संबंधित ज्ञान के प्रबंधन हेतु एप्को को राज्य जलवायु ज्ञान प्रबंधन नोडल ऐजेंसी का दायित्व भी सौंपा है। केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलवायु ज्ञान प्रबंधन मिशन के अन्तर्गत एप्को को राज्य इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की है तथा इस हेतु अनुदान स्वीकृत किया है।

प्रदेश स्तर पर राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना के अनुसार राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (SAPCC) तैयार की गयी है, जिसका अनुमोदन भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया गया है। SAPCC के दस्तावेज को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विमोचित किया गया।

जलवायु ज्ञान प्रबंधन केन्द्र की संरचनाHUB & Spokeआधारित है।Hubभोपाल स्थित एप्को कार्यालय में होगा तथा प्रदेश के 11 कृषि जलवायु क्षेत्रो में संभागीय मुख्यालय स्तर पर एक सामुदायिक संस्था का चिन्हांकन UNDP द्वारा किया गया। इन्हें एक निश्चित मॉडल कार्यक्रम

सौंपा गया। राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केन्द्र की गतिविधियों पर आधारित एक नालेज पोर्टल भी बनाया गया है। यह www.skmccc.net पर उपलब्ध है।

शासकीय अधिकारियों को जलवायु परिवर्तन संबंधी गतिविधियों से अवगत कराने हेतु प्रशासन अकादमी भोपाल के सहयोग से एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम Climate Change Appreciation Course चलाया जा रहा है। इसी तरह में प्रदेश के पांच जिलो रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर विदिशा, बुरहानपुर में कृषि तकनीकी प्रबंधन अभिकरण (ATMA) में भी प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम हेतु तकनीकी एवं आर्थिक अनुदान दिया गया है।

केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय एवं जी.आई.जेड. के संयुक्त तत्वाधान में मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन विषय पर संचालित की गयी। परियोजनान्तर्गत राज्य के जलवायु परिवर्तन से संबंधित Vulnerability Assessment का कार्य पूर्ण किया गया। प्रतिवेदन को राज्य के परिपेक्ष्य में विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण उपरांत सभी संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया। MoEF-GIZ परियोजना सफलता पूर्वक दिनांक 31.12.2014 को सम्पन्न हो गयी।

छह राज्यों में जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना के परिपालन हेतु संस्थागत मूल्यांकन तथा जलवायु परिवर्तन संबंधी डेटा की आवश्यकता – गुणवत्ता मूल्यांकन संबंधी कार्य DFID द्वारा एप्को को सौंपा गया है। यह कार्य भी सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है।

भाग – छः

प्रकाशन

एप्को द्वारा पर्यावरण जागरूकता हेतु समय–समय पर विभिन्न ब्रोशर, पम्पलेट आदि का प्रकाशन किया जाता है।

भाग – सात

राज्य महिला नीति

राज्य महिला नीति की कार्ययोजना के पालन में राज्य की महिला आयोग द्वारा की गयी अनुशंसाओं पर संगठन द्वारा अमल किया जा रहा है। संगठन में कार्यरत महिलाओं के लिए समुचित प्रसाधन व्यवस्था की गयी है। उनके बैठने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त स्थान निर्धारित है। संगठन द्वारा महिलाओं के लिए विशेष चिकित्सकीय सुविधा भी उपलब्ध कराई गयी है। संगठन की महिला कर्मियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, राज्य महिला नीति के तहत समिति का गठन किया गया है। एक महिला अधिकारी डॉ. साधना तिवारी, वरिष्ठ शोध अधिकारी को समिति का नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है।

भाग – आठ

सारांश

राज्य की पर्यावरण नीति निर्धारण एवं इसके क्रियान्वयन में संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने में योगदान देते हुए संगठन को राज्य के राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान एवं राष्ट्रीय हरित कोर योजना हेतु नोडल एजेन्सी चुना गया है। पचमढ़ी एवं अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व परियोजना के पूर्ण होने पर इस महत्वपूर्ण जैव–विविधता क्षेत्र को पर्याप्त संरक्षण प्राप्त हो सकेगा।

————

परिशिष्ट–एक

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश का स्वीकृत प्रशासकीय अमला

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	भरे पद	रिक्त पद
1.	आयुक्त (भा.प्र.से.)	01	01	00
2.	अपर संचालक	03	01	02
3.	संयुक्त संचालक	06	01	05
4.	उप संचालक	08	04	04
5.	सहायक संचालक	12	02	10
6.	लेखा अधिकारी	01	01	00
7.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	04	01	03
8.	अधीक्षक	09	03	06
9.	वरिष्ठ निज सहायक	02	01	01
10.	निज सहायक	04	01	03
11.	शीघ्रलेखक वर्ग–3	09	08	01
12.	लेखापाल चुंगी	01	01	00
13.	लेखापाल	07	00	07
14.	सहायक वर्ग–1	19+1	18+1	01
15.	सहायक वर्ग–2	27	14	13
16.	सहायक वर्ग–3	52	24	28
17.	वाहन चालक	12	06	06
18.	भृत्य	16	22	06 अधिक

————————

संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	भरे पद	रिक्त पद
1.	संयुक्त संचालक	10	07	03
2.	उप संचालक	03	00	03
3.	सहायक संचालक	10	00	10
4.	अधीक्षक	10	03	07
5.	वरिष्ठ निज सहायक	02	00	02
6.	निज सहायक	05	00	05
7.	शीघ्रलेखक वर्ग–3	10	03	07
8.	लेखापाल	10	02	08
9.	सहायक वर्ग–1	20	17	03
10.	सहायक वर्ग–2	30	22	08
11.	सहायक वर्ग–3	40	09	31
12.	वाहन चालक	13	01	10
13.	भृत्य	20	11	09

————————

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, यांत्रिकी प्रकोष्ठ,मध्यप्रदेश

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृतपद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1.	प्रमुख अभियंता	1	0	1	
2.	मुख्य अभियंता	1	1	0	
3.	अधीक्षण यंत्री	3	3	0	
4.	कार्यपालन यंत्री	6	6	0	
5.	सहायक यंत्री	6	6	0	
6.	प्रशासकीय अधिकारी	1	1	0	
7.	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	3	3	0	
8.	सहायक संचालक	1	1	0	
9.	शीघ्रलेखक वर्ग–1	1	0	1	
10.	शीघ्रलेखक वर्ग–2	2	2	0	
11.	शीघ्रलेखक वर्ग–3	13	1	12	
12.	सहायक अधीक्षक	1	0	1	
13.	सहायक वर्ग–1	10	0	10	
14.	लेखापाल	1	0	1	
15.	सहायक वर्ग–2	10	5	5	
16.	मानचित्रकार	2	2	0	
17.	स्टेनो टायपिस्ट	1	0	1	
18.	अंग्रेजी टायपिस्ट	1	0	1	
19.	ट्रेसर	1	1	0	
20.	सहायक वर्ग–3/डाटा ऐंट्री आपरेटर	20	14	06	
21.	व्यवस्थापक	1	1	0	
22.	वाहन चालक	17	17	0	
23.	भृत्य	11	11	0	
24.	चेनमेन	1	1	0	
25.	माली	3	2	1	
26.	चौकीदार	8	8	0	
27.	सफाई कामगार	6	2	4	
28.	मॉडलर	2	1	1	दै.वे.भो. कर्मचारी कार्यरत
29.	पंप अटेंडेंट	1	0	1	
30.	इलेक्ट्रीशियन	1	0	1	दै.वे.भो. कर्मचारी कार्यरत
31.	वाटरमेन	1	0	1	दै.वे.भो. कर्मचारी कार्यरत

————————

संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास,यांत्रिकी प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्तपद	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1.	अधीक्षण यंत्री	10	0	10	
2.	कार्यपालन यंत्री	20	10	10	
3.	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	2	2	0	
4.	सहायक यंत्री	20	9	11	
5.	मानचित्रकार	7	7	0	
6.	ट्रेसर	7	4	3	
7.	सहायक वर्ग–3	14	14	0	
8.	वाहन चालक	7	1	6	
9.	भृत्य	14	14	0	
10.	चौकीदार	8	4	4	

————————

जिला शहरी विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1	परियोजना अधिकारी	50	38	12	प्रतिनियुक्ति से भरे जाते हैं
2	सहायक परियोजना अधिकारी	62	30	32	–''–
3	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	38	7	31	–''–
4	आशुलिपिक/स्टेनो टाइपिस्ट	50	9	41	प्रतिनियुक्ति/संविदा से भरे जाते हैं
5	वाहन चालक	25	15	10	–''–
6	भृत्य	88	20	68	संविदा
7	फर्राश सह चौकीदार	35	12	23	–''–
8	सामुदायिक संगठक	388	256	132	संविदा (रूपये 4500 प्रतिमाह)

————————

परिशिष्ट–दो

प्रदेश के नगरीय निकायों की संभाग/जिलावार सूची

संभाग का नाम	जिले का नाम	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद	नगर परिषद
1 ग्वालियर	1. ग्वालियर	1. ग्वालियर	1. डबरा	1. पिछोर 2. बिलौआ 3. आंतरी 4. भितरवार
	2. शिवपुरी		2. शिवपुरी	5. करेरा 6. कोलारस 7. खनियाधाना 8. पिछोर 9. बदरवास 10. नरवर 11. बैराड
	3. गुना		3. गुना 4. राधोगढ़	12. चाचौडाबीनागंज 13. आरोन 14. कुंभराज
	4. अशोकनगर		5. अशोकनगर 6. चंदेरी	15. मुंगावली 16. ईसागढ 17. शाढौरा
	5. दतिया		7. दतिया	18. भांण्डेर 19. इंदरगढ़ 20. सेवड़ा 21. बड़ोनी
2. चंबल	6. भिण्ड		8. भिण्ड 9. गोहद	22. मेहगांव 23. लहार 24. गोरमी 25. अकोड़ा 26. मिहोना 27. आलमपुर 28. दबोह 29. मौ 30. फूफकलां
	7. मुरैना	2. मुरैना	10. अम्बाह 11. पोरसा 12. सबलगढ़	31. जौरा 32. कैलारस 33. झुण्डपुरा 34. बामौर
	8. श्योपुरकलां		13. श्योपुरकलां	35. विजयपुर 36. बड़ौदा
3. इंदौर	9. इंदौर	3. इंदौर		37. देपालपुर 38. सांवेर 39. गौतमपुरा 40. बेटमा 41. राऊ 42. हातौद 43. मानपुर 44. महुगांव
	10. धार		14. धार 15. मनावर 16. पीथमपुर	45. राजगढ़ 46. कुक्षी 47. बदनावर 48. धरमपुरी 49. धामनौद 50. सरदारपुर 51. मांडव 52. डही
	11. बड़वानी		17. सेंधवा 18. बड़वानी	53. अंजड़ 54. राजपुर

				55. खेतिया 56. पानसेमल 57. पलसूद
	12. झाबुआ		19. झाबुआ	58. थांदला 59. पेटलावद 60. रानापुर 61. मेघनगर
	13. अलीराजपुर		20. अलीराजपुर	62. जोबट 63. भावरा
	14.पश्चिमनिमाड़ (खरगौन)		21. खरगौन 22. सनावद 23. बड़वाह	64. मण्डलेश्वर 65. कसरावद 66. भीकनगांव 67. महेश्वर 68. करही एवं पांडल्याखुर्द
	15. पूर्व निमाड़ (खंडवा)	4. खंडवा		69. मूंदी 70. पंधाना 71. ओंकारेश्वर 72. छनेरा
	16.बुरहानपुर	5. बुरहानपुर	24. नेपानगर	73. शाहपुर
4. उज्जैन	17. उज्जैन	6. उज्जैन	25. बड़नगर 26. महिदपुर 27. खाचरोद 28. नागदा	74. तराना 75. उन्हेल 76. माकडोन
	18 नीमच		29. नीमच	77. मनासा 78. रामपुरा 79. जावद 80. जीरन 81. रतनगढ़ 82. सिंगोली 83. डिकेन 84. कुकड़ेश्वर 85. नयागांव 86. अठाना 87. सरवनिया महाराज
	19. देवास	7. देवास		88. कन्नौद 89. सोनकच्छ 90. खातेगांव 91. हाटपिपल्या 92. बागली 93. भौरासा 94. करनावद 95. काटाफोड़ 96. लोहारदा 97. सतवास 98. टोंकखुर्द 99. पिपलरंवा 100. नेमावर
	20. शाजापुर		30. शाजापुर 31. शुजालपुर	101. मक्सी 102. अकोदिया 103. पोलायकलां 104. पानखेडी
	21. आगर		32. आगर	105. नलखेड़ा 106. बडौद 107. कानड़ 108. सुसनेर 109. सोयतकलां 110. बड़ागांव
	22. रतलाम	8. रतलाम	33. जावरा	111. ताल

				112. सैलाना 113. आलोट 114. नामली 115. बड़ावदा 116. पिपलौदा 117. धामनौद
	23. मंदसौर		34. मंदसौर	118. शामगढ़ 119. सीतामऊ 120. पिपल्यामंडी 121. नारायणगढ़ 122. मल्हारगढ़ 123. भानपुरा 124. नगरी 125. गरोठ 126. सुवासरा
5. भोपाल	24. भोपाल	9. भोपाल	35. बैरसिया	
	25. सीहोर		36. सीहोर 37. आष्टा	127. इछावर 128. बुदनी 129. जावर 130. नसरूल्लागंज 131. रेहटी 132. कोठरी 133. शाहगंज
	26. रायसेन		38. रायसेन 39. बेगमगंज 40. मण्डीदीप	134. औबेदुल्लागंज 135. सुल्तानपुर 136. बरेली 137. बाड़ी 138. सांची 139. उदयपुरा 140. सिलवानी 141. गैरतगंज
	27. विदिशा		41. विदिशा 42. गंज बासौदा 43. सिरोंज	142. कुरवाई 143. लटेरी 144. शमशाबाद
	28. राजगढ़		44. राजगढ 45. नरसिंहगढ़ 46. सारंगपुर 47. ब्यावरा	145. जीरापुर 146. कुरावर 147. खिलचीपुर 148. तलेन 149. बोड़ा 150. खुजनेर 151. पचोर 152. सुठालिया 153. माचलपुर 154. छापीहेड़ा
6. नर्मदापुरम्	29. होशंगाबाद		48. होशंगाबाद 49. इटारसी 50. सिवनीमालवा 51. पिपरिया	155. बाबई 156. सोहागपुर 157. बनखेड़ी
	30. हरदा		52. हरदा	158. टिमरनी 159. खिड़किया
	31. बैतूल		53. बैतूल 54. आमला 55. सारणी 56. मुलताई	160. बैतूल बाजार 161. भैंसदेही 162. आठनेर 163. चिचोली
7. सागर	32. सागर	10. सागर	57. बीना इटावा 58. खुरई 59. गढ़ाकोटा 60. रेहली 61. देवरी	164. राहतगढ़ 165. बंडा 166. शाहपुर 167. शाहगढ

			62. मकरोनिया बुजुर्ग	
	33. दमोह		63. दमोह	168. तेंदुखेड़ा
			64. हटा	169. पथरिया
				170. हिन्डोरिया
				171. पटेरा
	34. पन्ना		65. पन्ना	172. अमानगंज
				173. देवेन्द्र नगर
				174. अजयगढ़
				175. ककरहटी
				176. पवई
	35. छतरपुर		66. छतरपुर	177. धुवारा
			67. नौगांव	178. सटई
			68. महाराजपुर	179. बारीगढ़
				180. बिजावर
				181. गढ़ीमल्हरा
				182. बक्सवाहा
				183. चंदला
				184. बड़ामल्हरा
				185. हरपालपुर
				186. लवकुशनगर
				187. खजुराहो
				188. राजनगर
	36. टीकमगढ़		69. टीकमगढ़	189. निवाड़ी
				190. पृथ्वीपुर
				191. बल्देवगढ़
				192. खरगापुर
				193. पलेरा
				194. जैरोनखालसा
				195. तरीचरकलां
				196. जतारा
				197. लिधोराखास
				198. बड़ागांव
				199. कारी
				200. ओरछा
8. रीवा	37. रीवा	11. रीवा		201. बैंकुंठपुर
				202. मउगंज
				203. त्यौंथर
				204. हनुमना
				205. चाकघाट
				206. गोविन्दगढ.
				207. नईगढ़ी
				208. सिरमौर
				209. मनगवां
				210. सेमरिया
				211. गुढ़
	38. सीधी		70. सीधी	212. चुरहट
				213. रामपुरनेकिन
				214. मझोली
	39. सिंगरौली	12.सिंगरौली		
	40. सतना	13. सतना	71. मैहर	215. नागौद
				216. बिरसिंहपुर
				217. जैतवारा
				218. कोटर
				219. कोठी
				220. अमरपाटन
				221. रामपुर–बघेलान
				222. उचेहरा
				223. चित्रकूट
				224. न्यू रामनगर

9. शहडोल	41. शहडोल		72. शहडोल 73. धनपुरी	225. बुढ़ार 226. ब्यौहारी 227. जयसिंहनगर 228. खाण्ड
	42.अनूपपुर		74. अनूपपुर 75. कोतमा 76. पसान 77. बिजूरी	229. जैतहरी 230. अमरकंटक
	43. उमरिया		78. उमरिया 79. पाली	231. चंदिया 232. नौरोजाबाद
	44. डिण्डोरी			233. डिण्डोरी 234. शाहपुरा
10. जबलपुर	45. जबलपुर	14. जबलपुर	80. पनागर 81. सिहोरा	235. बरेला 236. भेड़ाघाट 237. शाहपुरा 238. पाटन 239. मझौली 240. कटंगी
	46. कटनी	15. मुड़वारा कटनी		241. बरही 242. कैमोर 243. विजयराधवगढ़
	47. बालाघाट		82. बालाघाट 83. वारासिवनी 84. मलाजखंड	244. कटंगी 245. बैहर 246. लांजी
	48 छिन्दवाड़ा	16. छिंदवाड़ा	85. पांढुर्ना 86. जुन्नारदेव जामई) 87. डोगर परासिया 88. दमुआ 89. चौरई 90. अमरवाड़ा 91. सौंसर	247. हर्रई 248. लोधीखेड़ा 249. न्यूटन चिखली 250. चांदामेटा बुटारिया 251. मोहगांव 252. बडकुही 253. पिपलानारायणवार 254. बिछुआ 255. चांद
	49 नरसिंहपुर		92. नरसिंहपुर 93. गाडरवारा 94. करेली 95. गोटेगांव	256. तेंदूखेड़ा 257. सालीचौका 258. सांईखेडा 259. चीचली
	50. सिवनी		96. सिवनी	260. लखनादौन 261. बरघाट
	51. मंडला		97. मंडला 98. नैनपुर	262. बम्हनीबंजर 263. निवास 264. बिछिया

नगर पालिक निगम	**16**
नगरपालिका परिषद	**98**
नगर परिषद	**264**
योग	**378**

परिशिष्ट–तीन (एक)

नगरीय प्रशासन एवं विकास

वर्ष 2014–15 का बजट प्रावधान तथा व्यय

(आयोजना) (राशि लाख में)

मांग संख्या	शीर्ष	योजना क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2014–15 के लिये बजट प्रावधान				व्यय दिनांक 01.04.2014 से 30.01.2015 तक			
				सामान्य	एससीएसपी	टीएसपी	योग	सामान्य	एससीएसपी	टीएसपी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
केंद्र प्रवर्तित योजनायें											
22	2217	5126	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार स्थापना व्यय	90.00	0.00	0.00	***90.00***	52.38	0.00	0.00	**52.38**
75	2217	1263	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	5550.00	1585.00	398.00	***7533.00***	2265.29	500.00	100.00	**2865.29**
75	2217	9206	राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली कार्यक्रम	0.01	0.00	0.00	***0.01***	0.00	0.00	0.00	**0.00**
75	2217	6154	राजीव आवास योजना	24600.00	1300.00	100.00	***26000.00***	3359.31	1061.51	99.45	**4520.27**
बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं											
22	2217 4217 6217	7905/ 7986	नगर निगमों में मूलभूत सुविधा का विकास	360.00	0.00	0.00	***360.00***	133.43	0.00	0.00	**133.43**
22	2217	1262	म.प्र.अर्बन सेनिटेशन एण्ड इन्वॉरमेंट प्रोग्राम (एमपीयूएसईपी)	0.01	0.00	0.00	***0.01***	0.00	0.00	0.00	**0.00**
केंदीय अंशदान प्राप्त योजनाएं											**0.00**
75	2217	6981	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवी मिशन	6260.00	5554.00	1500.00	***13314.00***	1830.87	387.17	104.51	**2322.55**
75	2217	6982	एकीकृत शहरी एवं मलीन बस्ती विकास कार्यक्रम	4750.00	1000.00	250.00	***6000.00***	1786.99	120.00	60.00	**1966.99**
75	2217	7056	अग्निशमन सेवाएं	1400.00	0.00	0.00	***1400.00***	859.00	0.00	0.00	**859.00**
75	2217	1264	राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (एनआरसीपी)	50.00	0.00	0.00	***50.00***	0.00	0.00	0.00	**0.00**
75	2217	6221	इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्कीम फॉर स्मॉल एण्ड मीडियम टाउन्स	32500.00	6800.00	700.00	***40000.00***	20025.25	3218.85	350.00	**23594.10**
राज्य योजनायें											
75	2217	6047	स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण हेतु अनुदान	22.00	0.00	0.00	***22.00***	22.00	0.00	0.00	**22.00**

75	2217	179	सफाई कामगारों के लिये समूह बीमा योजना	0.00	63.35	0.00	***63.35***	0.00	63.35	0.00	**63.35**
75	2217	5726	म.प्र.शहरी अधोसरंचना कोष	0.01	0.00	0.00	***0.01***	0.00	0.00	0.00	**0.00**
75	2217	5864	हाथ ठेला एवं सायकल रिक्शा कल्याण योजना	150.00	40.00	10.00	***200.00***	150.00	40.00	10.00	**200.00**
22	2217	6008	ऐम्स क्षेत्रों के नालो का डायवर्शन	0.01	0.00	0.00	***0.01***	0.00	0.00	0.00	**0.00**
22	2217	6022	मास रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम सर्वे	500.00	0.00	0.00	***500.00***	495.61	0.00	0.00	**495.61**
22	2217	8163	नगर विकास योजना	320.00	70.00	10.00	***400.00***	170.48	0.00	0.00	**170.48**
75	2217	6024	शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना	150.00	110.00	35.00	***295.00***	150.00	110.00	35.00	**295.00**
22	2217	6028	आइ. एल. सी.एस (राज्यांश)	0.01	0.00	0.00	***0.01***	0.00	0.00	0.00	**0.00**
22	2217	7400	सिंहस्थ मेले की व्यवस्था के लिये अनुदान	34000.00	2500.00	0.00	***36500.00***	15450.00	1050.00	0.00	**16500.00**
75	2217	7041	ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट	0.01	0.00	0.00	***0.01***	0.00	0.00	0.00	**0.00**
22	2217	7145	मुख्यमंत्री शहरी पेयजल कार्यक्रम	11320.00	2400.00	280.00	***14000.00***	8417.71	2400.00	0.00	**10817.71**
22	2217	7144	मुख्यमंत्री स्वच्छता कार्यक्रम	6333.58	1542.75	870.59	***8746.92***	1871.06	1293.76	870.59	**4035.41**
22	2217	6440	शहरी परिवहन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण	935.00	65.00	0.00	***1000.00***	12.52	0.00	0.00	**12.52**
22	2217	7146	मुख्यमंत्री अधोसंरचना कार्यक्रम	7700.00	3000.00	325.00	***11025.00***	6710.00	2336.00	250.00	**9296.00**
75	2217	7148	अयोध्या बस्ती का विकास	0.01	0.00	0.00	***0.01***	0.00	0.00	0.00	**0.00**
75	2217	7171	शहरी फेरीवालों की कल्याण योजना (हितग्राही मूलक)	245.00	40.00	15.00	***300.00***	245.00	35.00	12.00	**292.00**
75	2217	7172	शहरी फेरीवालों की कल्याण योजना (अधोसंरचना विकास)	128.00	60.00	12.00	***200.00***	128.00	50.40	9.60	**188.00**
75	2217	5368	अर्बन स्टेटिक्स फॉर एच आर एण्ड असेसमेंट (उषा)	0.01	0.00	0.00	***0.01***	0.00	0.00	0.00	**0.00**
22	2217	7357	झीलों एवं तालाबों का संरक्षण एवं विकास	1250.00	200.00	50.00	***1500.00***	148.62	60.00	0.00	**208.62**
22	2217	7239	म.प्र. अर्बन इन्फास्ट्रक्चर एण्ड इनवेस्ट प्रोग्राम	2500.00	0.00	0.00	***2500.00***	1118.11	0.00	0.00	**1118.11**

22	2217	7029	राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगर प्रबंध संस्थान	670.00	25.00	5.00	***700.00***	370.00	23.00	5.00	**398.00**
22	2217	7039	शहरी सुधार कार्यक्रम	1100.00	180.00	40.00	***1320.00***	172.80	107.26	9.30	**289.36**
22	2217	7147	लोक परिवहन एवं यातायात सर्वे अध्ययन	700.00	0.00	0.00	***700.00***	105.12	0.00	0.00	**105.12**
22	2217	7336	जलप्रदाय योजना ई.ए. पी.	80.00	20.00	0.00	***100.00***	0.00	0.00	0.00	**0.00**
22	2217	7358	शहरी विरासत संरक्षण एवं संवर्द्धन योजना	185.00	15.00	0.00	***200.00***	0.00	0.00	0.00	**0.00**
75	2217	7387	केश शिल्पी कल्याण योजना	200.00	0.00	0.00	***200.00***	200.00	0.00	0.00	**200.00**
22	2217	7361	मुख्यमंत्री शहरी गरीबों के लिये आवास	0.01	0.00	0.00	***0.01***	0.00	0.00	0.00	**0.00**
75	2217	8808	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य आई टी/ई–गर्वनेन्स	0.01	0.00	0.00	***0.01***	0.00	0.00	0.00	**0.00**
75	2217	1319	मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना एवं पेयजल योजनाओं हेतु हुडको से लिये गये ऋण/ब्याज का पुनर्भुगतान	4000.00	0.00	0.00	***4000.00***	2899.37	0.00	0.00	**2899.37**
			योग	**148048.68**	**26570.10**	**4600.59**	***179219.37***	***69148.92***	***12856.30***	***1915.45***	***83920.67***

परिशिष्ट–तीन (दो)

नगरीय प्रशासन एवं विकास

वर्ष 2014–15 का बजट प्रावधान तथा व्यय

(आयोजनेतर)

मांग	शीर्ष	योजना क्र.	योजना का नाम		मूल बजट वर्ष 2014–15	व्यय दिनांक 30.01.2015 तक
1	2	3	4	5	6	7
22	2217	2122	पेशन योजना के कियान्वयन के लिये (वेतन भत्ते एवं कार्यालय व्यय)		96.46	56.55
22	2217	3383	विशेष मरम्मत भवन		0.01	0.00
22	2217	5831	मध्यप्रदेश सफाई कामगार आयोग का गठन		42.37	11.12
22	2217	6148	वेतन भत्ते संचालनालय एवं संभागीय कार्यालय		1016.83	631.66
22	2217	6286	लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर की राशि का भुगतान		0.10	0.00
22	2217	7300	स्व.श्री सुशीलचंद्र वर्मा पुरस्कार योजना		0.10	0.00
22	2217	7400	सिंहस्थ मेले की व्यवस्था (मानदेय)		7.00	0.00
22	2217	7406	मध्यप्रदेश राज्य केश शिल्पी कल्याण मण्डल		63.49	0.00
22	2217	7407	मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र स्वच्छता मण्डल		63.49	0.00
22	2217	7408	मध्यप्रदेश राज्य सिलाई कला मण्डल		64.49	0.00
			योग मांग संख्या 22		**1354.34**	**699.33**
75	2215	2181	नगरीय जल प्रदाय योजना का संधारण	नगर निगम	2680.80	2277.61
				नगर पालिका	265.12	226.54
				नगर परिषद्	53.94	33.56
				योग	**2999.86**	**2537.71**
75	2217	6244	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार नगरीय निकायों को सामान्य अनुदान	नगर निगम	12155.11	0.00
				नगर पालिका	8680.14	0.00
				नगर परिषद्	5612.75	0.00
				योग	**26448.00**	**0.00**
75	2217	6551	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान	नगर निगम	18102.50	0.00
				नगर पालिका	12588.26	0.00
				नगर परिषद्	8189.80	0.00
				योग	**38880.56**	**0.00**
75	2217	6552	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार विशेष क्षेत्र अनुपालन अनुदान	नगर निगम	0.00	0.00
				नगर पालिका	463.08	391.73
				नगर परिषद्	230.93	195.36
				योग	**694.01**	**587.09**
75	2217	6226	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार नगरीय निकायों को विशेष क्षेत्र अनुदान	नगर परिषद्	394.00	0.00
				योग	**394.00**	**0.00**
75	2217	6310	निर्वाचित महिला पार्षदों को प्रशिक्षण		0.01	0.00
				योग	**0.01**	**0.00**
75	3604	6062	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पेयजल योजना के लिये विद्युत व्यय की पूर्ति	नगर निगम	1000.00	0.00
				योग	**1000.00**	**0.00**
75	3604	6063	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार विशिष्ट अनुदान	नगर निगम	1000.00	0.00
				योग	**1000.00**	**0.00**
75	2217	6602	स्थानीय निकायों /पंचायती राज संस्थाओं को कर संग्रहण हेतु प्रोत्साहन अनुदान	नगर निगम	325.00	0.00
				नगर पालिका	250.00	0.00
				नगर परिषद्	125.00	0.00
				योग	**700.00**	**0.00**
75	2217	7333	निर्यातकर क्षतिपूर्ति	नगर निगम	2701.99	2111.52
			(वित्त वर्ष 13–14 से प्रारंभ नवीन)	नगर पालिका	8740.00	7454.52
				नगर परिषद्	600.27	494.09
					12042.26	**10060.13**

75	2217	7398	नगरीय निकायों के लिये स्वच्छता पुरस्कार	नगर निगम	110.00	0.00
				नगर पालिका	60.00	0.00
				नगर परिषद्	30.00	0.00
				योग	**200.00**	**0.00**
75	3604	7668	स्थानीय निकायों मुलभूत सेवाओं हेतु एकमुश्त अनुदान (राज्यकरों में हिस्सा)	नगर निगम	4194.80	3576.11
				नगर पालिका	11186.12	8171.99
				नगर परिषद्	12586.01	10817.29
				योग	**27966.93**	**22565.39**
75	3604	8017	सडक मरम्मत	नगर निगम	6978.00	5505.84
				नगर पालिका	4987.00	3637.06
				नगर परिषद्	3372.50	2252.43
				योग	**15337.50**	**11395.33**
75	3604	8018	चुगी क्षतिपूर्ति प्रवेश कर	नगर निगम	97029.92	86011.52
				नगर पालिका	56013.37	47039.40
				नगर परिषद्	38546.71	36108.02
				योग	**191590.00**	**169158.94**
75	3604	8860	वेटकर प्रणाली लागू होने से इसकी क्षतिपूर्ति राशि का नगरीय निकायों हस्तांतरण	नगर निगम	32179.59	25709.81
				नगर पालिका	22979.90	17469.79
				नगर परिषद्	15551.92	12437.07
				योग	**70711.41**	**55616.67**
75	3604	9436	यात्रीकर समाप्त किये जाने के एवज में नगरीय निकायों को विशेष अनुदान	नगर निगम	2574.40	1810.23
				नगर पालिका	4265.84	3017.95
				नगर परिषद्	3059.76	2131.82
				योग	**9900.00**	**6960.00**
75	3604	3217	अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत अर्थ दण्ड की वसूली		0.01	0.00
				योग	**0.01**	**0.00**
75	3604	4035	विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति भारित		23000.00	21336.80
				योग	**23000.00**	**21336.80**
75	6217	5728	पेयजल पूर्ति के लिये नगरीय निकायों को कर्ज		2500.00	518.94
				योग	**2500.00**	**518.94**
			योग मांग संख्या 75	**योग**	**425364.55**	**300737.00**
			योग मांग संख्या 22 एवं 75	**महायोग**	**426718.89**	**301436.33**

परिशिष्ट–चार

जेएनएनयूआरएमके अंतर्गत सुधार कार्यक्रम

जेएनएनयूआरएम का मूल उद्देश्य शहरी शासन एवं सेवा में सुधार लाने को सुनिश्चित करना है, ताकि नगरीय निकाय वित्तीय रूप से मजबूत बन सके एवं नये कार्यक्रम का जिम्मा लेने के लिए सतत् कार्य कर सकें। यह उद्देश्य इस बात पर भी बल देता है कि सुधार चार्टर जिनका पालन राज्य सरकारों एवं नगरीय निकायों के द्वारा किया जाना है, जन निजी भागीदारी के तहत कार्य कराये जाने को विशेष महत्व दिया जाए।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित सुधार एजेण्डा नीचे दिया गया है।चिन्हित हुए सुधारों में नेशनल स्टीयरिंग ग्रुप (एनएसजी) अतिरिक्त सुधारों को जोड़ सकता है। केन्द्रीय सहायता पाने के लिए पूर्व अपेक्षित राज्य/नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेंसियों एवं भारत सरकार के बीच इस सुधार की प्रत्येक मद के लिए प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट लक्ष्यों के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया है।

1. अनिवार्य सुधार

नगरीय निकाय एवं पैरास्टेटल एजेंसियों के स्तर पर अनिवार्य सुधार

(क) नगरीय निकाय एवं पैरास्टेटल में आधुनिक एक्रुअल आधारित द्विप्रविष्टि लेखा प्रणाली को अपनाना।

(ख) नगरीय निकाय एवं पैरास्टेटल एजेसियों द्वारा प्रदान विभिन्न सेवाओं के लिए जी. आई.एस. एवं एम.आई.एस. को उपयोग में लाते हुए ई–गवर्नेंस प्रणाली का परिचय।

(ग) जी.आई.एस. सहित संपत्ति कर सुधार। भावी प्रबंधन एवं क्रियान्वयन के लिए नगरीय निकाय द्वारा इसको राजस्व का व्यापक स्त्रोत बनाया जा सकता है, ताकि संग्रहण प्रणाली को सात वर्षो की अवधि में कम से कम 85 प्रतिशत तक पहुंचाया जा सके।

(घ) नगरीय निकाय एवं पैरास्टेटल के द्वारा समुचित उपयोगकर्ता प्रभार की उगाही इस उद्देश्य के साथ कि संधारण–संचालन की पूर्ण लागत एवं रिकरिंग लागत का संग्रहण सात वर्षो की अवधि के अन्दर किया जाता है, तथापि, उत्तरपूर्णी एवं विशेष श्रेणी के राज्य के कस्बों एवं शहर प्रारंभिक तौर पर संधारण–संचालन प्रभारों का 50 प्रतिशत वसूल कर सकते हैं। ये शहर एवं कस्बे चरणबद्ध तरीके से पूर्ण संधारण– संचालन लागत वसूली जुटा सकते है।

(ड) शहरी गरीब को मूलभूत सुविधाएं स्थानीय निकायों में आंतरिक पहचान बजट,

(च) शिक्षा,स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए वहनीय मूल्यों पर प्रतिभूति की अवधि, सुधार आवास, जल आपूर्ति एवं सरकार की विद्यमान अन्य यूनिवर्सल सेवाओं के प्रदाय को सम्मिलित करते हुए शहरी गरीब को मूलभूत सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान।

2. राज्यों के स्तर पर अनिवार्य सुधार

(क) 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में दिए गए अनुसार विकेन्द्रीकरण साधनों का क्रियान्वयन। राज्य नागरिकों को सेवाओं के वितरण के साथ–साथ पैरास्टेटल एजेंसियों के कार्य की योजना में नगरीय निकाय के संयोजन एवं अर्थ पूर्ण सहयोग को सुनिश्चित करें।

(ख) अर्बन लेण्ड सीलिंग रेग्यूलेशन एक्ट।

(ग) भूमि स्वामी एवं किरायेदारों के हित को बनाए रखते हुए किराया नियंत्रण कानून में सुधार।

(घ) सात वर्षो की अवधि में 5 प्रतिशत से अधिक स्टाम्प ड्यूटी को कम करने का युक्तियुक्तकरण।

(ड) नगरीय निकाय एवं पैरास्टेटल एजेंसियों के मध्यम अवधि राजकोषीय प्लान की तैयारी को सुनिश्चित करने संबंधी सार्वजनिक प्रकटन कानून अधिनियम।

(च) नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए समुदाय भागीदारी कानून अधिनियम एवं शहरी क्षेत्रों में क्षेत्र सभा की धारणा का परिचय देना।

(छ) सात वर्षो की अवधि में ''शहरी योजना कार्य नगरीय निकायों को अंतरित करना या उनको लागू करने मे निकायों को भागीदार बनाना।

टिप्पणी–जल आपूर्ति एवं स्वच्छता से संबंधित सामान्य जनता उन्मुख योजनाओं के संबंधमें नीचे दिए गए राज्य स्तरीय सुधारों को वैकल्पिक सुधारों के रूप में लिया जासकता है :

(क) शहरी भूमि सीमा एवं नियमन अधिनियम
(ख) किराया नियंत्रण अधिनियम में सुधार

3. वैकल्पिक सुधार (राज्यों, नगरीय निकाय एवं पैरास्टेटल एजेंसियों के लिए सामान्य)

(क) भवनों, स्थल विकास के निर्माण हेतु अनुमोदन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उपविधिकों में संशोधन।

(ख) कृषि, गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि के परिवर्तन हेतु विधिक एवं प्रक्रियात्मक फ्रेमवर्क का सरलीकरण।

(ग) नगरीय निकाय में संपत्ति हक प्रमाणन का परिचय।

(घ) क्रास सब्सिडी की व्यवस्था सहित ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी श्रेणी के लिए सभी आवासीय परियोजनाओं (सार्वजनिक एवं निजी दोनों एजेंसियों के लिए) में विकसित भूमि को कम से कम 25–25 प्रतिशत तक चिन्हित करना।

(ड) भूमि एवं संपत्ति के पंजीकरण की कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया लागू करना।

(च) सभी भवनों में वर्षा जल संचयन तथा जल संरक्षण साधनों को अपनाने के लिए उपविधियों में संशोधन।

(छ) चक्रित जल के पुनः प्रयोग हेतु उपविधियां।

(ज) प्रशासनिक सुधार अर्थात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस), सेवानिवृत्ति आदि की वजह से खाली पदों का न भरा जाना एवं इस संबंध में विनिर्दिष्ट लक्ष्य अपना कर मूलभूत लागतों में कटौती करना।

(प) ढॉचागत सुधार
(पप) जन निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

टिप्पणीः– जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष में शहर अपने क्रियान्वयन में वैकल्पिक श्रेणी के किन्हीं भी सुधारों को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

––0––

परिशिष्ट–पांच

जेएनएनयूआरएमके अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

स. क.	उपमिशन	वर्ष	शहर / कियान्वयन एजेंसी	परियोजना	लागत (रू.लाख में)
1	**शहरी अधोसंरचना एवं सु–शासन**	**2005–06**	न.नि. भोपाल	गैस प्रभावित क्षेत्रों में जलप्रदाय	1418.00
2		''	न.नि. इंदौर	यशवत सागर जल आर्वधन योजना	2375.00
3		**2006–07**	न.नि. भोपाल	नाला निर्माण (स्टार्म वाटर ड्रेन चेनेलाईजेशन आफ नाला)	3057.00
4		''	न.नि. भोपाल	रिन्यूअल आफ बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर इन स्क्रेप मार्ट	811.00
5		''	न.नि. भोपाल	रिन्यूअल आफ बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर इन एम. पी. नगर	1894.00
6		''	न.नि. भोपाल	बी.आर.टी.एस. प्रोजेक्ट	27444.00
7		''	न.नि. इंदौर	बी.आर.टी.एस. (पायलेट प्रोजेक्ट)	9845.00
8		''	न.नि. इंदौर	सीवरेज प्रोजेक्ट	30717.00
9		''	न.नि. इंदौर	कन्सट्रक्शन आफ 8 फीडर रोड	4083.35
10		''	इंदौर विकास प्राधिकरण	डेवलपमेंट आफ लिंक रोड फ्राम व्हाईट चर्च टू बायपास रोड	1966.34
11		''	इंदौर विकास प्राधिकरण	डेवलपमेंट आफ मास्टर प्लान लिंक रोड एम.आर. 9	3974.64
12		''	न.नि. जबलपुर	सीवरेज निर्माण फेस–1	7801.00
13		''	न.नि. जबलपुर	सीवरेज निर्माण फेस–2	7081.00
14		**2007–08**	न.नि.इंदौर	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट	4324.66
15			न.नि.भोपाल	नर्मदा वाटर सप्लाई फेस–1	30604.16
16			इंदौर विकास प्राधिकरण	आर.ओ.बी. एट जूनी इंदौर रेल्वे क्रांसिग	631.00
17			न.नि.उज्जैन	रीआर्गनाईजेशन आफ वाटर सप्लाई सिस्टम	6686.44
18		**2008–09**	न.नि.भोपाल	वाटर सप्लाई डिस्ट्रीव्यूशन नेटवर्क आफ भोपाल म्युनिसिपल एरिया	41545.64
19			न.नि.इंदौर	कन्सट्रक्शन आफ मल्टी लेवल पार्किंग एट 20 डिफरेंट लोकेशन इन इंदौर सिटी	5600.00
20			न.नि. जबलपुर	रिहेबिलिटेशन आफ एक्सिस्टिंग पंपिंग स्टेशन एट रांझी फगुआ एंड कंस्ट्रक्शन आफ न्यू पंपिंग स्टेशन एट भोगेदवर डब्ल्यूटीपी	1406.00
21			न.नि.भोपाल	परचेस ऑफ बसेस फॉर अर्बन ट्रांसर्पोट	8875.00
22			न.नि.इंदौर	परचेस ऑफ बसेस फॉर अर्बन ट्रांसर्पोट	5975.00
23			न.नि.जबलपुर	परचेस ऑफ बसेस फॉर अर्बन ट्रांसर्पोट	3100.00
24			न.नि. उज्जैन	परचेस ऑफ बसेस फॉर अर्बन ट्रांसर्पोट	1420.00
25		**2009–10**	न.नि.जबलपुर	इन्टीग्रेटेड स्ट्राम वाटर ड्रेनेज सिस्टम इनक्लूडिंग ओमतीनाला	32649.00
26			न.नि. उज्जैन	रिस्टोरेशन एंड कन्जरवेशन फार महाकाल एंड गोपाल मंदिर विरासत क्षेत्र (हेरीटेज प्रोजेक्ट)	4739.00

27		**2012–13**		सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट	3589.00
28		**2013–14**		सप्लीमेंट्री डीपीआर फार बीआरटीएस	8276.00
29				केबल स्टे ब्रिज एट कमला पार्क	2734.00
30				लेक फ्रंट डेव्लपमेंट	1647.00
31				आई टी एस कॉम्पोनेंट टू बीआरटाएस	5717.00
				योग (अ)	**268928.00**
32	**शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं**	**2005–06**	न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ श्यामनगर, ऋषिनगर स्लम	1600.00
33			न.नि.भोपाल	इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट आफ इन्द्रपुरी, कल्पना नगर (स्लम रीहेबिलीटेशन स्कीम)	253.74
34			न.नि.भोपाल	डेवलपमेंट आफ वीकली मार्केट एट कोटरा (व्हाय रीहेबिलीटेशन एक्सेसटिंग स्लम)	936.00
35		**2006–07**	न.नि.भोपाल	स्लम एंड पुअर लोकेलिटी इन्टीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम फेस–1	3950.01
36			न.नि.भोपाल	स्लम एंड पुअर लोकेलिटी इन्टीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम फेस–2	4111.13
37			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ बाबा नगर, शाहपुरा	2661.37
38			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ गंगा नगर एंड आराधना नगर एट कोटरा	2473.33
39			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ अर्जुन नगर, भीम नगर, मद्रासी कालोनी, राहुल नगर	5263.29
40			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ इन्द्रा नगर फेस –1	1710.20
41			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ इन्द्रा नगर फेस–2	1342.87
42			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ बाजपेई नगर, पुलिस लाईन, कोहेफिजां, अय्यूब नगर, माता मढ़िया एंड बेलार कालोनी	5083.80
43			इंदौर विकास प्राधिकरण	स्लम रीहेबिलीटेशन एवं रीसेटेलमेंट स्कीम नंबर 134	1242.40
44			न.नि. इंदौर	स्लम रीडेवलपमेंट एट डिफरेंट लोकेशन इन इंदौर	6193.15
45			न.नि. जबलपुर	हाउसेस विथ बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (लालकुआं)	2472.00
46			न.नि. जबलपुर	हाउसेस विथ बेसिक इन्फ्राक्स्ट्रक्चर (बागरा दफाईं)	2314.00
47			न.नि. जबलपुर	हाउसेस विथ बेसिक इन्फ्रास्क्ट्रक्चर फेसिलिटी रीहेबिलीटेशन एंड रीसेटेलमेंट आफ बसोर मोहल्ला, चौधरी मोहल्ला और बल्दूकोरी की दफाई	2543.00
48			न.नि. जबलपुर	रीहेबिलीटेशन एंड रीसेटेलमेंट आफ छुई खदान एंड एरिया बिहांइड बोर्न कंपनी	1424.00
49		**2007–08**	न.नि. उज्जैन	स्लम रीहेबिलीटेशन स्कीम	1740.91
50		**2008–09**	भोपाल विकास प्राधिकरण	स्लम रिडेवलेपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन आफ आईडेन्टीफाईड स्लम पार्ट –1	5568.00
51			भोपाल विकास	स्लम रिडेवलेपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन आफ	4676.00

			प्राधिकरण	आईडेन्टीफाईड स्लम पार्ट –2	
52			न.नि. इंदौर	स्लम रिडेवलेपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन आफ आईडेन्टीफाईड स्लम	8153.00
				योग (ब)	**65712.00**
				कुल योग (अ+ब)	**334638.00**

परिशिष्ट–छह

आईएचएसडीपी के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

क्र.	शहर	परियोजना का नाम	आवासों की संख्या	लागत (रू. लाख में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	विदिशा	आवास निर्माण अधोसंरचना	217	184.98
2.	गंजबासौदा	आवास निर्माण अधोसंरचना	110	170.51
3.	सिरोंज पार्ट 1	आवास निर्माण अधोसंरचना	114	160.95
4.	सिरोंज पार्ट 2	मूलभूत अधोसंरचना	–	18.89
5.	लटेरी	मूलभूत अधोसंरचना	–	44.87
6.	ग्वालियर	आवास निर्माण अधोसंरचना	4576	5362.02
7.	देवास पार्ट 1	आवास निर्माण अधोसंरचना	1216	1715.32
8.	देवास पार्ट 2	आवास निर्माण अधोसंरचना	1384	1932.57
9.	खंडवा पार्ट 1	आवास निर्माण अधोसंरचना	1296	1738.39
10.	खंडवा पार्ट 2	आवास निर्माण अधोसंरचना	812	1073.96
11.	दमोह	आवास निर्माण अधोसंरचना	104	229.83
12.	बालाघाट	आवास निर्माण अधोसंरचना	966	1297.95
13.	बैरसिया	आवास निर्माण अधोसंरचना	160	174.80
14.	कुरवाई	आवास निर्माण अधोसंरचना	48	95.91
15.	कटनी	आवास निर्माण अधोसंरचना	2182	2918.14
16.	नरसिंहपुर	आवास निर्माण अधोसंरचना	651	839.88
17.	मझौली	आवास निर्माण अधोसंरचना	140	215.31
18.	बरेला	आवास निर्माण अधोसंरचना	120	225.47
19.	पाटन	आवास निर्माण अधोसंरचना	120	227.52
20.	शाहपुर	आवास निर्माण अधोसंरचना	104	153.89
21.	देपालपुर	आवास निर्माण अधोसंरचना	96	399.81
22.	पानसेमल	आवास निर्माण अधोसंरचना	128	293.87
23.	खुजनेर	आवास निर्माण अधोसंरचना	100	241.25

24.	बेटमा	आवास निर्माण अधोसंरचना	96	313.94
25.	गौतमपुरा	आवास निर्माण अधोसंरचना	96	395.70
26.	कटंगी	आवास निर्माण अधोसंरचना	160	249.98
27.	पेटलावद	आवास निर्माण अधोसंरचना	240	342.33
28.	इटारसी	आवास निर्माण अधोसंरचना	153	363.53
29.	मण्डीदीप	आवास निर्माण अधोसंरचना	202	330.59
30.	होशंगाबाद	आवास निर्माण अधोसंरचना	297	517.55
31.	ओरछा	आवास निर्माण अधोसंरचना	274	344.73
32.	बुरहानपुर	आवास निर्माण अधोसंरचना	833	1365.85
33.	जावरा	आवास निर्माण अधोसंरचना	167	247.73
34.	सागर	आवास निर्माण अधोसंरचना	480	777.07
35.	छिन्दवाड़ा	आवास निर्माण अधोसंरचना	500	742.00
36.	मोहगांव	आवास निर्माण अधोसंरचना	267	616.38
37.	सौंसर	आवास निर्माण अधोसंरचना	461	712.52
38.	हर्रई	आवास निर्माण अधोसंरचना	139	339.00
39.	चांदामेटा	आवास निर्माण अधोसंरचना	212	676.17
40.	मंदसौर	आवास निर्माण अधोसंरचना	500	1250.00
41.	खरगौन	आवास निर्माण अधोसंरचना	200	491.00
42.	रीवा	आवास निर्माण अधोसंरचना	248	667.49
43.	सतना	आवास निर्माण अधोसंरचना	270	733.01
44.	सिंगरौली	आवास निर्माण अधोसंरचना	300	733.33
45.	महिदपुर	आवास निर्माण अधोसंरचना	441	838.40
46.	सिंगोली	आवास निर्माण अधोसंरचना	120	368.79
47.	डिकेन	आवास निर्माण अधोसंरचना	124	381.84
48.	अमरवाडा	आवास निर्माण अधोसंरचना	274	657.01
49.	जीरापुर	आवास निर्माण अधोसंरचना	145	400.00
50.	चौरई	आवास निर्माण अधोसंरचना	266	573.47
51.	पांढुरना	आवास निर्माण अधोसंरचना	140	300.04
52.	जीरन	आवास निर्माण अधोसंरचना	126	377.20
53.	रतनगढ	आवास निर्माण अधोसंरचना	135	417.78
54.	तेंदूखेडा	आवास निर्माण अधोसंरचना	256	675.00
55.	मल्हारगढ	आवास निर्माण अधोसंरचना	144	440.00
56.	पिपल्यामंडी	आवास निर्माण अधोसंरचना	88	273.00

योग	**22998**	**37628.52**

परिशिष्ट–सात

यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

क्र.	निकाय का नाम	परियोजना का नाम	लागत (रू. लाख में)
1	2	3	4
1.	नगरपालिका परिषद, विदिशा	जल प्रदाय योजना	1557.52
		सीवरेज योजना	218.00
		सडक निर्माण	73.58
2.	नगरपालिका परिषद, गढ़ाकोटा	जल प्रदाय योजना	596.36
		सडक निर्माण	143.76
3.	नगरपालिका परिषद, दमोह	जल प्रदाय योजना	874.20
		पाईप का जीर्णोद्धार	62.35
		गजानन वितरण नलिका का उन्नयन	130.17
		तालाब संरक्षण	53.00
		सडक निर्माण	418.97
		जल प्रदाय योजना फेज–2	3715.95
4.	नगरपालिका परिषद, टीकमगढ़	जल प्रदाय योजना	983.18
5.	नगरपालिका परिषद, मलाजखंड	जल प्रदाय योजना	525.42
		नाला निर्माण	27.60
		सड़क एवं नाली निर्माण	829.43
6.	नगरपालिका परिषद, इटारसी	जल प्रदाय योजना	1467.83
		सीवरेज योजना	708.43
		सडक निर्माण	844.57
7.	नगर परिषद, बुदनी	जल प्रदाय योजना	194.60
		सीवरेज योजना	195.05
		सड़क निर्माण	504.20
8.	नगरपालिका परिषद, जावरा	जल प्रदाय योजना	663.00
		सीवरेज योजना	294.25
9.	नगर परिषद, रेहटी	सीवरेज योजना	143.48
		जल प्रदाय योजना	276.48
		सड़क निर्माण	211.60
10.	नगरपालिका परिषद, डबरा	जल प्रदाय योजना	1441.84
		जल स्त्रोत उन्नयन	1112.10
11.	नगरपालिका परिषद, सीहोर	जल प्रदाय योजना	1454.52
12.	नगर निगम, रतलाम	जल प्रदाय योजना	3265.10
13.	नगर निगम, खण्डवा	जल प्रदाय योजना	10672.30
14.	नगर निगम, देवास	जल प्रदाय योजना	5837.00
		जल प्रदाय योजना–2	3975.00
		सीवरेज योजना	1462.53
		सड़क निर्माण	1254.50
15.	नगरपालिका परिषद, शिवपुरी	जल प्रदाय योजना	5964.66
		ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	649.76
16.	नगरपालिका परिषद, रहली	जल प्रदाय योजना	602.35

17.	नगरपालिका परिषद, छतरपुर	जल प्रदाय योजना	1593.80
18.	नगरपालिका परिषद, ब्यावरा	जल प्रदाय योजना	709.47
19.	नगर निगम, रीवा	जल प्रदाय योजना	1427.87
20.	नगरपालिका परिषद, सिरोंज	जल प्रदाय योजना	622.95
21.	नगरपालिका परिषद, सनावद	जल प्रदाय योजना	729.68
22.	नगरपालिका परिषद, शुजालपुर	जल प्रदाय योजना	1745.32
		सड़क निर्माण	499.00
23.	नगरपालिका परिषद, मंदसौर	जल स्त्रोत का उन्नयन	1552.45
		जल प्रदाय योजना	5636.37
24.	नगरपालिका परिषद, पन्ना	जल प्रदाय योजना	1808.37
25.	नगरपालिका परिषद, आष्टा	जल प्रदाय योजना	980.40
		सड़क निर्माण	541.28
26.	नगर परिषद, नरूल्लागंज	जल प्रदाय योजना	488.96
		सड़क निर्माण	365.39
27.	नगरपालिका परिषद, होशंगाबाद	जल प्रदाय योजना	1615.26
28.	नगरपालिका परिषद, आगर	जल प्रदाय योजना	1005.80
29.	नगर निगम, ग्वालियर	सीवरेज योजना	6650.00
30.	नगरपालिका परिषद, शाजापुर	जल प्रदाय योजना	996.00
31.	नगरपालिका परिषद, हरदा	जल प्रदाय योजना	1787.00
32.	नगर निगम, सागर	सीवरेज योजना	7661.55
33.	नगर निगम, कटनी	जल प्रदाय योजना	4080.95
		सड़क निर्माण	4567.00
34.	नगरपालिका परिषद, पांढुरना	जल प्रदाय योजना	4611.62
		सडक निर्माण	2054.76
		सड़क निर्माण फेस–2	2063.75
35.	नगरपालिका परिषद, छिन्दवाडा	जल प्रदाय योजना	5732.87
		सड़क निर्माण	5352.70
		सड़क एवं नाली निर्माण फेस–2	2736.76
		आर.यू.बी.	1245.82
		तालाब संरक्षण	382.87
36.	नगरपालिका परिषद, डोंगरपरासिया	जल प्रदाय योजना	3013.33
		सडक निर्माण	1098.03
		सड़क एवं नाली निर्माण	1206.37
37.	नगरपालिका परिषद, सौंसर	जल प्रदाय योजना	1930.22
		सडक निर्माण	2332.73
38.	नगरपालिका परिषद, पिपरिया	जल प्रदाय योजना	2408.11
		सड़क निर्माण	385.46
39.	नगरपालिका परिषद, बैतूल	जल प्रदाय योजना	3262.07
40.	नगरपालिका परिषद, मुलताई	जल प्रदाय योजना	1929.60
		सड़क निर्माण	723.34
41.	नगरपालिका परिषद, खुरई	जल प्रदाय योजना	3662.82
		सड़क निर्माण	457.60
42.	नगरपालिका परिषद, बीना इटावा	जल प्रदाय योजना	3875.50
43.	नगरपालिका परिषद,	जल प्रदाय योजना	81.20

	पिपल्यानारायणवार	जल प्रदाय योजना फेस–2	773.34
		सड़क निर्माण	408.09
44.	नगरपालिका परिषद, चौरई	जल प्रदाय योजना	886.38
		सडक निर्माण	189.17
45.	नगरपालिका परिषद, सीधी	जल प्रदाय योजना	2118.55
46.	नगरपालिका परिषद, खिरकिया	जल प्रदाय योजना	1225.70
47.	नगरपालिका परिषद, महिदपुर	जल प्रदाय योजना	1683.75
48.	नगरपालिका परिषद, जुन्नारदेव	जल प्रदाय योजना	2432.07
		सडक निर्माण	345.96
49.	नगरपालिका परिषद, अमरवाडा	जल प्रदाय योजना	1609.30
		सडक निर्माण	424.16
		ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	128.80
50.	नगर निगम, सतना	जल प्रदाय योजना	8087.57
51.	नगरपालिका परिषद, सबलगढ़	सड़क निर्माण	459.10
		ड्रेनेज	980.94
52.	नगरपालिका परिषद, करेली	जल प्रदाय योजना	3550.77
		सड़क निर्माण	444.47
53.	नगरपालिका परिषद, आमला	सड़क निर्माण	477.66
54.	नगरपालिका परिषद, दमुआ	जल प्रदाय योजना	1479.19
		सड़क निर्माण	652.52
		सड़क एवं नाली निर्माण	611.30
55.	नगरपालिका परिषद, मनावर	जल प्रदाय योजना	1125.60
		सड़क निर्माण	475.15
56.	नगरपालिका परिषद, वारासिवनी	सड़क निर्माण	810.96
		जल प्रदाय योजना	2232.00
57.	नगरपालिका परिषद, अनूपपुर	जल प्रदाय योजना	1521.22
58.	नगरपालिका परिषद, बेगमगंज	जल प्रदाय योजना	1392.22
59.	नगर परिषद, चुरहट	सड़क निर्माण	232.10
60.	नगर परिषद, हर्रई	सड़क निर्माण	177.27
		जल प्रदाय योजना	873.87
		सड़क एवं नाली निर्माण	324.93
61.	नगर परिषद, चॉदामेटा	सड़क निर्माण	321.30
		जल प्रदाय योजना	1432.20
62.	नगर परिषद, चित्रकूट	जल प्रदाय योजना	1319.68
63.	नगर परिषद, बड़कुही	सड़क निर्माण	476.42
		जल प्रदाय योजना	1211.82
64.	नगर परिषद, शमशाबाद	जल प्रदाय योजना	882.47
65.	नगर परिषद, बैकुंठपुर	जल प्रदाय योजना	732.75
66.	नगर परिषद, तेंदुखेड़ा (नरसिंहपुर)	जल प्रदाय योजना	1028.64
67.	नगर परिषद, शाहगंज	जल प्रदाय योजना	436.45
		सड़क निर्माण	477.96
68.	नगर परिषद, शामगढ़	जल प्रदाय योजना	2374.00
69.	नगर परिषद, हिंडोरिया	जल प्रदाय योजना	1138.34
70.	नगर परिषद, आठनेर	सड़क निर्माण	217.90
		जल प्रदाय योजना	1309.00

71.	नगरपालिका परिषद, गुना	जल प्रदाय योजना	7140.42
72.	नगरपालिका परिषद, राजगढ़	जल प्रदाय योजना	1907.76
73.	नगर परिषद, राजपुर	सड़क निर्माण	489.00
74.	नगर परिषद, मण्डलेश्वर	जल प्रदाय योजना	799.29
		सड़क निर्माण	659.08
75.	नगरपालिका परिषद, सिवनी	जल प्रदाय योजना	4735.80
76.	नगर परिषद, जीरन	जल प्रदाय योजना	549.92
77.	नगर परिषद, मल्हारगढ़	जल प्रदाय योजना	548.92
78.	नगर परिषद, पिपल्यामण्डी	जल प्रदाय योजना	968.72
		सड़क निर्माण	487.50
79.	नगर परिषद, रामपुरा	जल प्रदाय योजना	1956.37
80.	नगर परिषद, सुवासरा	जल प्रदाय योजना	1764.30
81.	नगर परिषद, भेड़ाघाट	सड़क निर्माण	603.40
82.	नगर परिषद, सिंगौली	सड़क निर्माण	264.71
83.	नगर परिषद, लोधीखेड़ा	सड़क निर्माण	417.33
		जल प्रदाय योजना	611.76
84.	नगर परिषद, सोनकच्छ	सड़क निर्माण	499.00
85.	नगर परिषद, मोहगांव	सड़क निर्माण	462.18
		जल प्रदाय योजना	848.87
86.	नगर परिषद, पिपलरवां	सड़क निर्माण	364.70
		जल प्रदाय योजना	964.22
87.	नगर परिषद, न्यूटन चिखली	सड़क निर्माण	604.25
		सड़क एवं नाली निर्माण	163.30
		जल प्रदाय योजना	1055.90
88.	नगर परिषद, चंदेरी	सड़क निर्माण योजना	614.85
89.	नगर परिषद, मुंगावली	जल प्रदाय योजना	1070.40
		सड़क निर्माण	550.00
90.	नगर परिषद, कोलारस	सड़क निर्माण	1234.03
91.	नगर परिषद, पृथ्वीपुर	सड़क निर्माण	504.80
92.	नगरपालिका परिषद, पोरसा	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	236.47
		जल प्रदाय योजना	959.25
93.	नगर निगम, सिंगरौली	जल प्रदाय योजना	7795.24
94.	नगरपालिका परिषद, कोलार	जल प्रदाय योजना	5210.42
95.	नगरपालिका परिषद, बड़वाह	जल प्रदाय योजना	1704.96
96.	नगरपालिका परिषद, मण्डला	सड़क एवं नाली निर्माण	133.22
97.	नगरपालिका परिषद, चाचौड़ा–बीनागंज	सड़क एवं नाली निर्माण	134.27
98.	नगर परिषद, ईसागढ़	सड़क निर्माण	629.40
99.	नगर परिषद, चिचौली	सड़क निर्माण	200.00
100.	नगरपालिका परिषद, देवरी	जल प्रदाय योजना	2301.68
101.	नगरपालिका परिषद, बालाघाट	जल प्रदाय योजना	4283.00
102.	नगरपालिका परिषद, कोतमा	जल प्रदाय योजना	1799.58
103.	नगरपालिका परिषद, नीमच	जल स्त्रोत उन्नयन	1545.98
104.	नगर परिषद, लांजी	सड़क निर्माण	815.88
		जल प्रदाय योजना	1825.00

105.	नगर परिषद, लखनादौन	सड़क निर्माण	519.37
106.	नगर परिषद, बैहर	सड़क निर्माण	405.61
107.	नगर परिषद, सतवास	जल प्रदाय योजना	1397.40
108.	नगर परिषद, बाड़ी	जल प्रदाय योजना	785.60
109.	नगर परिषद, सिरमौर	जल प्रदाय योजना	980.00
110.	नगर परिषद, भैंसदेही	सड़क निर्माण	483.00
111.	नगर परिषद, पाटन	सड़क निर्माण	329.60
112.	नगर परिषद, डही	जल प्रदाय योजना	931.80
113.	नगर परिषद, बल्देवगढ़	जल प्रदाय योजना	1264.80
114.	नगर परिषद, शाहपुरा	जल प्रदाय योजना	1368.66
		योग	**285991.05**

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

क्र.	निकाय का नाम	योजना का नाम	लागत (रू. लाख में)
1	नगर पालिका धार	पेयजल योजना	2174.54
2	नगर परिषद् राजगढ़ (धार)	पेयजल योजना	898.25
3	नगर परिषद् सरदारपुर	पेयजल योजना	405.49
4	नगर परिषद् कुक्षी	पेयजल योजना	1848.08
5	नगर परिषद् बदनावर	पेयजल योजना	952.31
6	नगर पालिका पीथमपुर	पेयजल योजना	2766.99
7	नगर परिषद् धरमपुरी	पेयजल योजना	911.35
8	नगर परिषद् पंधाना	पेयजल योजना	998.00
9	नगर परिषद् ओंकारेश्वर	पेयजल योजना	720.14
10	नगर परिषद् मुंदी	पेयजल योजना	578.92
11	नगर परिषद् भीकनगांव	पेयजल योजना	760.93
12	नगर पालिका झाबुआ	पेयजल योजना	3094.10
13	नगर परिषद्, रानापुर	पेयजल योजना	1955.01
14	नगर परिषद्, थांदला	पेयजल योजना	1368.13
15	नगर परिषद् सांवेर	पेयजल योजना	851.28
16	नगर परिषद् मानपुर	पेयजल योजना	488.88
17	नगर परिषद् राऊ	पेयजल योजना	932.77
18	नगर परिषद् हातौद	पेयजल योजना	648.67
19	नगर परिषद् महूँगांव	पेयजल योजना	1078.40
20	नगर पालिका बड़वानी	पेयजल योजना	1990.05
21	नगर परिषद् पलसूद	पेयजल योजना	676.26
22	नगर परिषद्, अंजड़	पेयजल योजना	1095.01
23	नगर पालिका गंजबासौदा	पेयजल योजना	4216.00
24	नगर परिषद्, कुरवई	पेयजल योजना	1243.42
25	नगर परिषद् टिमरनी	पेयजल योजना	1923.58
26	नगर परिषद् बाबई	पेयजल योजना	951.62
27	नगर पालिका सिवनीमालवा	पेयजल योजना	2286.19
28	नगर पालिका बैरसिया	पेयजल योजना	1745.98
29	नगर परिषद् सुल्तानपुर	पेयजल योजना	787.35
30	नगर पालिका रायसेन	पेयजल योजना	3317.60
31	नगर पालिका मण्डीदीप	पेयजल योजना	1307.77
32	नगर परिषद् औबेदुल्लागंज	पेयजल योजना	1343.63
33	नगर परिषद् सिलवानी	पेयजल योजना	1670.19
34	नगर परिषद् खिलचीपुर	पेयजल योजना	999.36
35	नगर पालिका सारंगपुर	पेयजल योजना	1353.08
36	नगर परिषद् जीरापुर	पेयजल योजना	876.35
37	नगर पालिका शहडोल	पेयजल योजना	3614.19
38	नगर परिषद् जयसिंहनगर	पेयजल योजना	1012.71
39	नगर परिषद् धनपुरी	पेयजल योजना	1645.82
40	नगर पालिक निगम रीवा	पेयजल योजना	2262.95

41	नगर परिषद् गुढ़	पेयजल योजना	793.00
42	नगर परिषद् चाकघाट	पेयजल योजना	453.36
43	नगर परिषद् सेमरिया	पेयजल योजना	808.48
44	नगर परिषद् त्यौंथर	पेयजल योजना	1046.86
45	नगर परिषद् हनुमना	पेयजल योजना	1035.34
46	नगर परिषद् गोविन्दगढ़	पेयजल योजना	1127.32
47	नगर परिषद् रामपुर बघेलान	पेयजल योजना	575.17
48	नगर परिषद् नौरोजाबाद	पेयजल योजना	1581.00
49	नगर परिषद् पाली	पेयजल योजना	1169.33
50	नगर परिषद् अमरकंटक	पेयजल योजना	595.00
51	नगर परिषद, बिजुरी	पेयजल योजना	1686.10
52	नगर परिषद् चुरहट	पेयजल योजना	776.14
53	नगर पालिक निगम सागर	पेयजल योजना	133.38
54	नगर परिषद् शाहगढ़	पेयजल योजना	895.45
55	नगर परिषद् बण्डा	पेयजल योजना	547.83
56	नगर परिषद् अमानगंज	पेयजल योजना	2029.59
57	नगर परिषद् पथरिया	पेयजल योजना	2228.20
58	नगर पालिका नौगांव	पेयजल योजना	2780.67
59	नगर परिषद् निवाडी	पेयजल योजना	2103.40
60	नगर परिषद् तरीचरकलां	पेयजल योजना	1493.03
61	नगर परिषद् ओरछा	पेयजल योजना	578.23
62	नगर पालिका पलेरा	पेयजल योजना	1268.93
63	नगर परिषद् नलखेड़ा	पेयजल योजना	480.33
64	नगर परिषद् बड़ागांव	पेयजल योजना	964.40
65	नगर परिषद् बड़ौद	पेयजल योजना	844.38
66	नगर परिषद् मक्सी	पेयजल योजना	1540.39
67	नगर परिषद् अकौदिया	पेयजल योजना	1129.64
68	नगर परिषद् नारायणगढ़	पेयजल योजना	425.90
69	नगर परिषद् सीतामऊ	पेयजल योजना	2146.68
70	नगर परिषद् ताल	पेयजल योजना	777.01
71	नगर परिषद् नामली	पेयजल योजना	595.41
72	नगर परिषद् बड़ावदा	पेयजल योजना	691.55
73	नगर परिषद् उन्हेल	पेयजल योजना	1116.00
74	नगर पालिका बड़नगर	पेयजल योजना	1737.15
75	नगर परिषद् तराना	पेयजल योजना	799.20
76	नगर परिषद् खाचरौद	पेयजल योजना	1628.63
77	नगर परिषद् टोंकखुर्द	पेयजल योजना	484.15
78	नगर परिषद् भौरासा	पेयजल योजना	698.24
79	नगर परिषद् करनावद	पेयजल योजना	950.22
80	नगर परिषद्, कन्नौद	पेयजल योजना	2002.64
81	नगर पालिका नीमच	पेयजल योजना	3367.75
82	नगर परिषद् सिंगौली	पेयजल योजना	891.42
83	नगर परिषद् मनासा	पेयजल योजना	780.85
84	नगर परिषद् रतनगढ़	पेयजल योजना	563.28
85	नगर परिषद् जावद	पेयजल योजना	1108.26

86	नगर परिषद् बैहर	पेयजल योजना	84.24
87	नगर पालिका मण्डला	पेयजल योजना	2471.17
88	नगर परिषद् डिण्डोरी	पेयजल योजना	843.00
89	नगर परिषद् शाहपुरा	पेयजल योजना	1283.15
90	नगर परिषद्, लखनादौन	पेयजल योजना	1592.39
91	नगर पालिका, नरसिंहपुर	पेयजल योजना	3217.95
92	नगर पालिक निगम, ग्वालियर	पेयजल योजना	480.00
93	नगर परिषद् भितरवार	पेयजल योजना	958.69
94	नगर पालिका सबलगढ़	पेयजल योजना	2120.03
95	नगर पालिका अम्बाह	पेयजल योजना	2721.45
96	नगर परिषद्, बामौर	पेयजल योजना	1500.41
97	नगर परिषद् खनियाधाना	पेयजल योजना	566.00
98	नगर परिषद्, नरवर	पेयजल योजना	1001.62
99	नगर परिषद् बड़ौनी	पेयजल योजना	456.36
100	नगर परिषद्, भाण्डेर	पेयजल योजना	1370.75
101	नगर पालिका अशोकनगर	पेयजल योजना	1326.71
102	नगर पालिका चंदेरी	पेयजल योजना	1129.95
103	नगर परिषद् कुम्भराज	पेयजल योजना	1481.71
योग			**135786.22**